लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

क १	सोमवार, १४ नवम्बर, १९६०	पृष्ठ
	२३ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९		१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२		२३—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३		४०—६३
निधन सम्बन्धी उल्लेख		६२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		६२—६३
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में		६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६५—६८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		६८—६९
सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य		६९—७१
विशेषाधिकार समिति--		
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक--		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित		७२
मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—		
विचार करने का प्रस्ताव		७३—७५
खंण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		७५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक		७५—९५
विचार करने का प्रस्ताव		७५—९२
खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		९३—९५

	पृष्ठ
बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव .	९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	१०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१०२—१०४
सभा का कार्य	१०४–०५
दैनिक संक्षेपिका	१०६—११४
अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२	११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४	१३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ .	१६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
कार्य मंत्रणा समिति .	२०३–२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन	२०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	२१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . .	२३२–३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२३३
दैनिक संक्षेपिका	२३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०० २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ २६१–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४ २९४–३३९

स्थगन प्रस्ताव —

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में ३४०–४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४६२–६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१–८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९–१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४

दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०

(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . ११४०—४०, ११४०—४४

सभा का कार्य ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४६६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१८

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९–२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०–२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१–२२

सभा का कार्य १२२२–२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५–३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का) —

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक-सभा

गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०

३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री ग्रेवाल का ज्ञापन

+

†*४०५. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री स० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री ग्रेवाल द्वारा, जो करनाल हत्या मामले में बरी हो गये थे, पेश किये गये ज्ञापन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). श्री ग्रेवाल द्वारा मार्च, १९६० में भेजे गये एक ज्ञापन की एक अग्रिम प्रति भारत सरकार को प्राप्त हुई है । राज्य सरकार ने अभी तक अपने टिप्पण सहित मूल प्रति हमें नहीं भेजी है । ज्ञापन की प्रति पर विचार करना उस समय तक स्थगित कर दिया गया था, जब तक 'करनाल मामले' का पूर्णतया फैसला न हो जाये, क्योंकि उस में सत्र न्यायालय में दिये गये निर्णय में बहुत सी बातों का उल्लेख है। इस ज्ञापन पर उस समय विचार किया जायेगा जब कि अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियमों के अधीन अपेक्षित रीति के अनुसार पंजाब सरकार से मूल ज्ञापन, सम्बंधित तथ्यों का विवरण और इस सम्बन्ध में उस सरकार का मत प्राप्त हो जायेगा ।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या यह सच है कि श्री ग्रेवाल ने अपने ज्ञापन में पंजाब सरकार तथा वहां के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा की गई टीका-टिप्पणी की ओर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है; और यदि हां, तो उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

1416 (Ai) LSD.—1.

†**श्री गो० ब० पन्त :** श्री ग्रेवाल का अभ्यावेदन उन के अपने सम्बन्ध में है। अभ्यावेदन का मूल प्रयोजन यही है और निर्धारित नियमों के अधीन उन्होंने केवल इसी के लिये निवेदन किया है। परन्तु इस बारे में पूर्ण रूपेण निर्णय देने से पहले हमें पंजाब सरकार से आवश्यक कागजों और उसके टिप्पणों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल अन्य पदाधिकारियों के बारे में पूछना चाहते हैं।

†**श्री गो० ब० पन्त :** जहां तक अभ्यावेदन का सम्बन्ध है उस में उन्होंने अपने विरुद्ध पंजाब सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का उल्लेख किया है। वह अभ्यावेदन अन्य पदाधिकारियों के सम्बन्ध में नहीं है। यह एक पदाधिकारी से प्राप्त अभ्यावेदन है जिस में उस ने कहा है कि उससे नुकसान पहुंचा है और उसे राहत मिलनी चाहिये। अभ्यावेदन का उद्देश्य बस इतना ही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** परन्तु माननीय सदस्य तो यह पूछ रहे हैं कि अन्य पदाधिकारियों के बारे में भी उन्होंने अभ्यावेदन किया है या नहीं। अदालत के फैसले में उनकी ओर भी निर्देश किया गया है।

†**श्री गो० ब० पन्त :** इस संबंध में दो ही उपाय हो सकते हैं। या तो न्यायालय स्वयं उन के विरुद्ध झूठी गवाही देने के आरोप में कार्यवाही प्रारम्भ करे, अथवा उन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। विभागीय कार्यवाही स्वयं राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की जा सकती है। यदि केन्द्रीय सेवाओं से सम्बन्धित कोई पदाधिकारी मामले में अन्तर्ग्रस्त है, तो भी पंजाब सरकार हमें इस बारे में लिखेगी। परन्तु दोनों ही स्थितियों में राज्य सरकार को ही कार्यवाही प्रारम्भ करनी पड़ेगी। यही वास्तव में वैधानिक स्थिति है, यह स्थिति उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वयं स्पष्ट की गयी थी। जब श्री ग्रेवाल ने स्वयं एक मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचाया तो उस समय उस न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि इसे प्रारम्भ करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है।

†**श्री अन्सार हरवानी :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उच्चतम न्यायालय ने पंजाब के मुख्य मंत्री की भर्त्सना की है और यह कि यह ज्ञापन पंजाब सरकार को मार्च में भेजा गया था और लग भग ६ महीने गुजर गये हैं; क्या सरकार उस राज्य सरकार से कहेगी कि वह शीघ्र ही यह ज्ञापन उस के पास भेज दे?

†**श्री गो० ब० पन्त :** जहां तक मुझे ज्ञात है, उच्चतम न्यायालय ने मुख्य मंत्री की भर्त्सना नहीं की है। वास्तव में जिस न्यायालय ने उस मामले का निर्णय दिया था, उस में यह कहा गया था कि दिये गये साक्ष्यों के लिये वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जिम्मेवार नहीं हैं। परन्तु जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, वह सीधे ही उन पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकती जिनकी भर्त्सना की गयी है और, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है, कार्यवाही प्रारम्भ करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। समाचार पत्रों में छपी खबरों से मुझे मालूम हुआ है कि पंजाब सरकार उन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है।

---

†नूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने सेशन जज के उस निर्णय को यथावत कायम रखा है जिस में उन्होंने कहा था कि पंजाब पुलिस ने श्री ग्रेवाल के सम्बन्ध में तथ्यों को छिपाया है, न केवल छिपाया है बल्कि पुलिस के रोजनामचे से वह कागजात फाड़ दिए गए हैं जिन में वे तथ्य अंकित थे। क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी स्थिति में डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी से क्या कोई सही स्थिति सामने आ सकेगी ?

श्री गो० ब० पन्त : जब डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी हो जाएगी और उसकी रिपोर्ट और कागजात सामने आवेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको देखेगी।

श्री ब्रजराज सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्री ग्रेवाल को न्यायालय ने मुक्त कर दिया है, क्या नियमों के अधीन यह उचित है कि अब उनके सभी आरोपों के संबंध में विभागीय जांच प्रारम्भ की जाये, जिनके आधार पर उन पर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था, और अब क्योंकि ज्ञापन को भेजे हुये भी आठ महीने होने वाले हैं, इसलिये क्या भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और मामले को निपटाने के कार्य को गति प्रदान करेगी ?

श्री गो० ब० पन्त : वह अभ्यावेदन पंजाब सरकार को भेजा गया था और उसकी एक प्रति हमारे पास भेजी गयी थी। पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करती रही है और इस न्यायालय ने अभी हाल ही में केवल कुछ सप्ताह पहले ही अपना निर्णय दिया है। अब वह सरकार जांच करेगी और यदि श्री ग्रेवाल को कोई दंड आदि देना हुआ तो वह रिपोर्ट भारत सरकार के पास भेज देगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या मिस्टर ग्रेवाल को सरकार उसी प्रकार से कुछ सहायता देने जा रही है जिस तरह से कि डिफेंस मिनिस्ट्री के कमाण्डर नानावती को १० हजार रुपयों की सहायता दी थी ? क्या यह सही है कि.....

श्री गो० ब० पन्त : अब कोई फौजदारी मुकदमा तो श्री ग्रेवाल के खिलाफ है नहीं।

†**श्री नंगामणि :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि श्री ग्रवाल को देश के उच्चतम न्यायालय से बरी कर दिया गया है, क्या उस संबंध में जानकारी प्राप्त हो गयी है कि उन्हें पुनः अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया गया है ?

†**श्री गो० ब० पन्त:** श्री ग्रेवाल के विरुद्ध और भी कई मामलों के संबंध में जांच चल रही है और वे जांच कार्य कुछ समय पूर्व आरम्भ किये गये थे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि श्री हजारा सिंह तथा अन्य व्यक्तियों की मृत्यु के एक महीने बाद श्री ग्रेवाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी ?

†**श्री गो ब० पन्त :** हो सकता है वैसा ही हो। मैं लोगों की मृत्यु का रिकार्ड नहीं रखता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार को भेजे गये ज्ञापन की एक प्रति भारत सरकार के पास भी भेजी गयी है, परन्तु राज्य सरकार ने मूल प्रति अभी तक नहीं भेजी है। क्योंकि पंजाब सरकार और विशेष रूप से वहां के मुख्य मंत्री इस पदाधिकारी के विरुद्ध हैं, क्या सरकार इस मामले का निर्णय वस्तुगत दृष्टि से करेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : क्या वे अपने प्रश्न को फिर से दुहरायेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि क्योंकि वह सरकार श्री ग्रेवाल के विरुद्ध है, इसलिये क्या सरकार स्वयं हस्तक्षेप करेगी, पंजाब सरकार से कागजात मंगवायेगी और मामले को जल्दी से निपटायेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : हम ऐसा नहीं कर सकते। परन्तु हमने पंजाब सरकार से कहा है कि वह इस मामले को शीघ्रता से निपटाये।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि जब सेशन जज के निर्णय के अनुकूल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने श्री ग्रेवाल को निर्दोष सिद्ध किया है और श्री ग्रेवाल ने अपने स्मृतिपत्र में यह कहा है कि मुझे पंजाब से हटा कर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का जो नया कैडर बना है उसमें भेज दिया जाये और यदि हां तो उस संबंध में सरकार क्या निर्णय लेने जा रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त**: जो आफिसर किसी एक स्टेट का होता है उस अहलकार को किसी दूसरी स्टेट को बगैर दोनों की रजामन्दी के भेज नहीं सकते।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि श्री ग्रेवाल के बरखिलाफ बहुत सारे मुकद्दमात और डिपार्टमेंट्ल इनक्वायरीज पंजाब गवर्नमेंट के पास चल रही हैं और जिस वक्त तक कि उनका फसला न हो जाय उस वक्त तक इसका कोई फैसला नहीं किया जायगा ?

श्री गो० ब० पन्त : केसेज का मुझे कोई इल्म नहीं है लेकिन डिपार्टमेंट्ल इनक्वायरी चल रही है यह मैं जानता हूं और डिपार्टमेंट्ल इनक्वायरी के बारे में मैंने अभी साफ किया है कि जब वहां से रिपोर्ट आयेगी तब यहां की गवर्नमेंट उस पर अपनी जांच वगैरह कर सकती है और उसे देख सकती है और उसके फलस्वरूप अगर कोई वहां की गवर्नमेंट को हुक्म देना होगा तो दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक तभी होता है जब डिसमिसल या रिमूवल वगैरह की बात हो। जहां तक छोटी पेनाल्टीज का ताल्लुक है उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्योंकि श्री ग्रेवाल के मामले ने केवल पंजाब का ही नहीं सारे देश का ध्यान आकर्षित किया है तो क्या केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार से अनुरोध करेगी कि इस मामले में जल्दी से जल्दी निर्णय किया जाये और श्री ग्रेवाल के प्रति अधिक से अधिक न्याय करने का प्रयत्न किया जाये ?

श्री गो० ब० पन्त: पंजाब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

खम्भात से निकले तेल का परिवहन

+

†*४०७. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती मफीदा अहमद :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वोडयार :
श्री हेम बरुआ :
श्री पु० र० पटेल :
श्री आ० म० गांधी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात से निकाले जाने वाले तेल को बम्बई के तेल शोधक कारखानों में रेल द्वारा पहुंचाया जायेगा अथवा समुद्र मार्ग से ले जाया जायेगा अथवा पाइप लाइनों द्वारा भेजा जायेगा ; और

(ख) इन तरीकों से तुलनात्मक दृष्टि से क्या लाभ हैं ?

†तेल और खान मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि यदि खम्भात से बम्बई तक तेल रेल के द्वारा लाया जाये तो अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है ? क्या यह सच है कि रेलवे ने तेल को ले जाने के लिये ५८ रुपये प्रति टन का खर्च मांगा है जोकि बहुत ज्यादा है ?

†श्री के० दे० मालवीय : प्रथम भाग का उत्तर यह है कि रेलवे परिवहन अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं होता उससे सस्ते तरीके भी हैं । जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, यह सच है कि रेलवे मंत्रालय और हमारे मंत्रालय में इस संबंध में विचार किया जा रहा है । परन्तु यह भी सच है कि रेलवे मंत्रालय उससे अधिक खर्च मांग रही है जितना हम वहन कर सकते हैं । फिर भी वह प्रश्न विचाराधीन है ।

†श्री खीमजी: इस बात को ध्यान में रखते हुय कि सरकार ने खम्भात में एक तेल संशोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय कर लिया है, तो फिर बम्बई के एक पाइपलाइन लगाने की क्या जरूरत समझी गयी है ?

†श्री के० दे० मालवीय: गुजराती भाइयों द्वारा यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, मैं इसका उत्तर भी कई बार दे चुका हूं । वास्तव में खम्भात से बम्बई तक अशोधित तेल का ले जाना और गुजरात में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना---दोनों बातें साथ साथ चलती रहेंगी । इस प्रश्न पर अभी तक विचार किया जा रहा है कि बम्बई को कितना तेल भेजा जाय ताकि उससे विदेशी मुद्रा की बचत की जा सके ।

†श्री खीमजी : खम्भात को कितना तेल भेजा जायेगा और उसकी कीमत कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : पहले ६ महीनों में लगभग १५०० टन अशोधित तेल भेजने का विचार है ताकि यह निश्चित किया जा सके कि खम्भात तथा अंकलेश्वर से कितना तेल भेजा जा सकता है। उसके बाद कितना तेल भेजा जायेगा, यह इसी समय नहीं बताया जा सकता।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या कहा जाता है कि खम्भात का तेल अधिक गाढ़ा है और उसमें पैराफीन का अंश बहुत ज्यादा है। तो उसे पाइप लाइनों के द्वारा ले जाना कठिन है। क्या सरकार इस संबंध में विचार करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस संबंध में विचार किया जा रहा है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या बम्बई के वाणिज्य मंडल ने यह सुझाव दिया है कि ये पाइप लाइनें तेल क्षेत्रों और 'बोहर राक्स' के बीच बिछाई जानी चाहियें जहां बड़े जहाज भी आसानी से आ जा सकें और यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री इस सुझाव से प्रभावित हुये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मुझे स्मरण नहीं है कि वाणिज्य मंडल ने ऐसा कोई सुझाव दिया हो। वैसे तो कई सुझाव प्राप्त हुये हैं जिन पर हमारे प्रविधिज्ञों द्वारा विचार किया जा रहा है।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने यह सुझाव दिया है कि पाइप लाइनें तेल क्षेत्रों से दहेज--७० मील दूर--तक बिछाई जायें क्योंकि वहां पर एक छोटा पत्तन है और वहां से तेल टैंकरों द्वारा भेजा जाय ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह सुझाव तो पहले हमने स्वयं अपने प्रविधिज्ञों को दिया था कि वे विचार करें कि क्या तेल दहेज के निकट किसी स्थान तक ले जाया जा सकता है। इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है।

जनता मोटर कार

†*४०८. { +**श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री तंगामणि :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय का "जनता मोटरकार" के निर्माण के कार्य को हाथ में लेने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मोटरकारों का निर्माण किसी अन्य देश के सहयोग से किया जायेगा ; और

(ग) इनका उत्पादन किस वर्ष शुरू होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरमैया)** : (क) जी, नहीं। कम कीमतों की मोटर गाड़ियों के निर्माण के संबंध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि दिल्ली में दो कारों का प्रदर्शन किया गया था जिनके बारे में यह बताया गया कि वे अहमदनगर में और हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटिड में तैयार की गई थी ? क्या प्रतिरक्षा संस्थापन द्वारा ऐसी बेबी कारें बनाई जायेंगी और यदि हां, तो कब तक ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** जहां तक इन दो मोटर कारों के निर्माण का प्रश्न है यह एक डेवलपमेंटल प्राजेक्ट है। शेष के सम्बन्ध में मामला अभी समिति के हाथ में है।

†**श्री महन्ती :** क्या यह सच है कि भारतीय प्रतिरक्षा दलों के एक एडमिरल ने जनता कार के सम्बन्ध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वे समिति के सदस्य हैं। वे प्रतिरक्षा उत्पादन के महा नियंत्रक हैं।

†**श्री महन्ती :** मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह चर्चा समिति में की गयी थी या कि निजी तौर पर की गयी थी।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री ने स्पष्टतया बता दिया है कि वह सुझाव वाणिज्य मंत्रालय क विचाराधीन है।

†**श्री तंगामणि :** क्या यह सच है कि पूर्ववर्ती प्राग टूल्स तथा वर्तमान एच० ए० एल० के श्री रेड्डी ने एक कार का डिजाइन तैयार किया था जो कि यहां पर प्रदर्शित किया गया था और यदि हां, तो क्या उनकी सेवाओं का भी इस समिति में उपयोग किया जायेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह काम तो उस समिति का है। मेरा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** वह ऐसा व्यक्ति है जिन्हें इस सम्बन्ध में कुछ ज्ञान है। क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने इस व्यक्ति के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह क्यों समझते हैं कि माननीय वाणिज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री को इस बारे में ज्ञान नहीं है।

†**श्री तंगामणि :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उनके सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार के व्योरों की अनुमति मैं नहीं दूंगा कि क्या किसी विशेष व्यक्ति से परामर्श लिया गया है या नहीं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने बताया है कि एक समिति नियुक्त की गयी है जिसमें प्रतिरक्षा उत्पादन का महा नियंत्रक एक सदस्य के रूप में हैं। तो उस समिति के निर्देशपद क्या हैं ? क्या इस समिति द्वारा यह फैसला कर लिया गया है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा एक छोटी जनता मोटरकार का निर्माण किया जाना चाहिये ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री कृष्ण मेनन : यदि यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से पूछा जाये तो वह मंत्रालय इसका उचित उत्तर दे सकेगा।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या समिति यह कह सकती है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय इसका निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर सकता है?

†श्री कृष्ण मेनन : इसका निर्णय तो उस समिति क करना है। हम ने तो केवल एक सदय उस समिति में नियुक्त कर दिया है जो कि इस सम्बन्ध में विचारविमर्श में भाग लेगा। बाकी इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कह सकते कि वह समिति क्या क्या निर्णय कर रही है।

†सेठ गोविन्द दास : कभी यह बात भी सुनी जाती है कि इस सम्बन्ध में प्रतिरक्षा मंत्रालय स्वयं एक समिति नियुक्त कर रहा है और कभी यह सुनी जाती है कि यह कार्य वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। क्या उन जनता मोटरकारों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय भी किया गया है या नहीं, और ये मोटरकारें कब तक मार्किट में बिकने लगेंगी?

†श्री कृष्ण मेनन : इस का उत्तर केवल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ही दे सकता है। उन्होंने ही समिति नियुक्त की है और वे ही इस बारे में विचार कर रहे हैं।

†श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी : जब प्रतिरक्षा मंत्रालय के एडमिरल जापान गये थे, तो क्या उन्होंने वहां पर Datsun जैसी मोटरकारों के निर्माण में सहयोग के लिये जापानी फर्म से कोई बातचीत की थी?

†श्री कृष्ण मेनन : मैं कह नहीं सकता कि क्या इस मामले पर अब विचार किया जा रहा है या नहीं?

†डा० मा० श्री० अणे : क्या केवल एक समिति की नियुक्ति के बारे में उस मंत्रालय की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वह आंकड़े भी रखे और यह जानकारी रखे कि क्या क्या हो रहा है?

†श्री कृष्ण मेनन : मुझे जानकारी तो प्राप्त है, परन्तु जब भी कोई समिति नियुक्त की जाती है, उस समय इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या बताना उचित है।

उत्तर प्रदेश के नये जिलों में निर्वाचन

*४०९. श्री भक्त दर्शन : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के तिब्बत सीमावर्ती क्षेत्र में हाल में बनाये गये उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के नये जिलों में १९६२ के आगामी सांमान्य निर्वाचन नहीं होने चाहियें ताकि निर्माण कार्य की गति धीमी न हो और निर्वाचनों के कारण अनावश्यक खिचाव पैदा न हो; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : उत्तर प्रदेश के उतरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में १९६२ में आम चुनाव न करवाने की प्रस्थापना का न चुनाव आयोग को ही ज्ञान है और न भारत सरकार को ही इसका कुछ पता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान जी, क्या माननीय विधि मंत्री महोदय ने उस तरह के समाचार पढ़े हैं कि पिछले दिनों लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों की जो कांफरेंस चीफ़ सैक्रेटरी के सभापतित्व में हुई थी, उस में इस तरह का सुझाव दिया गया था? क्या इस तरह का सुझाव उन्हें प्राप्त हुआ है और क्या कभी उस पर विचार किया गया है?

†श्री अ० कु० सेन : सरकार को इस प्रकार के सम्मेलन तथा किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा दिये गये इस प्रकार के वक्तव्य का कोई ज्ञान नहीं।

†श्री भा० कु० गायकवाड : माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र प्रणाली का निर्माण करने की बात अपने उद्घाटन भाषण में कही थी उसका क्या बना?

†श्री अ० कु० सेन : इस प्रश्न का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

परिसीमन आयोग की नियुक्ति

+

†*४१०. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हेम राज :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में जनगणना कार्य के समाप्त होने पर, अगले सामान्य निर्वाचनों में लोक सभा और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन के लिए वर्तमान चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर करने के उद्देश्य से परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के कब नियुक्त किये जाने की सम्भावना है?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद ८२ और १७० (३) के अन्तर्गत संसदीय और विधान मंडलीय चुनाव क्षत्रों को पुनः ठीक ठाक करने के लिए परिसीमन आयोग की नियुक्ति का प्रश्न १९६१ की जनगणना के समाप्त होने पर ही प्रस्तुत हो सकता है। क्योंकि नये चुनावों का कार्य दिसम्बर १९६१ में आरम्भ हो जायगा। उस समय जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पायेंगे। अतः आगामी आम चुनावों के लिए उस जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का पुनः निर्धारण सम्भव नहीं हो सकेगा।

†श्री राधा रमण : यह ठीक है कि जनगणना १९६१ में हो रही है, परन्तु क्या सरकार ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है कि जनगणना के पश्चात् वर्तमान चुनाव क्षेत्रों में किस प्रकार हेर फेर किया जायगा?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० कु० सेन : चुनाव क्षेत्रों में प्रत्येक जनगणना के पश्चात् हेर फेर करना एक संविधानिक दायित्व है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उस दायित्व को उसी प्रकार पूरा किया जायेगा जिस प्रकार कि १९५१ की जनगणना के प्रकाशित होने के पश्चात पूरा किया गया था।

†श्री राधा रमण : क्या चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर करने के लिए जनगणना की रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने के बाद सरकार का विचार परिसीमन आयोग की नियुक्ति करने का है ?

†श्री अ० कु० सेन : यह तो कानूनी दायित्व का प्रश्न है। परिसीमन आयोग नियुक्त करना ही होता है।

†श्री हेम राज : सरकार ने इस प्रकार का आश्वासन दिया है कि कार्य वाले स्थानों पर तथा अन्य स्थानों पर जाना असम्भव होगा, चुनाव पहिले करवा लिये जायेंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस दिशा में इस प्रकार के पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के लिए क्या व्यवस्था की है ?

†श्री अ० कु० सेन : इस प्रश्न का इस वर्तमान प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं, परन्तु मुझे इसका उत्तर देने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इस सम्बन्ध में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देश में किसी भी क्षेत्र में चुनाव को रोके रखना सरकार की नीति नहीं है। चाहे वह क्षेत्र सीमा पर हो अथवा दुभेद्य हो। इससे पूर्व प्रश्न का सम्बन्ध भी कुछ इसी प्रकार की समस्या से था। इस सरकार और इस देश का विश्वास है कि अपनी सभी संविधानिक व्यवस्थाओं का पूरा संरक्षण किया जाय। इसमें अपातकालीन स्थिति का भी कोई प्रश्न नहीं। अतः हर हालत में चाहे स्थिति कितनी साधारण और गम्भीर क्यों न हो, देश में चुनाव होंगे।

†श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि पिछले डीलिमिटेशन कमिशन के आखिरी आर्डर——फ़ाइनल आर्डर—— के निकलने के समय कुछ एसे रिप्रेज़न्टशन किये गये थे, जिन पर उस में विचार नहीं किया जा सका और बहुत सी कांस्टीच्यूएन्सीज़ में इस तरह का डीलिमिटेशन हो गया कि जो ग़लत था और जो सुधारा जाना चाहिये था ? क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या इस सुधार के लिये डीलिमिटेशन कमिशन बिठाया जायगा, या क्या किया जायगा ?

†श्री अ० कु० सेन : यह बिलकुल दूसरा ही प्रश्न है।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जिन स्थानों को संरक्षित किया गया है, क्या उन चुनाव क्षेत्रों के लिये इस आधार पर कोई विशेष विचार किया जा रहा है कि औद्योगिक नगरों के विकास के कारण उन क्षत्रों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है तथा अब उन्हें आम चुनाव क्षेत्र घोषित हो जाना चाहिये ?

†श्री अ० कु० सेन : परिसीमन आयोग इस प्रकार की सभी बातों का पूर्ण ध्यान रखेगा।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : माननीय मंत्री के कथनानुसार यह कार्य जो १९६२ के चुनावों के पश्चात् होगा, परन्तु इस प्रकार के नगर ह जहां कि औद्योगीकरण के कारण जनसंख्या बढ़

†मूल अंग्रेज़ी में

गई है और आदिम जाति लोगों की आबादी कम होने से उन्हें आम चुनाव क्षेत्र में बदल दिया जाना चाहिए, क्या यह तथ्य चुनाव आयोग के नोटिस में ला दिया गया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : कल्पना के आधार पर तो चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर किया नहीं जा सकता। इसलिये तो व्यवस्था यह की गई है कि जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर होगा। अतः हमें जनगणना की प्रतीक्षा करनी होगी, इसके बाद ही इस दिशा में कुछ हो सकेगा।

†**श्री हेम राज** : क्या जो दुर्भेद्य क्षेत्र है उनका चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व हो जायेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : इस मामले में विस्तार से सारा मामला चुनाव आयोग तय करेगा। कहां, किस समय चुनाव होगा, उसके सम्बन्ध में यहां अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक सैन्सस रिपोर्ट का सम्बन्ध है, क्या वह १९६१ के अन्त में निकल आयेगी और क्या यह बात सही है कि नये चुनाव मार्च में होने वाले हैं ऐसी हालत में इतना वक्त मिलता है कि नहीं कि डीलिमिटेशन हो सके ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि काफी समय भी हो तब भी चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर करने की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग को प्रत्येक क्षेत्र में जा कर छान बीन करनी होती है, साक्ष्य लेने होते हैं, आपत्तियां सुननी होती हैं और तब जा कर इस दिशा में निर्णय करना होता है। यदि अब भी रिपोर्ट प्राप्त हो जाय तो इस दिशा में कुछ कर सकना सम्भव नहीं। १९५१ की जनगणना के पश्चात् इस दिशा में कार्य १९५२ के चुनावों के पश्चात् ही आरम्भ हुआ था, मेरे विचार में इस तथ्य का माननीय सदस्य को पता है।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या मंत्री महोदय के स वक्तव्य का यह अर्थ है कि आगामी आम चुनाव तक द्विसदस्यीय प्रणाली को चालू रखा जायेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह प्रश्न ही बिलकुल दूसरा है।

†**श्री पहाड़िया** : मैं जानना चाहता हूं कि अगर सिंगल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ का निर्माण हुआ तो उसे अभी जो डबल मैम्बर कंस्टिट्युएंसीज़ हैं उनको बांट कर के किया जाएगा या कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया जाएगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि १९६०–६१ में जो मर्दुम शमारी हो रही है उसमें ऐसी मशीनरी बनाई गई है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाए ? क्या इसी तरह की मशीनरी डीलिमिटेशन और इलेक्शन कमिशन नहीं बना सकते हैं कि वे अपना काम जल्दी पूरा कर ले और डीलिमिटेशन जल्दी हो जाए ?

†**श्री अ० कु० सेन** : माननीय सदस्य एक अनुभवी संसद शास्त्री हैं उन्हें पता ही है कि चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर के मामले में क्या कार्यवाही होती है। इस मामले में बहुत ही सचेत हो कर काम करना होता है, अथवा हमारी सारी चुनाव मशीनरी के बदनाम होने का भय होता है और उस पर पक्षपात का आरोप लग सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिसीमन आयोग बिना किसी प्रकार का देश का नक्शा, जन-संख्या तथा भूगोल का ध्यान रखे ही चुनाव क्षेत्रों में हेर फेर करता रहा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री अ० कु० सेन : जी नहीं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : अनुसूचित जातियों के बहुत से लोगों ने बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था क्या इससे उनके संरक्षित स्थानों पर प्रभाव पड़ेगा जो कि जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है ?

†श्री अ० कु० सेन मुझे पता है कि माननीय सदस्य को अनुसूचित जाति के लोगों का प्रत्येक समय ध्यान रहता है, परन्तु मुझे खेद है कि इस प्रश्न से उसका कोई सम्बन्ध नहीं ।

†श्री आचार : जनगणना १९६१ का कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

†श्री अ० कु० सेन : इस बात का उत्तर गृह-कार्य मंत्री देंगे ।

†श्री त्यागी : जैसा कि गत बार किया गया था, क्या सरकार की इच्छा एक गैर सरकारी मंत्रणा समिति की स्थापना करने की है जो कि परिसीमन आयोग को साथ साथ ही अपना परामर्श देती जायेगी ?

†श्री अ० कु० सेन : चुनाव आयोग की ओर से मैं कोई निश्चित बात तो नहीं कह सकता परन्तु इस कार्यवाही से अच्छा लाभ ही हुआ था ।

†राजा महेन्द्र प्रताप : यद्यपि सरकार हमारे मत की चिन्ता तो नहीं करती, परन्तु क्या उन्होंने देश विधि विशारदों क इस दिशा में परामर्श लिया है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री स्वयं वकील हैं, उन्हें और अधिक परामर्श की क्या आवश्यकता है ?

†श्री ब्रजराज सिंह : चुनाव विधि के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने की व्यवस्था है, उसी से पता चलता है कि किस चुनाव क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, इस विचार से क्या जनगणना से पूर्व ही सरकार परिसीमन आयोग की स्थापना का विचार नहीं रखती ?

†श्री अ० कु० सेन : मतदाता सूचियों के बनाने के लिये प्रत्येक वर्ष प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की सूची का पुनरीक्षण किया जाता है । इसके पश्चात् एक प्रारम्भिक सूची बना कर सार्वजनिक स्थानों पर रख दी जाती है । इसकी सूचना जनसाधारण को दे दी जाती है । आपत्तियां मांगी जाती हैं और इसके बाद सूची प्रकाशित कर दी जाती है । यह अन्तिम सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को दे दी जाती है । इन दलों को इस सूची की छानबीन करने का अधिकार होता है और अगले वर्ष पुनरीक्षण के समय इन भूलों का सुधार कर दिया जाता है । अतः यह प्रश्न ही नहीं होता कि आगामी चुनाव से पूर्व मतदाता सूची पूरी नहीं होगी ।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैंने यह नहीं कहा ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं । माननीय मंत्री यह कह चुके हैं कि परिसीमन आयोग आगामी चुनाव से पूर्व नहीं नियुक्त किया जा सकता यद्यपि जनगणना का कार्य १९६१ के अन्त तक पूरा हो जायेगा । माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया है कि क्या मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण प्रत्येक वर्ष हो रहा है । इस बात को माननीय विधि मंत्री ने स्वीकार किया है । क्योंकि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण प्रति वर्ष

---

†मूल अंग्रेजी में

होता है तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति के लिये जनगणना के आंकड़ों की प्रतीक्षा की आवश्यकता क्यों अनुभव होती है ?

†श्री अ० कु० सेन : इस सम्बन्ध में विधि व्यवस्था क्या है, शायद माननीय सदस्य को इसका पता नहीं । व्यवस्था यह है कि परिसोमन आयोग जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जाने के पश्चात् ही नियुक्त की जा सकती है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : इससे फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न हो जाता है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वकील हैं और मंत्री महोदय विधि मंत्री हैं । दोनों इस मामले में निर्णय कर सकते हैं । जब विधि की व्यवस्था की उनकी व्याख्या यह है तो इस सब का अर्थ क्या हुआ ?

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या मतदाता सूचियों को आज तक पूरी करने के लिये विधान में परिवर्तन नहीं हो सकता ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में विधेयक प्रस्तुत क्यों नहीं कर देते ?

कच्चे लोहे के छोटे संयंत्र

†*४११. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे के छः छोटे संयंत्रों में, जिन के लिये लाइसेंस दिये गये थे, काम शुरू हो गया है;

(ख) मद्रास में स्थित एकक में उत्पादन क्यों बन्द कर दिया गया है; और

(ग) कच्चे लोहे के छोटे संयंत्रों में एक टन कच्चे लोहे के उत्पादन की लागत क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) एक इकाई उड़ीसा में नियमित रूप में उत्पादन कर रही है । अन्य एक का काम मद्रास में रुक रुक कर चल रहा है ।

(ख) मद्रास (कोयम्बटूर) में जो इकाई काम कर रही है उस का काम संयंत्र को कुछ ठीक ठीक करने के लिये बन्द कर दिया है । उस में अच्छे प्रकार के नये पुर्जे इत्यादि डाले जा रहे हैं ।

(ग) कुछ ही महीने जो संयंत्र ने कार्य किया है उस के आधार पर उत्पादन व्यय का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है । वैसे प्रतीत होता है कि इन भट्टियों में जो कच्चा लोहा तैयार होता है उस की मात्रा बड़ी बड़ी आम धमन भट्टियों में से कहीं अधिक है ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार ने उन राज्यों को जहां निम्न स्तर की लौह-अयस्क काफी मात्रा में उपलब्ध होती है, कच्चे लोहे के छोटे संयंत्र देने के कार्यक्रम बनाया है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, सरकार ने इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है । गैर सरकारी क्षेत्र में एक लाख टन की क्षमता तक कच्चे लोहे के संयंत्र लगाने की अनुमति दी जायेगी । अतः गैर सरकारी उपक्रमों को अपनी ठोस प्रस्थापनायें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस से पूर्व भी एक दो प्रस्थापनाओं को स्वीकृति भी दी जा चुकी है। एक तो श्री पाणिग्रही के राज्य की ही है। यह बारबिल संयंत्र के विस्तार से सम्बन्धित है। एक अन्य शायद महाराष्ट्र के चंदा जिले में संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : उड़ीसा में बारबिल के स्थान पर कच्चे लोहे का संयंत्र गत १० मास से चल रहा है, क्या सरकार के लिये यह जानना सम्भव नहीं, कि कच्चे लोहे के उत्पादन पर प्रति टन क्या व्यय आता है, ताकि विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जा सके ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यदि यह लाभ वाली बात हुई तो गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग, इस से लाभ उठाने में संकोच नहीं करेंगे। सरकार इस मामले में इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती कि इन्हें संयंत्र लगाने की अनुमति दे दे ।

सेठ गोविन्द दास : अब तक इस तरह की कितनी पार्टियों के सरकार के पास आवेदन आये हैं और क्या उन में से कुछ नामंजूर भी हुए हैं और कुछ विचाराधीन भी हैं या अब और कोई इस सम्बन्ध में आवेदन सरकार के सामने नहीं हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : ऐसी आठ दरख्वास्तें आई थीं और सभी मंजूर कर ली गई थीं। उन में से सब चालू नहीं हुईं। जैसा मैं ने पहले कहा सिर्फ दो जगह ऐसी भट्टियां चालू हुईं, एक उड़ीसा में और एक मद्रास स्टेट में। मेरा ख्याल है कि ग्वालियर में भी एक छोटे स्केल पर चालू हुई है। इस के अलावा मैं ने कहा कि चान्दा में एक और के लिये इजाजत दी गई है। और भी जिस स्टेट से दरख्वास्तें आयेंगी, अगर वे ठीक होंगी तो उन पर भी गौर किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे यह पता लगा है कि हमारे माननीय मित्र सेठ गोविन्द दास को आनरेरी डाक्टरेट प्रदान की गई है। इसलिये मैं परसों से उन्हें डाक्टर गोविन्द दास कह कर सम्बोधन कर रहा हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : किस विश्वविद्यालय से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जबलपुर विश्वविद्यालय से। अपने ही स्थान के विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। . . . .अगला प्रश्न। श्री शर्मा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : आप यह व्यवस्था क्यों नहीं कर देते कि प्रत्येक सदस्य के नाम के पहले 'श्री' लगाया जायेगा। पिछली मर्तबा आप ने यह रूलिंग दी थी कि हरेक सदस्य के पहले 'श्री' का प्रयोग किया जायेगा, 'डा०' का नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें फिर श्री शर्मा कहूंगा। या वह भी डाक्टर हैं ?

†**एक माननीय सदस्य** : जी नहीं, वह प्रोफैसर हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है, प्रोफैसर शर्मा ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब मैं पहले पहल यहां आया मुझे प्रोफैसर दी० चं० शर्मा कहा जाता था। तब आप ने कहा था कि प्रत्येक सदस्य के पहले 'श्री' का प्रयोग किया जायेगा अब आप फिर उस प्रथा को बदल रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अच्छी बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचन व्यय में कमी

+

†*४१२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री संगामणि :

क्या विधि मंत्री ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचन व्यय में कमी करने के सम्बन्ध में भारत के राजनैतिक दलों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने की दिशा में निर्वाचन आयोग ने क्या प्रगति की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) और (ख). निर्वाचन व्यय को कम करने के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों के सुझावों पर चुनाव आयोग द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है। आयोग का विचार है कि इस व्यय को कम करने सम्बन्धी व्यावहारिक सुझाव बहुत ही कम है। यदि उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया तो उस से कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होगा। आयोग इस बात से सहमत है कि बड़ी बड़ी लाउड स्पीकरों के साथ की जान वाली जन सभाओं पर बहुत खर्च आता है। अतः आयोग का विचार है कि प्रत्येक दल के उम्मीदवार के लिये इन सभाओं को करने की संख्या निर्धारित कर दी जायेगी। यह सुझाव व्यावहारिक लगता है। सरकार भी इस सुझाव को ठीक ढंग से कार्यान्वित करने के मामले पर विचार कर रही है ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : गत बार पूछे जाने पर बताया गया था कि अभी तक इस बारे में कुछ राजनीतिक दलों के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए, क्या अब सभी राजनीतिक दलों ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं, यदि हां, तो क्या इन विचारों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर सब एक मत हों ?

†**श्री अ० कु० सेन** : एक बात के अतिरिक्त शायद ही एक मत होने वाली कोई बात हो। बड़ी बड़ी खर्चीली सभायें करने के मामले में सब दल एक मत हैं। प्रत्येक दल ने अपने अपने सुझाव दिये हैं परन्तु उन को कार्यान्वित करना बहुत ही कठिन है। चुनाव आयोग के विचार केवल यही एक सुझाव व्यावहारिक है कि बड़ी बड़ी खर्चीली सभाओं की प्रत्येक चुनाव के लिये संख्या निर्धारित कर दी जाये। इस सुझाव को कार्यान्वित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि चुनाव क्षेत्रों में कोई कोई उम्मीदवार इतना ज्यादा खर्च करते हैं जिस का ठिकाना नहीं है। कहीं कहीं तो, १००, १०० और २००, २०० जीप चलाते हैं और चुनाव बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मौदहा में हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि उम्मीदवार जो इतना बढ़ा चढ़ा कर खर्च करते हैं, लेकिन दिखलाते कम हैं; उस को कम करने के लिये सरकार कोई बात सोच रही है।

†**श्री अ० कु० सेन** : बहुत लोगों ने इस प्रकार की शिकायत की है। सैकड़ों जीपों का प्रयोग किया जाना वैध नहीं। परन्तु माननीय सदस्य स्वयं ही जानते हैं कि इस बात का पता लगाना कितना

---

† मूल अंग्रेजी में

कठिन है कि चुनाव में सभी चल रही जीपें उम्मीदवार ने अपने ही खर्चे पर चला रखी हैं। अतः इस बारे में नियन्त्रण रखना बड़ा कठिन है।

†श्री त्यागी : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि सभाओं की संख्या निर्धारित कर दी जाय। क्या मंत्री महोदय इस मामले में गैर-सरकारी लोगों को विश्वास में लेंगे ?

†श्री अ० कु० सेन : जी हां।

†श्री त्यागी : इस में मुझे भय यह है कि लोकप्रिय दल को इस से अधिक हानि होगी। क्योंकि देश भर में बड़ी बड़ी सभायें तो केवल लोकप्रिय दल ही कर सकता है।

†श्री अ० कु० सेन : यह बात मेरे मन में भी है। क्योंकि इस अवसर पर देश के प्रमुख नेता सारे देश में घूम कर बड़ी बड़ी जन सभाओं में अपने भाषण देते हैं। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो दल सब से अधिक सभायें करने की क्षमता रखता हो उसे अनुचित तौर पर हानि न हो। अतः इस मामले का अन्तिम निर्णय करते हुए हमें जनमत के सभी पक्षों को अच्छी प्रकार से देख लेना चाहिए।

†अध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि विधि मंत्री को चुनाव आयुक्त को परामर्श देना चाहिए कि वह विभिन्न दलों के नेताओं को बुला कर केन्द्रीय हाल में इस मामले पर चर्चा कर लें, मैं इस बात की अनुमति दे दूंगा।

†श्री अ० कु० सेन : मेरे विचार में इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या इस सम्बन्ध में ?

†श्री अ० कु० सेन : इस चुनाव व्यय के सम्बन्ध में यदि ऐसी चर्चा नहीं हुई, तो मैं उन्हें इस सदन की राय बतला कर ऐसा करने को कहूंगा।

†अध्यक्ष महोदय : जब इस प्रकार की बैठक बुलाई जाय तो माननीय सदस्यों को उसमें सुझाव देने चाहिए। यदि सम्भव हो तो उन्हें अपने सुझाव मंत्री महोदय के पास पहिले ही भेज देने चाहिए। यदि यह सम्भव हो सके तो मंत्री महोदय तथा चुनाव आयोग को एक छोटा सा ज्ञापन सदस्यों में परिचालित करना चाहिए। इस से सभी माननीय सदस्य इस मामले पर तैयारी कर के आयेंगे और चर्चा से अच्छे परिणाम निकल सकेंगे। यदि ऐसा करने पर भी मतभेद दूर न हुए, तो इस मामले पर इस सदन में चर्चा करने के लिए मैं अनुमति दे दूंगा। अब इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं। अगला प्रश्न।

†कुछ माननीय सदस्य : इस के लिए चार घंटे मिलने चाहिए।

†अध्यक्ष महोदय : चार घंटों की ही अनुमति दे दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान की पुस्तकें

+

†*४१३. { श्री नरदेव स्नातक :
श्री पुन्नूस :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाठ्य पुस्तकों में, विशेषकर विज्ञान की पुस्तकों में छपाई की अनेक अशुद्धियां होती हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय अपना रही है; और

(ग) क्या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). इस प्रश्न का विषय राज्य सरकारों।संघ क्षेत्रों और विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं। जहां तक केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है प्राथमिक और मिडिल विभाग की पाठ्य पुस्तकों की कुछ गलतियां शिक्षा विभाग, दिल्ली के ध्यान में लायी गई हैं जिसने पाठ्य पुस्तकों की पूर्ण रूप से जांच करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों की एक समिति बनायी है ।

†**श्री नरदेव स्नातक** : स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों, खास कर साइंस की पुस्तकों, को प्रिंट और प्रेस्क्राइब होने से पहले क्या सम्बन्धित अधिकारी को दिखला दिया जाता है ?

डा० केसकर : जैसा यहां पर कहा गया, यह प्रश्न अधिकांशतः राज्य सरकारों और यूनिवर्सिटीज से सम्बन्धित है। जहां तक केन्द्रीय टेरिटरीज का सम्बन्ध है, जो राज्यों के शिक्षा विभाग हैं उन को पुस्तकें दिखलाना आवश्यक नहीं है। लेकिन जब पुस्तक पास की जाती हैं, या यूनिवर्सिटी अथवा शिक्षा विभाग उस को मानता है, तब उसे देखा जाता है ।

श्री नरदेव स्नातक : विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, क्या उन के नाम मैं जान सकता हूं ?

डा० केसकर : दिल्ली में जो कमेटी बनी है, उस में ५ मेम्बर हैं और उस के मुख्य हैं श्री हरिश्चन्द्र ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री जी को पता है कि पाठ्य पुस्तकों का चयन करने में मर्जी, पात्र, मेहरबानी और कई ऐसी और बातों पर गौर किया जाता है, जिस की वजह से प्राइवेट पब्लिशर्स और शिक्षा विभाग गलतियों को दुरुस्त नहीं करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में सरकार पाठ्य पुस्तकों को नेशनलाइज़ करेगी, जिस से कि कम से कम साइंस की किताबों में गलतियां न हो सकें ।

डा० केसकर : जिन गलतियों का यहां जिक्र किया गया है, वह छोटी गलतियां हैं। वे कोई ऐसी बड़ी भारी चीजें नहीं हैं जिस से कि किताब त्याज्य मानी जाय। मैं समझता हूं कि आगे से खास कर जहां तक केन्द्रीय टेरिटरीज का सम्बन्ध है, शासन का ध्यान इस तरह खींचा गया है कि वह किताबों को ज्यादा गौर से देखे ताकि उन में इस प्रकार की गलतियां न रहें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : राष्ट्रीयकरण के मेरे प्रश्न के बारे में मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का कोई विचार है।

डा० केसकर : मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रपोजल इस समय नहीं है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** क्या इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं इन स्वीकृत प्रविधिक शब्दों को अनुवाद के बिना ही उन्हें मूलरूप में रखा जाय।

†**डा० केसकर :** प्रश्न और उत्तर पाठ्य पुस्तकों में की गलतियों के सम्बन्ध में हैं। माननीय सदस्य का यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, परन्तु उसका इस मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : जो हिदायतें संघीय क्षेत्रों के अधिकारियों को, विशेष कर दिल्ली राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दी गई हैं कि विज्ञान की पुस्तकों में उचित संशोधन किया जाय और उन में गलतियां न रहने दी जायें, इस आदेश के बाद क्या कोई सुधार हुआ है और क्या उन पुस्तकों में गलतियां कम हो गई हैं ?

डा० केसकर : मैंने उत्तर में कहा था कि दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने एक एक्स्पर्ट्स की कमेटी बनाई है, वह इन सब पुस्तकों की जांच कर रही है, और यह भी बतलाया था कि उन में कोई बड़ी गलतियां नहीं हैं। छोटी गलतियां हैं, जिससे पुस्तक का जो मुख्य महत्व है, वह कम नहीं होता।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन पुस्तकों का सम्बन्ध है, क्या यह अंग्रेजी की पुस्तकों में हैं या कि हिन्दी अथवा दूसरी भाषाओं की पुस्तकों में भी हैं ? और यह पुस्तकें हिन्दी और दूसरी भाषाओं में भी निकाली जाती हैं या वे केवल अंग्रेजी में ही निकाली जाती हैं ?

डा० केसकर : इस सम्बन्ध में मैं इस समय कोई जवाब नहीं दे सकता क्योंकि पुस्तकों की तफसील मेरे पास नहीं है। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट होने के बाद कुछ मालूम हो सकेगा। तब और आनरेबिल मेम्बर चाहें तो वह मालूम किया जा सकता है।

†**श्री त्यागी :** क्या इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन प्रविधिक और वैज्ञानिक शब्दावलि का अनुवाद करते समय पाठ्य पुस्तकों में सामान्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ताकि उसमें शब्दों को व्यक्त करने में विशेष अन्तर नहीं रहना चाहिये ?

†**डा० केसकर :** उत्तर में जिन पुस्तकों का उल्लेख किया गया है उनके सम्बन्ध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य को पता ही है कि सरकार सामान्य प्रविधिक शब्दों को तैयार करने का प्रयत्न कर रही है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि ये शब्द एक जैसे हों, उनमें कोई अन्तर नहीं आना चाहिये और उसके अनुवाद को सर्वत्र मान्यता मिलनी चाहिये।

†**श्री त्यागी :** तो क्या यह समझा जाय कि जो इस प्रकार के स्वीकृत प्राविधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा उसकी पुस्तक को पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा ?

†**डा० केसकर :** यह प्रश्न प्रविधिक शब्दों के अनुवाद कार्य को समाप्त होने पर उत्पन्न होगा। यह कार्य अभी किया जा रहा है परन्तु अभी समाप्त नहीं हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इलापाल चौधरी** : गलतियों के अतिरिक्त इन वैज्ञानिक पुस्तकों के चित्र तथा रेखा चित्र भी स्पष्ट नहीं हैं। इससे विद्यार्थी को यह सरलता से समझ में नहीं आता कि उसे क्या समझाया जा रहा है।

†**डा० केसकर** : इस प्रश्न के सम्बन्ध में कोई सामान्य परिणाम निकाल लेना तो कठिन है। विभिन्न राज्यों की अलग अलग बात है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हैं। मैं तो केवल संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में यहां प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं और मेरा वह उत्तर मूलरूप में वही है जो मैं पहले दे चुका हूं।

† **डा० सुशीला नायर** : विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों का स्टैण्डर्ड निर्धारित करन क लिय और सब राज्यों को इस मामले में एक स्तर पर लाने के लिये क्या किया जा रहा है, क्या यह उचित नहीं होगा कि कुछ ऊंचे स्तर की विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करवा दिया जाये जिससे कि विज्ञान के पढ़ाने में कोई विशेष कठिनाई न हो और एकरूपता रहे।

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्या की प्रस्थापना बहुत अच्छी है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ऊंचे स्तर की विज्ञान की पुस्तकों को निर्धारित करने का अधिकार विश्वविद्यालयों को होता है। ये विश्वविद्यालय अपने औचित्य अथवा अनौचित्य को देख कर कोई पुस्तक निर्धारित करते हैं। फिर भी हम देखेंगे कि इस दिशा में आगे से अधिक एकरूपता लाई जाय।

†**डा० सुशीला नायर** : विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त विद्यार्थी अंग्रजी जानते हैं अत: कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वे अन्य पाठ्य पुस्तकें पढ़ सकते हैं। परन्तु हाई स्कूल तक विज्ञान के लिये प्रादेशिक भाषाओं में अच्छी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहियें। क्या इस के लिये मंत्रालय कोई प्रयत्न कर रहा है ?

†**डा० केसकर** : जहां तक हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान की पुस्तकों का संबंध है, इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उस से संबंधित प्राविधिक शब्दों का अनुवाद न हो जाय और यह कार्य अभी चल रहा है।

†**डा० मा० श्री० अणे** : यदि इस प्रश्न का विस्तार क्षेत्र केवल दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है तो क्या माननीय मंत्री उत्तर देने के पूर्व अभी तक प्रकाशित विज्ञान की पुस्तकों की मुद्रण संबंधी अशुद्धियां देखने की कृपा करेंगे ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना। मैं ने कहा था कि यह प्रश्न ऐसे मामलों से संबंधित है जो राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और मैं केवल संघ राज्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में ही उत्तर दे सकता हूं। संघ राज्य क्षेत्रों का तात्पर्य केवल दिल्ली से ही नहीं है वरन् देश के अन्य संघ राज्य क्षेत्र भी उस में आ जाते हैं। राज्यों और विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं।

श्री दलजीत सिंह : इन किताबों में संस्कृत के बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज लिखे जाते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कोई ऐसी हिदायत की जा रही है कि हिन्दुस्तानी लफ्ज लिखे जायें जिन को सब समझ सकें ?

†**डा० केसकर** : इस प्रश्न का वर्तमान प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिवपुर बनस्पति उद्यान

†*४१४. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत के वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की इमारत के निर्माण के लिये शिवपुर वनस्पति उद्यान की जमीन हस्तान्तरित कर दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस जमीन को केन्द्रीय सरकार को देने में इस असाधारण देरी का क्या कारण है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां, २१ नवम्बर, १९६० को ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या भारत के वनस्पति सर्वेक्षण विभाग का मुख्य कार्यालय, जो अभी कलकत्ता में स्थित है, स इमारत में बदल दिया जायेगा ?

†डा० म० मो० दास : हां, श्रीमान्, जब नई इमारत बन चुकेगी ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस इमारत के निर्माण के लिये कोई उपबन्ध किया जा चुका है और यदि हां, तो वह राशि कितनी है ?

†डा० म० मो० दास : जहां तक मुझे याद है इस इमारत के दूसरी योजनावधि में निर्माण के लिये लगभग ८$^{1}/_{2}$ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। परन्तु मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस परियोजना का कुछ व्यय पश्चिमी बंगाल सरकार भी देगी अथवा समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार ही भुगतेगी ?

†डा० म० मो० दास : समस्त व्यय केन्द्रीय सरकार ही भुगतान करेगी ।

गोदावरी घाटी में तेल का सर्वेक्षण

†४१६ श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी की घाटी में तेल के अन्वेषण के लिये भूकम्पीय सर्वेक्षण कब शुरू किया जायेगा; और

(ख) इस काम के लिय १९६०–६१ में कितनी रकम निर्धारित की गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : (क) भूकम्पीय सर्वेक्षण के पूर्व किये जाने वाले भूतत्वीय मानचित्र अंकन तथा अन्य सर्वेक्षणों के १९६१ की तीसरी अवधि में समाप्त होने की आशा है । उस के पश्चात् तुरन्त ही भुकम्पीय सवक्षण प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(ख) सर्वेक्षणों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में गोदावरी घाटी का प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्मिलित है । इसलिये इस के लिये कोई निर्दिष्ट आवेदन नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या भूतत्वीय मानचित्र अंकन में भभौतिकीय अनुसंधान भी सम्मिलित है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** पहले हमें भूतत्वीय मानचित्र अंकन समाप्त करना है और उस के बाद दूसरा प्रक्रम भूभौतिकीय मानचित्र अंकन होगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस क्षत्र में भूतत्वीय मानचित्र अंकन कब प्रारम्भ किया गया था ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता जिस दिन वह प्रारम्भ किया गया था परन्तु इस समय वह कार्य चल रहा है ।

†**श्री महन्ती :** यह सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जा रहा है अथवा किसी गैर-सरकारी संस्था को यह कार्य सौंपा गया है ?

†**श्री गजन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मैं बता चुका हूं कि भूतत्वीय मानचित्र अंकन भारत के भूत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है ।

†**श्री त०ब० विट्ठलराव :** पिछले वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि ये भूकम्पीय सवक्षण १२ दल कर रहे हैं : क्या मैं जान सकता हूं कि वे दल अभी कहां कहां कार्य कर रहे हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के भूतत्वीय दल समस्त देश में फैले हुए हैं । जहां तक गोदावरी घाटी का संबंध है, हम ने लगभग एक साल पहले प्रारम्भिक सर्वेक्षण शुरू किया था और अब आगे का कार्यक्रम निश्चित नहीं है क्योंकि हम जो आंकडे प्राप्त कर चुके हैं उन का प्रविधिक निर्धारण अभी किया जाना है । जब इस भूतत्वीय सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप कोई प्रोत्साहित करने वाले परिणाम उपलब्ध होंगे तब हम भूकम्पीय सर्वेक्षण प्रारम्भ करेंगे परन्तु यह कार्य अगले वर्ष की समाप्ति के पूर्व नहीं किया जा सकता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या भूकम्पीय सर्वेक्षण के साथ गुरुत्व एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण भी किया जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** भूभौतकीय सर्वेक्षण में गुरुत्व एवं जुम्बकीय सवक्षण सम्मिलित है ये सभी कार्य किये जायेंगे ? खुदाई प्रारम्भ करने के पूर्व भूकम्पीय सर्वेक्षण अन्तिम सर्वेक्षण है ।

पाकिस्तान में हैदराबाद राज्य के रुपये का अनधिकृत रूप से निकाला जाना

†***४१७. श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या गृह-कार्य मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से २ करोड़ ३५ लाख रुपया वसूल करने के लिये और क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ख) इन प्रयत्नों का स्वरूप क्या है ?

†**गृह-मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से क्या प्राथना की थी और केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार की उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से इस रकम की वसूली के लिये कदम उठाने की प्रार्थना की थी ?

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या भारतीय वित्त मंत्री पाकिस्तान के वित्त मंत्री के साथ जो आजकल दिल्ली आये हुए हैं इस विषय पर बात करेंग ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : संभवतः नहीं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जनगणना सम्बन्धी प्रश्नावली

†*४०६. **श्री गोरे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नयी जनगणाना प्रश्नावली में आसाम की १९५१ की जनगणना प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया ;

(ख) इन प्रश्नों को शामिल न करने का कारण क्या है ?

(ग) क्या इन प्रश्नों को शामिल न करने के बारे में कोई विवाद उठा था; और

(घ) यदि हां, तो इस से प्रभावित व्यक्तियों के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). १९५१ की जनगणना में प्रत्येक राज्य सरकार को जनगणना प्रश्नावली में एक प्रश्न जोड़ने की अनुमति दी गई थी । आसाम सरकार ने स्थानीय व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक प्रश्न जोड़ा था । अब यह निर्णय किया गया है कि १९६१ की जनगणना प्रश्नावली में राज्य सरकारें कोई प्रश्न न जोड़ें ।

(ग) और (घ). विवाद तो कोई नहीं उठा है परन्तु हाल में एक सुझाव प्राप्त हुआ था जो स्वीकार नहीं किया जा सका ।

भारतीय वायु सेना केन्द्र, पूना

†*४१५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वायु सेना के पूना केन्द्र के असैनिक कर्मचारियों से, वहां के कुछ अफसरों द्वारा कर्मचारियों को गैर-कानूनी और नृशंसतापूर्वक यंत्रणा पहुंचाने और मारे पीटे जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार न इन शिकायतों के बारे में जांच की है; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) एक असैनिक कर्मचारी ने एक पत्र भेजा था जिस में भारतीय वायु सेना के कर्मचारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें और आरोप थे । भारतीय वायु सेना का कोई पदाधिकारी उस में अन्तर्ग्रस्त नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). उस मामले की असैनिक पुलिस द्वारा जांच की गई थी। जांच के पणिामस्वरूप चार वायुसैनिकों को भारतीय दंड संहिता की धारा ३४३,३३०,३३१ और ३४ के अन्तर्गत दोषी पाया गया है। उन पर वायु सेना अधिकारियों द्वारा साक्ष्य की समाप्ति पर वायुसेना-न्यायालय (कोर्ट मार्शल) में मुकदमा चलाया जायेगा ।

अभ्रक का निर्यात

†*४१८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री अरबिन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक अभ्रक के निर्यात में कितनी कमी हुई है;

(ख) भविष्य में निर्यात की क्या संभावना है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने में रुचि ले रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). प्रश्न का उत्तर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री किसी अगली तारीख को देंगे ।

आसाम की चाय पर उत्पादन-शुल्क

†*४१९. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आसाम की चाय पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क में उपयुक्त परिवर्तन करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: आसाम सरकार ने यह अनुरोध किया था कि चाय पर आसाम सड़क वहन शुल्क और पश्चिमी बंगाल प्रवेश शुल्क हटाकर कोई केन्द्रीय कर लगा दिया जाय जो उत्पादक राज्यों को अपने उत्पादन के अनुपात से वितरित किया जाय ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

नागार्जुनसागर परियोजना और श्रीशलम परियोजना का एकीकरण

†*४२०. **श्री रामी रेड्डी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की परियोजना सम्बन्धी समिति ने नागार्जुनसागर परियोजना और प्रस्तावित श्रीशलम परियोजना के एकीकरण की सम्भाना की जांच की है और अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार के टिप्पण की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आन्ध्र में अकाल

†*४२१. श्री कोडियान :
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा जिले के दुर्भिक्षग्रस्त इलाकों में सहायता कार्य के लिये आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्रीय सरकार से किस किस्म की और कितनी सहायता मांगी है ;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या और कितनी सहायता दी गई है ?

(ग) क्या राज्य सरकार ने रायलसीमा में अकाल की पुनरावृत्ति को रोकने के दीर्घ-कालीन उपायों की कोई योजना पेश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की स्थूल रूप रेखा क्या है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). दुर्भिक्ष के सहायता कार्य के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है । परन्तु रायलसीमा की दुर्भिक्ष की स्थिति का विचार करके उसका गेहूं का मासिक कोटा ६,००० टन से बढ़ा कर ८,००० टन कर दिया गया है और चावल का कोटा २५,००० टन से बढ़ाकर ५०,००० टन कर दिया गया है । अभी तक उन्हें ३५,५०० टन चावल आवण्टित किया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

†*४२२. डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सरकारी कर्मचारियों के काम की हालतों का अध्ययन करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें से किसी शहर में इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया है; और

(ग) इस अध्ययन के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसरण में कर्मचारियों के कल्याण की वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण करने और उसके सुधार की सिफारिशें करने के लिये एक अन्तर्विभागीय समिति नियुक्त की गई है। समिति ने अभी तक कलकत्ता और बम्बई का दौरा किया है और उसके मार्च, १९६१ के अन्त तक प्रतिवेदन दे देने की संभावना है।

सड़क परिवहन संगठनों पर आय-कर

†*४२३. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राज्य परिवहन संगठनों से जिन्हें (१) विभागीय रूप से चलाया जाता है; और (२) राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगमों के द्वारा चलाया जाता है; आय-कर लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इन विभागों अथवा निगमों से १९५६–५७, १९५७–५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में कितना कितना आय-कर वसूल किया गया ?

†राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) (१) नहीं, श्रीमान्।

(२) हां, श्रीमान्। राज्य सरकारों द्वारा परिवहन सेवायें चलाने के लिए स्थापित निगमों पर भारतीय आय-कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लगाया जा सकता है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) (१) के उत्तर को देखते हुये विभागीय तौर से चलाए जाने वाले राज्य परिवहन संगठनों से अभी तक वसूल किए गए कर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जहां तक राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निगमों के माध्यम से चलाई जाने वाली राज्य परिवहन सेवाओं से वसूल किए गए कर की राशि का सम्बन्ध है, आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

टीन की प्लेटें

†*४२४. श्री अ० मु० तारिक : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले २ वर्षों में देश में टीन की प्लेटों और छड़ों की भीषण कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) टीन की प्लेटों से सम्बन्धित उद्योग में आगामी दो वर्षों तक कमी होने का कोई खतरा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पदाधिकारियों के वेतन क्रम

†*४२५. { श्री सूपकार :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ४ अगस्त, १९६० के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा सेवाओं के पदाधिकारियों के पुनरीक्षित वेतन-क्रमों के सम्बन्ध में रघुरामैया समिति की शेष सिफारिशों की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या निश्चय किये गये हैं ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) हां, श्रीमान्। जांच अभी जारी है।

(ख) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १]

आंग्ल-भारतीय शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†*४२६. { श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंग्ल-भारतीय सम्प्रदाय के प्रतिनिधियों और आंग्ल-भारतीय विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल को, जिसने श्री फ्रैंक एन्थनी के नेतृत्व में प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री से मुलाकात की थी, उस सम्प्रदाय द्वारा संचालित संस्थाओं को शिक्षा अनुदान मिलते रहने और नौकरियों में आंग्ल-भारतीय सम्प्रदाय के लिये रक्षित कोटे को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था ;

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री के सामने कोई विशिष्ट मांगें रखी थीं ; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या थीं और सरकार ने उनके बारे में क्या निश्चय किया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). प्रतिनिधि मंडल ने यह प्रार्थना की थी कि संविधान के अनुच्छेद ३३६ और ३३७ को पुनर्जीवित किया जाये और आंग्ल-भारतीय शिक्षा संस्थाओं के लिये अनुदान और उनको पहले मिलने वाली रोजगार की सुविधायें जारी रखी जायें। यद्यपि उन अनुच्छेदों का पुनर्जीवित किया जाना मुझे ठीक नहीं लगा परन्तु मैंने उनकी प्रार्थना के प्रति सहानुभूति प्रकट की। मैंने उनसे कहा कि मैं राज्य सरकारों से इन संस्थाओं को अनुदान और सहायता जारी रखने के लिये पहले ही कह चुका हूं और रेलवे मंत्रालय भी उनके रोजगार के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये सहमत हो गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास को हार्ड कोक का संभरण

†*४२७. श्री नरसिंहन् : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में ढलाई उद्योग के लिये अपेक्षित हार्ड कोक की भीषण कमी है ;

(ख) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कोक-भट्टी संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रस्थापना का ब्यौरा पटल पर रखेगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) बंगाल/बिहार से निकासी की कठिनाइयों के कारण संभरण कम हुआ है ।

(ख) और (ग). मद्रास सरकार एक कोक भट्टी संयंत्र स्थापित करना चाहती है परन्तु योजना का ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

†*४२८. डा० विजय आनन्द : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने १ अगस्त, १९५८ से कोई वार्षिक रिपोर्टें पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी प्रतियां पटल पर रखी जायेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये रिपोर्टें अभी तक पेश क्यों नहीं की गयीं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). न्यास ने अपने पहले तीन वर्षों १ अगस्त, १९५७ से १ सितम्बर, १९६० तक के कार्यों का प्रतिवेदन तैयार किया है । यह प्रतिवेदन न्यासधारियों में टिप्पण हेतु परिचालित किया गया है । टिप्पण प्राप्त हो जाने पर उसे अंतिम रूप दे कर मुद्रित किया जाएगा । तत्पश्चात् उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लघन

†*४२९ { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया का एक डायेरेक्टर विदेशी मुद्रा विनियम उल्लंघन मामले में फंसा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) क्या वह जीवन बीमा निगम बोर्ड का सस्य भी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मामले के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा विनियम प्रख्यापन निदेशक द्वारा जांच की जा रही है इसलिए अभी उसका ब्यौरा प्रकट करना वांछनीय नहीं है । ऐसा करने से जांच में बाधा आ सकती है ।

(ग) जी, नहीं; की जाने वाली कार्यवाही का निर्णय जांच पूर्ण होने पर प्रख्यापन निदेशक द्वारा किया जायेगा ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

†*४३०. श्री तंगामणि :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :
श्री याज्ञिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आज्ञानुसार जिन सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमों को अदालत से वापस ले लिया गया है, उन्हीं के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ?

†गृह मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). ऐसे मामले हो सकते हैं परन्तु हमारे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है ।

लाल किले की दीवार का गिरना

†*४३१. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९६० के प्रथम सप्ताह में लाल किले की दीवार के गिरने से ३ व्यक्तियों के मरने और ३ व्यक्तियों के घायल होने की घटना किन परिस्थितियों में घटी ;

(ख) क्या इस दुर्घटना की कोई जांच की गयी; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) से (ग). जो दीवार गिरी थी वह लाल किले के अन्दर पिस्टल फायरिंग रेंज की दीवार थी । उसकी जांच की गई थी और उसकी उपपत्तियों की सैनिक अधिकारियों द्वारा अभी तक जांच की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल सम्बन्धी गतिविधियां

†*४३२. श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल सम्बन्धी सभी कार्यों की देख रेख करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त प्रबन्ध बोर्ड स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस नये प्रबन्ध की क्या आवश्यकता है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

आयुध कारखानों में प्रबन्ध परिषदें

†*४३३. श्री कुन्हन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयुध कारखानों के प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लेने के लिए संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की योजना प्रारम्भ करने का विचार है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†*४३४. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अमजद अली :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रा० च० शर्मा :
श्री याज्ञिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी कर्मचारियों को, जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लिया था, वापस काम पर ले लिया गया हैं;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे कितने आदमी हैं जो अभी बाहर हैं; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) (१) मौत्तल कर्मचारियों की संख्या . . १५६४

(२) बर्खास्त किये गये या हटाये गये कर्मचारियों की संख्या ३७९

†मूल अंग्रेजी में

(३) नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों की संख्या १९१

(ग) काम पर वापस न लिये गये कर्मचारी वे हैं जो हड़ताल के दौरान घोर कदाचार, अभित्रास, हिंसा अथवा अन्तर्ध्वंस के अपराधी पाये गये हैं ।

उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण

*४३५. श्री भक्त दर्शन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २२ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी के प्रदेशों में कुछ वर्ष पूर्व जो तेल सर्वेक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया था उसके अन्तर्गत किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया;

(ख) उक्त प्रत्येक प्रदेश के बारे में क्या फल निकला और उन से क्या निष्कर्ष निकाला गया; और

(ग) उनके बारे में क्या भावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) उत्तर प्रदेश में हिमालय की तलहटी के समस्त भाग का प्राथमिक सर्वेक्षण हो चुका है। ध्यान योग्य स्थानों के विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण का कार्य चल रहा है ।

(ख) दो ध्यान योग्य स्थानों का पता चला है : (१) सहारनपुर और देहरादून जिलों में मोहन्द भंजचाप (२) गढ़वाल और नैनीताल ज़िलों में कालागढ़-पौवलगढ़ भंजचाप इन स्थानों की भूभौतिकीय तथा अन्य तरीकों से आगामी जांच आवश्यक समझना संभव हो सकता है ।

(ग) इन दो स्थानों का विस्तृत भूगर्भीय मानचित्रण पूर्ण होने पर आगामी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

तीसरी योजना के लिये रूस द्वारा ऋण

†*४३६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री ३० अगस्त, १९६० के अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए रूस सरकार द्वारा दिये गये ६० करोड़ रुपये के ऋण को किस प्रकार और किन कामों के लिए उपयोग करना है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख). वह ऋण किस तरह और किस प्रयोजन के लिए खर्च किया जायेगा इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस मामले की रूस के सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की जायेगी जिसके अगले महीने में नई दिल्ली पहुंचने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरसुआ खान

†*४३७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरसुआ खान से रूरकेला इस्पात संयंत्र को लौह-अयस्क का संभरण होने लगा है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार को बरसुआ खान से कब तक संभरण शुरू होने की आशा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान्। बरसुआ की यंत्रीकृत खानों से परीक्षात्मक संभरण शुरू हो गया है और नियमित संभरण थोड़े दिनों में शुरू हो जायेगा ।

ज्वालामुखी में तेल छिद्रण

†*४३८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम राज :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी में तेल छिद्रण के कार्य में और क्या प्रगति हुई है;

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में पायी गयी प्राकृतिक गैस के बारे में इस बीच और अनुमान लगाया गया है; और

(घ) और कुएं खोदने के लिए आगे क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० डे० मालवीय) :** (क) ज्वालामुखी का गहरा कुंआ संख्या २ की खुदाई १८-११-१९६० तक ९०२ मीटर तक हो चुकी हैं ।

(ख) खुदाई अभी चल रही है । अभी तक कोई खास बात नहीं पाई गई है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

(घ) ज्वालामुखी में अग्रेतर खुदाई कार्यक्रम कुंआ संख्या २ के परिणामों पर निर्भर करेगी ।

मुस्लिम लीग

†*४३९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री तंगामणि :
श्री आसर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संघ की मुस्लिम लीग ने अभी हाल में मद्रास में एक सम्मेलन किया था;

(ख) क्या मुस्लिम लीग ने पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक सूचियां बनाने, मुसलमानों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने और नौकरियों में स्थान रक्षित करने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इन मांगों के बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) १७ और १८ सितम्बर, १९६० को मद्रास में तामिलनाड मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ था ।

(ख) संकल्प स्वीकार कर के यह आग्रह किया गया कि निर्वाचन प्रणाली में इस प्रकार संशोधन किया जाये जिससे संसद् और राज्य विधानमंडलों में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलस के तथा यह निवेदन किया गया कि सामूहिक मतदान वाली बहुसदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्रों तथा एक संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अन्य प्रणालियों के बारे में विचार किया जाये। एक और संकल्प स्वीकार करके सम्मेलन ने भारत सरकार और मद्रास सरकार से यह आग्रह किया कि मुसलमानों को सभी सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये ?

(ग) संकल्प में निर्वाचन की पद्धति में परिवर्तन करने का जो सुझाव दिया है उसके बारे में विचार करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है और न ही वह साम्प्रदायिकता के आधार पर सरकारी सेवाओं में कोई संलक्षण करना चाहती है ।

आसाम में जनगणना

†*४४०. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि आसाम में जनगणना का कार्य कुशलतापूर्वक और सही तरीके से हो ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों की भी गणना की जायेगी जो उपद्रवों के कारण अस्थायी रूप से विस्थापित हो गये हैं और इसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ;

(ग) क्या भाषा-वर्गों का उल्लेख पृथक रूप से किया जायेगा ; और

(घ) किन-किन भाषा-वर्गों का आलेखन किया जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) नवम्बर, दिसम्बर, १९६० और जनवरी, १९६१ में गणना करने वाले कर्मचारियों को पूरी शिक्षा दी जायेगी। प्रशानिक मामलों में सहायता लेने तथा ऐसी व्यवस्था करने के लिये जिससे जनगणना ठीक-ठीक तरीके से तथा सही रूप में हो सके, राज्य सरकार का सहयोग लिया गया है ।

(ख) जनगणना फरवरी के अन्तिम सप्ताह में होगी और यह आशा की जाती है कि उस समय तक के व्यक्ति अपने अपने घर आ जायेंगे जो कहीं चले गये हैं ।

(ग) और (घ). प्रत्येक व्यक्ति की जो मातृभाषा होगी, उसका अभिलेख रखा जायेगा । इसके अलावा वह जो अन्य भाषा बोलता हो अथवा समझता हो उसका भी अभिलेख रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्मिलित रक्षित पुलिस बल

†*४४१. श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :

क्या गृह-कार्य मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण जोन के लिये सम्मिलित रक्षित पुलिस बल में वहां के राज्य सम्मिलित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो व्यय का अभिभाजन किस प्रकार किया जायेगा ; और

(ग) इस सम्मिलित पुलिस बल का मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित होगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) योजना में यह उपबन्ध किया गया है कि एक सम्मिलित पुलिस बल की रचना करने के लिये, ताकि आपात काल में जोन में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता ली जा सके, जोन के राज्यों के वर्तमान रक्षित पुलिस बल में से निश्चित संख्या में पुलिस के आदमी ले लिये जायें। उस पुलिस बल का व्यय सदस्य-राज्यों द्वारा किया जायेगा ।

(ग) योजना में उस पुलिस बल के मुख्यकार्यालय के स्थान के बारे में नहीं बताया गया है । सदस्य-राज्यों द्वारा नियत किये गये एकक संबंधित राज्यों में स्थित रहेंगे ।

अनुसंधान पत्रों का गुम होना

†*४४२. श्री गोरे :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का एक पदाधिकारी प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुसन्धान विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कागजों को, जो नई किस्म की राइफलों के अनुसन्धान के बारे में थे, लेकर भारत से चला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने भारत कब छोड़ा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह पाकिस्तान में है ; और

(घ) इन कागजों को प्राप्त करने के लिये और इस पदाधिकारी को गिरफ्तार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†नून अंग्रेजी में

युवकों में राष्ट्रीय भावना

†*४४३. **श्री राधा रमण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के युवकों में, विशेषत: स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिये एक राष्ट्र-व्यापी कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस कार्यक्रम को किस प्रकार लोकप्रिय बनाया जायेगा और क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). यह विषय विचाराधीन है ।

पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन का सम्मेलन

†*४४४. **श्री तंगामणि :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन के सामान्य सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एशियाई पत्रकार संस्था की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संस्था का स्वरूप और कृत्य क्या होंगे; और

(ग) यह संस्था कहां पर स्थापित की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) भारतीय प्रतिनिधिमंडल से यूनेस्को महासम्मेलन से एशिया में पत्रकार संस्था स्थापित करने की प्रार्थना करने के लिये कहा गया है ।

(ख) यह विचार है कि संस्था अध्यापकों को पत्रकारिता की शिक्षा दे तथा पत्रकारों और जनसम्पर्क अधिकारियों को रिफ़्रेशर पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करे तथा व्यावसायिक पत्रकारों के बीच विचारों तथा अनुभव के आदान-प्रदान के लिये एक मंच के रूप में काम करे ।

(ग) यदि यह प्रताव स्वीकार कर लिया गया तो यूनेस्को अपने अभिकरणों से परामर्श करने के बाद उसके स्थान के बारे में निश्चय करेगी ।

इस्पात संयंत्र

†*४४५. **श्री कुन्हन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के सभी इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन-क्रम और नौकरी की शर्तें एक जैसी निर्धारित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये न्याय-निर्णयन की कोई व्यवस्था भी की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकारी क्षेत्र की तीन इस्पात परियोजनाओं में लगे कर्मचारियों के वेतन क्रम तथा उनकी सेवा की दशायें हिन्दुस्तान स्टील द्वारा एक सी कर दी गई हैं ; कुछ ही मामले बचे हैं जहां एक परियोजना से दूसरी परियोजना में विशेष प्रकार के काम के कारण तथा भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के कारण, जिन में उन तीन परियोजनाओं की स्थापना की गई थी, मामूली अन्तर है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भाषाई अल्पसंख्यक

†*४४६. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्री ने विभिन्न राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं के बारे में सितम्बर, १९६० में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किये गये थे; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय निदेश जारी किया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा हुई थी कि राज्य सरकारों के संबंध में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की क्या स्थिति है । उपस्थित राज्य मंत्री सामान्य रूप से इससे सहमत हुए कि आयुक्त के सुझावों की ओर और अधिक ध्यान देना चाहिये ।

(ग) कार्यवाही का विवरण मुख्य मंत्रियों के पास भेज दिया गया है ।

सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के बच्चों के लिये शिक्षा

*४४७. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के प्रश्न के बारे में, जिस पर विचार किया जा रहा था, कोई निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्वीकृत योजना के सम्बन्ध में एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं । एक योजना सेवाओं के मुख्य कार्यालय में निरीक्षणाधीन है । चूंकि इस मामले में शासन-सम्बन्धी, आर्थिक और दूसरे कई प्रश्न उलझे हुए हैं, और उनके परिणाम-स्वरूप उनकी प्रतिक्रियायें भी, इस में कुछ समय लगेगा । परन्तु, सरकार, इस के महत्व का पूरा पूरा ध्यान करते हुए, किसी उपयुक्त योजना को शीघ्र, अन्तिमरूप देने में हर यत्न करेगी ।

(ख) यह प्रश्न, इस समय नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पेट्रोलियम संस्था

†*४४८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ६ सितम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम संस्था की स्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस संस्था पर कितना आवर्तक और अनावर्तक व्यय होने का अनुमान है ; और

(ग) इस व्यय का कितना भाग फ्रांस की पेट्रोलियम संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) देहरादून में संस्था के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से बात चीत की जा रही है । जो स्थान उपयुक्त समझा गया है वहां उपलब्ध पानी के संबंध में परीक्षण भी किये जा रहे हैं । प्रयोगशाला भवनों के नक्शे बनाने तथा निर्माण करने के लिये वास्तुकला विशारद नियुक्त कर दिये गये हैं । इस बीच कर्मचारियों को प्रशिक्षण, सांख्यकीय अध्ययन, प्रारम्भिक वैज्ञानिक अनुसंधानों आदि का काम आरम्भ कर दिया गया है । इस काम के लिये अस्थायी रूप से केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में स्थान ले लिया गया है । रिफाइनिंग तथा पेट्रोकैमिस्ट्री और यूटीलाइजेशन के दो विभागों के अध्यक्ष के रूप में दो फ्रांसीसी विशेषज्ञ संस्था में आ गये हैं ।

(ख) अगले पांच वर्षों में आवर्तक और अनावर्तक व्यय क्रमश : ८५.२५ लाख रुपये तथा १८३.३० लाख रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) फ्रांसीसी पेट्रोलियम संस्था भारत में फ्रांसीसी विशेषज्ञों के लगाने पर १०.४० लाख रुपये और प्रशिक्षार्थियों को भारत से फ्रांस भेजने पर लगभग ८ लाख रुपये व्यय करेगी ।

लौह-अयस्क की उत्पादन-लागत

†*४४९. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा खनन निगम द्वारा उत्पादित लौह-अयस्क का रेलपर्यन्त निशुल्क मूल्य १७.५० रु० प्रति टन है जबकि अन्य खान-मालिकों को लागत मूल्य १०.५० रु० प्रति टन है ;

(ख) क्या उड़ीसा खनन निगम द्वारा उत्पादित अयस्क की लागत इतनी अधिक होने के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) लौह अयस्क का रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्रत्येक खान का दूरी के आधार पर अलग अलग होता है ; अतः उस से यह सोचना व्यर्थ है कि निगम कार्य कुशल है अथवा नहीं । खान पर उत्पादन की औसत लागत १९५९-६० में १०.३१रुपये थी जो गैर-सरकारी खानों में उत्पादन की लागत के मुकाबले में कम ही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजनैतिक प्रदर्शनों में विद्यार्थियों का भाग लेना

†*४५०. **श्री वी० वं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के पुलिस इन्सपेक्टर-जनरलों के सम्मेलन में की गई इस सिफारिश की जांच के बारे में, कि राजनैतिक प्रदर्शनो में विद्यार्थियों तथा अन्य युवकों का उपयोग करने पर कानून द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया जाये, क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कार्यावाही करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सिफारिश अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तांबे के खनन के लिय पोलैंड द्वारा सहायता

†*४५१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तांबें के खनन के विकास में सहायता के बारे में पोलड के साथ हो रही बात चीत इस बीच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** :

(क) नहीं, श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उच्च शिक्षा में परीक्षा पद्धति

†*४५२. **श्री तंगामणि** : क्या शिक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में उच्च शिक्षा की परीक्षाओं के बारे में अमरीकन परामर्शदाताओं के दल की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को कितने राज्य लागू कर रहे हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुनरनुस्थापन के लिए मूल्यांकन एकक की स्थापना सम्बन्धी सिफारिशों को स्वीकार तथा लागू किया गया है ;और

(घ) यदि हां, तो किन विश्वविद्यालयों में ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् ये सिफारिशें विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बता दी गई है जिन्हें उनकी कार्यान्विति करना है ।

(ख) क्योंकि सिफारिशें उच्चशिक्षा के बारे में हैं जो कि विश्वविद्यालयों का क्षेत्र है, राज्य सरकारों का उनको अपनाने से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

(ग) और (घ). यद्यपि इस सम्पूर्ण विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्यापक रूप से विचार कर रहा है, फिर भी अलीगढ़, बड़ौदा, पंजाब, सरदार बल्लभ भाई विद्यापीठ और श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालयों ने अपने यहां परीक्षा सुधार एकक स्थापित करने में जो कदम उठाया है, उन्हें उनसे सहायता मिली है अथवा मिलने की संभावना है ।

काश्मीर में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें

†६७४. **श्री दी० चं० शर्मा** . क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा बाद की देखभाल कार्यक्रम के लिये १९५९-६० में जम्मू तथा काश्मीर राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :

कल्याण विस्तार परियोजनायें .....७८,००० रुपये
सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा देख भाल का कार्यक्रम.....२९,००० रुपये

व्यय कर

†६७५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६० से आज तक (राज्यवार) कितना व्यय कर आंका गया, कितना एकत्र किया गया तथा कितना बकाया रहा ; और

(ख) बकाया व्यय कर वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). व्यय कर आयुक्तों से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा तैयार होने पर सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

आयुक्त कारखाना, भंडारा

†६७६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भंडारा में एक आयुध कारखाना स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : भंडारा में विस्फोटक पदार्थ परियोजना की कार्यान्विति की प्रगति योजनानुसार कायम रखी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत प्रारम्भिक भूमि अधिसूचना निकाल दी गई है । आवश्यकता खंड के अन्तर्गत भंडारा में ३००० एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है और उसे प्राप्त करने के थोड़े समय बाद ही २००० एकड़ भूमि और प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जायेगी ।

३. भंडारा सड़क रेलवे स्टेशन से परियोजना के मुकाम तक रेलवे साइडिंग के लिये जगह का सर्वेक्षण किया जा चुका है और रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्त अनुमानों की जांच की जा रही है ताकि काम के लिये मंजूरी दी जा सके ।

४. सरकार की मंजूरी के आधार पर, जो मिल चुकी है, परियोजना के लिये अपेक्षित सभी प्रक्रिया संयंत्र तथा मशीनरी प्राप्त करने के लिये डी जी आई एस डी लन्दन तथा आई एस एम, वाशिंगटन के पास सूची भेज दी गई है ।

५. भवनों सड़कों, सेवाओं आदि के लिये स्थान निश्चित करने तथा सारी बातें तय करने के लिये वर्तमान बोर्ड को दो बार बैठक हुई है ।

६. वैं गंगा नदी से पानी तथा राज्य ग्रिड से बिजली की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ सारी व्यवस्था कर ली गई है ।

विश्वविद्यालयों में शौकिया कर्मशालायें

†६७७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शौकिया कर्मशालायें स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २]** ।

नागा विद्रोही

†६७८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में नागा विद्रोहियों तथा मनीपुर पुलिस के बीच १ अप्रैल, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक कितनी मुठभेड़ें हुईं;

(ख) इस अवधि में कितने नागा विद्रोही गिरफ्तार किये गये तथा हिरासत में लिये गये; और

(ग) उक्त अवधि में कितने नागा विद्रोहियों ने अपने आप को पुलिस के सुपुर्द कर दिया ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) ७ ।

(ख) १८ ।

(ग) एक ।

पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

†६७९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५९ से १ अप्रैल, १९६० तक पंजाब उच्चन्यायालय में कितने प्रकार की लेख याचिकायें निबटाई गईं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब कितनी याचिकायें विचाराधीन हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी प्राप्त की जा रही है तथा सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

बस्तर में तांबा अयस्क

†६८०. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर में तांबा अयस्क के निक्षेपों की खोज इस बीच पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो इस खोज के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विस्तृत जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान् । काम अभी जारी है।

(ख) खनिज की किस्म मालूम करने के लिये अब तक जो तीन छिद्र किये गये हैं उनसे यह मालूम हुआ है कि सल्फाइड खनिज के कई खंड हैं जिन में अधिकांशत: पाइराइट है। तांबा सल्फाईड की परतें दूर-दूर पर पाई गई हैं किन्तु अब तक तांबा अयस्क की कोई परत इतनी बड़ी नहीं पाई गई है जो आर्थिक महत्व की हो ।

रॉक फास्फेट

†६८१. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रॉक फास्फट के निक्षेप मालम करने तथा उनकी जांच करने के लिये भारतीय खान विभाग तथा भारत के भूतत्वीय सवक्षण द्वारा कोई प्रयत्न किये गये हों, तो वे क्या हैं;

(ख) रॉक फास्फेट का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) देश में रॉक फास्फट के लगभग कितने निक्षेप हैं; और

(घ) देश में रॉक फास्फेट ढूंढने तथा निकालने के काम को बढ़ाने के लिये क्या कोई योजनायें हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने सिंगभूम जिले में फास्फेट के निक्षेप विस्तार में आंके हैं। दामोदर घाटी के खनिज सर्वेक्षण के सम्बन्ध में खाइयां खोदकर खनिज निकालने का कुछ काम किया गया था। भारतीय खान विभाग ने सिंगभूम के तांबे वाले क्षेत्र में एपाटाइट के निक्षेपों की विस्तृत परीक्षा आरम्भ कर दी है ।

कुछ वर्ष पूर्व भारत के भूतत्वीय सवक्षण ने जिला तिरुचिरापल्ली, मद्रास में यह पता लगाया था कि वहां फास्फेट के पिण्ड उपलब्ध हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापटनम् जिले के सीतारामपुरम क्षेत्र में एपाटाइट के कथित निक्षेपों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण भी किया गया है ।

(ख) इस समय देश में रॉक फास्फेट बिल्कुल भी पैदा नहीं होता। वर्ष १९५८ और १९५९ के एपाटाइट का उत्पादन क्रमश: १४०,८०६ टन और १४,०३० टन हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) फास्फेट निक्षेपों की अनुमानित मात्रा इस प्रकार है :

जिला सिंगभूम, बिहार .	७००,००० टन
जिला तिरुचिरापल्ली, मद्रास . .	८,०००,००० टन
जिला विशाखापटनम, आंध्र प्रदेश . . .	१७०,००० टन

(घ) हां, श्रीमान्। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने मंसूरी (उत्तर प्रदेश); तिरुचिरापल्ली, दक्षिण अर्काट, पांडिचेरी (मद्रास); तथा उड़ीसा और बिहार के उन क्षेत्रों में जहां फास्फेट निक्षेप मिलने की आशा है, इनकी खोज की गई है।

उचित खनन तरीके अपना कर वर्तमान खानों में वर्तमान उत्पादन बढ़ाने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

त्रिपुरा में आदिमजातियों के विद्यार्थी

†६८२. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला के कितने गैर-सरकारी हाई स्कूलों को त्रिपुरा के आदिमजातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के हेतु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार से सहायतानुदान प्राप्त हुआ है;

(ख) उन स्कूलों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक स्कूल को कितनी धनराशि मिली है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्दा) : (क) से (ग). त्रिपुरा प्रशासन द्वारा आदिमजातियों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिये अगरतला के किसी गैर-सरकारी स्कल को सहायतानुदान नहीं दिया गया। तथापि प्रशासन ने कुछ गैर-सरकारी स्कूलों से सम्बद्ध आदिमजातियों के विद्यार्थियों के छात्रावासों के निर्माण पर निम्नलिखित रूप में व्यय किया है :—

छात्रावास से सम्बद्ध स्कूल का नाम	व्यय की गई राशि
१. बार्डवली हायर सेकेन्डरी स्कूल	१०,००० रुपये
२. नेताजी सुभाष विद्या निकेतन हायर सेकेन्डरी स्कूल .	५,००० रुपये
३. प्रगति विद्याभवन हायर सेकेन्डरी स्कूल . . .	१५,००० रुपये

त्रिपुरा में आदिमजाति कल्याण निधि

†६८३. **श्री दशरथ देव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में आदिमजाति कल्याण निधि में से किसी गैर-सरकारी संगठन को अब तक कोई धनराशि दी है;

(ख) यदि हां, तो किन किन संगठनों को धन दिया गया था;

(ग) किस कार्य के लिये धन दिया गया; और

(घ) यदि उन संगठनों ने कार्यों में कोई प्रगति की हो, तो वह क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान

†६८४. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी शिक्षा संस्थाओं ने १९६०–६१ में अब तक अनावर्तक अनुदानों के लिये प्राथनापत्र भेजे; और

(ख) इन में से प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान मंजूर किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) १०२ ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३]**

बम्बई और पूना विश्वविद्यालय

†६८५. **श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अध्ययन के लिये गत चार वर्षों में महाराष्ट्र में बम्बई विश्वविद्यालय और पूना विश्वविद्यालय को क्या क्या सुविधायें दी गईं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

वाणिज्य शिक्षा

†६८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक शिक्षा स्तर पर वाणिज्य शिक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्थापनायें तैयार करने के लिये नियुक्त की गई उप समिति ने क्या कोई प्रगति की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). समिति ने सिफारिश की है कि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम के बाद के दो वर्षों में ही वाणिज्य की शिक्षा दी जाये । माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर वाणिज्य का पाठ्यक्रम या तो वहीं पर पूरा हो जाये अथवा माध्यमिक शिक्षा के बाद वह डिप्लोमा कोर्स के लिये तैयार करने वाला हो । व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उससे वाणिज्य का सामान्य ज्ञान भी अच्छी तरह हो जाना चाहिए ।

गुरदासपुर में आयकरदाता

†६८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के गुरदासपुर जिले में कितने व्यक्तियों पर १९५९-६० के दौरान पचास हजार रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर कर लगाया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : पंजाब के गुरदासपुर जिले के २३ व्यक्तियों पर १९५९-६० के दौरान पचास हजार रुपये से अधिक की वार्षिक आय पर कर लगाया गया है ।

गुरदासपुर जिले में स्मारक

†६८८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० और १९६०-६१ के लिये गुरदासपुर जिले (पंजाब) में संरक्षित स्मारकों में से प्रत्येक की देखभाल तथा विशेष मरम्मत के लिये कितनी धनराशि नियत की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :

(१) १९५९–६०

कोई धन नियत नहीं किया गया ।

(२) १९६०–६१

बटाला में शमशेर खां के मकबरे की वार्षिक देखभाल तथा मरम्मत के लिये ४५० रुपये नियत किये गये हैं ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५

†६८९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत १९५९–६० में तथा १९६०–६१ में अब तक पंजाब में कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

दिल्ली में संस्कृत का प्रचार

†६९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृत के प्रचार के लिय गत दस वर्षों में केन्द्र ने दिल्ली को कोई अनुदान दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितना धन दिया गया ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). भारत सरकार ने संस्कृत की उन्नति व प्रचार के लिये १९५१–५२ से ले कर गत दस वर्षों में दिल्ली में संगठनों तथा व्यक्तियों को १,१७,०१३ रुपये की वित्तीय सहायता दी है । प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	धनराशि
१९५१–५२	शून्य
१९५२–५३	शून्य
१९५३–५४	३,५४० रुपये
१९५४–५५	११,०७४ रुपये
१९५५–५६	१६,२१७ रुपये
१९५६–५७	६,८१३ रुपये
१९५७–५८	११,०१३ रुपये
१९५८–५९	२१,३८७ रुपये
१९५९–६०	३२,०७३ रुपये
१९६०–६१	१४,८९६ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

"पेकिंग रिव्यू" और "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स"

†६९१. श्री प्र० गं० देव :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में भारतीय समाचारपत्रों में "पेकिंग रिव्यू" और "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स" के कोई विज्ञापन प्रकाशित हुए थे; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) भारत सरकार को इसका पता नहीं है कि गत तीन महीनों में भारतीय समाचारपत्रों में कोई ऐसे विज्ञापन प्रकाशित हुए थे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा में नलकूप

†६९२. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिमजाति कल्याण निधि में से त्रिपुरा में कितने नलकूप कहां कहां खोदे गये हैं; और

(ख) उन पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) : १९५१–५२ से १९५९–६० तक १३८ नलकूप तथा १९८ आर० सी० सी० । ईंटों की सतह वाले कुयें बनाये गये । यह कुयें कहां कहां खोदे गये हैं, इसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) २,५०,७४० रुपये ।

रोम ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम

†६९३. श्री अ० मु० तारिक : क्या शिक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६० से तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब भारतीय ओलम्पिक दल रोम से चला तो एक ओलम्पिक खिलाड़ी रह गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसे बाद में रोम जाने की अनुमति दे दी गई; और

(ग) क्या उस खिलाड़ी ने किसी ओलम्पिक खेल में भाग लिया था ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां ।

(ख) वह अपने खर्चे से रोम गया ।

(ग) जी नहीं ।

---

†लम्बू अंग्रेजी में

कगजवे कैम्प, दिल्ली में गुण्डे

†६६४. { श्री प्र० गं० देव :
　　　{ श्री सै० अ० मेहदी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ सितम्बर, १९६० को किंगजवे कैम्प में गुंडों के दो दलों में एक झगड़ा हो गया था जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि पुलिस ने उन गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). ११ सितम्बर, १९६० की रात्रि को निरंकारी कालूनी में दो दलों में एक झगड़ा हो गया था जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति मर गया था। पुलिस ने इस सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की है । घटना के कुछ घण्टों के बाद ही दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था और कुछ दिनों के बाद एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया था । चार व्यक्ति अभी तक पकड़े नहीं गये । मामले की जांच की जा रही है ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति

६९५. { श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
　　　{ श्री भक्त दर्शन :
　　　{ श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या शिक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अब तक समिति की कितनी बैठकें हो चूकी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति की अब तक कुल ९ बैठकें हुई हैं और अब यह समिति अपने निर्णय पर पहुंचने ही वाली है । पूरी सम्भावना है कि समिति अपनी रिपोर्ट अलीगढ़ विश्वविद्यालय की कार्यकारी समिति को सन् १९६० के अन्त तक दे देगी।

देवनागरी लिपि

६९६. { श्री भक्त दर्शन :
　　　{ श्री वी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित देवनागरी लिपि अपनाने के लिए उनके मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन-किन राज्यों ने संशोधित देवनागरी लिपि को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) इन राज्य सरकारों ने उस लिपि का प्रयोग करने में क्या प्रगति की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) संशोधित देवनागरी लिपि को प्रचलित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(१) अन्तिम रूप से स्वीकृत देवनागरी लिपि की वर्णमाला के चार्ट की एक २ प्रति व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ सभी राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को भेज दी गई है तथा उनसे प्रार्थना की गई है कि राजकीय कार्यकलापों के उन सभी क्षेत्रों में, जहां आज कल देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई लिपि को अपनायें।

(२) संशोधित देवनागरी लिपि को ध्यान में रखते हुए हिन्दी टाइपराइटर के की-बोर्ड में भी संशोधन कर दिया गया है तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्रार्थना की गई है कि वे इसी की-बोर्ड के आधार पर हिन्दी टाइपराइटरों के उत्पादन के बारे में उत्पादकों से बातचीत करें।

(३) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय से यह प्रार्थना की गई है कि वे भारत सरकार के सभी मुद्रणालयों को संशोधित लिपि पर आधारित टाइप से सुसज्जित कर दें।

(ख) और (ग). केरल, हिमाचल प्रदेश प्रशासन, दिल्ली प्रशासन और अंडमान तथा निकोबार प्रशासन की सरकारों ने सूचना दी है कि उन्होंने अपने अधीन सभी सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को संशोधित देवनागरी लिपि की वर्णमाला की प्रति भेज दी हैं तथा उन्हें सलाह दी है कि वे संशोधित लिपि को, जहां तक सम्भव हो, अधिक से अधिक अपनायें।

विज्ञान मन्दिर

६९७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेम राज :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५०३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान मन्दिरों की स्थापना के लिये जो २४ स्थान विचाराधीन थे उन में से अन्तिम रूप से कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं ; और

(ख) उक्त स्थानों में से प्रत्येक स्थान पर विज्ञान मन्दिर स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) अब तक तीन जगहें—अर्थात् (आन्ध्र प्रदेश) कुडप्पा जिले में कांडूर, (केरल) कोझीकोड जिले में तिरुर और (पश्चिम बंगाल) मुर्शिदाबाद जिले में बहारा—चुनी गई हैं। छ : और प्रस्तावों के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है।

(ख) विज्ञान मंदिरों के लिये कर्मचारियों और उपस्कर आदि प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनी का रोज़ा

†६९८. { श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले मिर्ज़ा शाहरूल्ला खान शिराज़ी के चीनी के रोज़े के मकबरे के सम्पूर्ण बाह्य भाग को सफ़ा कर दिया गया है ;

(ख) क्या पुरातत्व विभाग चीनी के रोज़े की कब्र के कमरे की अन्दर की दीवारों पर की चित्रकारी को नया बनाने का भी कार्य आरम्भ करेगी ; और

(ग) यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी, नहीं।

(ख) उस चित्रकारी को सुरक्षित रूप में रखने के लिये उसे रसायनों से धोया तो जायेगा, परन्तु नया रूप देने का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा, क्योंकि वह पुरातत्व सिद्धान्तों के विरुद्ध है।

(ग) कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

राज्य प्रविधिक संस्था में प्रवेश

†६९९. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों से इस सुझाव के सम्बन्ध में उत्तर आ गये हैं कि किसी भी राज्य प्रविधिक संस्था में प्रवेश के लिये एक चौथाई स्थान उस राज्य से बाहिर के विद्यार्थियों के लिये रक्षित कर दिये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). राजस्थान के उस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। आसाम, उत्तर प्रदेश, केरल, पचिश्मी बंगाल, पजाब, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और मैसूर ने सूचित किया है कि मामला अभी उनके विचाराधीन है। शेष से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं ?

पंजाब नेशनल बैंक

†७००. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री २९ अगस्त १९६० के अल्पसूचना प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस बात की जांच कर ली है कि पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली की शाखाओं से जनता ने एक दम रुपया निकालना क्यों प्रारम्भ कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सरकार ने उस बारे में जो जांच की है उससे निश्चित रूप से यह ज्ञात नहीं हो सका है कि इस अफवाह का मूल कारण क्या था ।

बैंकिंग विधि में संशोधन

†७०१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री २० अगस्त, १९६० को लोक सभा में दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंकों के दीवाला निकल जाने की स्थिति में खातेदारों के हितों को 'अधिक सुरक्षा' प्रदान करने और उन्हें शीघ्रता से प्रारम्भिक सहायता देने के उद्देश्य से वर्तमान बैंकिंग विधि में संशोधन करने के एक सुझाव के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ को १९ दिसम्बर, १९६० से संशोधित कर दिया गया है। धारा ४२-क और ४३-क के संशोधित रूप के अधीन दीवाला निकालने की प्रक्रिया को कुछ सीमा तक सरल बना दिया गया है और उसमें यह भी निश्चित कर दिया गया है कि दीवाला निकाल देने के आदेश की तिथि से तीन महीनों की अवधि के अन्दर अन्दर सभी खातेदारों को अधिकतम २५० रुपये अदा कर दिये जायेंगे ।

दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला

†७०२. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला को पूरा करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): प्रारम्भिक कार्य अभी तक किया जा रहा है ।

कनाडा से परिवहन-गाड़ियों के फालतू पुर्जों की खरीद

†७०३. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :
श्री सूपकार :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैनिक यान्त्रिक परिवहन गाड़ियों के लिये पुर्जे खरीदने के लिये कनाडा की एक फर्म से किये जाने वाले एक करार के सम्बन्ध में जांच करने के लिये नियुक्त की गयी उस समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसके सभापति मंत्रिमंडल सचिव श्री विष्णु सहाय थे; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

†७०४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुराने मन्दिरों तथा अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के सम्बन्ध में पुरातत्वीय सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा में पुरी जिले के किस किस स्थान पर सर्वेक्षण किया जा चुका है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं;

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) पुरी जिले का अभी तक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

†७०५. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** :
श्री संगण्णा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि उड़ीसा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार से क्या क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं और उनके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : उन सुझावों के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, उन सुझावों के बारे में इस समय बताना लोक हित में नहीं है।

उड़ीसा में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी

†७०६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित व्यक्तियों की रोजगारी तथा प्राथमिक शिक्षा विस्तार की योजना के अधीन १९६०–६१ में उड़ीसा को अभी तक कितने शिक्षक आवंटित किये गये हैं ; और

(ख) १९५९–६० और १९६०–६१ में इस प्रयोजन के लिये उडीसा सरकार को कितनी राशि आवंटित की गयी थी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) ३००० शिक्षक।

(ख) १९५९–६० में १६.९२ लाख रुपये और १९६०–६१ में ३५.४४ लाख रुपय।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्कल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये छात्रालय

†७०७. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्कल विश्वविद्यालय या उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध में कोई निवेदन प्राप्त हुआ है कि उत्कल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावासों के निर्माण के लिये कोई अनुदान या ऋण दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५] ।

पंजाब में पोलिटेक्निक संस्थायें

†७०८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में केन्द्रीय पोलिटेक्निक संस्थाओं के निर्माण के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : यह निर्णय किया गया है कि तीसरी पोलिटक्निक संस्था फीरोजपुर जिले में गुरु तेगबहादुर गढ़ में स्थापित की जाये । इसकी स्थापना के लिये गुरु नानक शिक्षा ट्रस्ट ने २५ एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया है । ब्यौरेवार प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ; सिरसा और बटाला की संस्थाओं के लिये स्थान चुन लिये गये हैं और इमारतों के निर्माण के लिये प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है ।

पिछड़े हुये वर्ग

†७०९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़े हुए वर्गों का निर्धारण करन के लिये आधार निश्चित करने के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : उक्त प्रश्न के उत्तर में जो कुछ बताया गया था, उस स्थिति में अब तक कोई अन्तर नहीं आया है ।

हिन्दी अनुवादक

७१०. **श्री नरदेव स्नातक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी अनुवादकों का काम करने वाले स्थायी असिस्टेंटों की हिन्दी के काम के आधार पर भविष्य में पद-वृद्धि करने की सरकार की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : ऐसी कोई विशेष योजना सरकार के सामने नहीं है। असिस्टेंटों के ग्रेड से अनुभाग अधिकारी के ग्रेड (जो कि असिस्टेंटों से ऊपर वाला ग्रेड है) में पदोन्नति प्रवरता तथा योग्यता या फिर विभागीय परीक्षा के आधार पर होती है। जहां तक काम के रिकार्ड का सम्बन्ध है, जिस किसी पद पर भी असिस्टेंट नियुक्त हों (जिस में हिन्दी अनुवादक का पद भी शामिल है) उस में उनके किये हुए काम को पदोन्नति के समय ध्यान में रखा जायेगा ।

अपराधों का पता लगाना

७११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अपराध जांच प्रयोगशाला में कीड़े-मकौड़ों की सहायता से अपराधी का पता लगाने के लिये सफल जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रयोग किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). अपराध-स्थल पर इकट्ठा किये गये पदार्थों पर पाये जाने वाले कीड़ों का अपराधों को साबित करने में प्रयोग हो सकता है या नहीं इस बारे में केन्द्रीय फोरेन्सिक (अपराध अनुसन्धान) विज्ञान प्रयोगशाला में जांच की जा रही है । अभी कोई निश्चित परिणाम नहीं निकला है ।

नौसेना की समद्री नौका

†७१२. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बी० दास गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित एक समुद्री नौका को कलकत्ते में समुद्र में उतारा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस नौका को बनाने वाले और निर्माता का क्या नाम है ; और

(ग) उस के निर्माण में जो विदेशी पुर्जे इस्तेमाल किये गये हैं, उनकी कितनी कीमत है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री राघुरामैया)**: (क) जी, हां। २१ सितम्बर, १९६० को कलकत्ता में भारतीय नौसेना सेना की 'अजय' नामक एक प्रतिरक्षा नौका को समुद्र में उतारा गया था ।

(ख) मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ग) उसमें लगभग ५० प्रतिशत कीमत के विदेशी पुर्जे इस्तेमाल किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

संस्कृत के पंडितों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर

†७१३. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आचार :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संस्कृत के पंडितों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अक्तूबर, १९६० में एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें यह कहा गया है कि जो पंडित अपना नाम उस रजिस्टर में दर्ज कराना चाहें, वे एक निर्धारित फार्म में अपने ब्यौरे लिख कर भेज दें । जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद वह रजिस्टर तैयार किया जायेगा ।

केरल में शारीरिक शिक्षा संगठन

†७१४. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किस किस शारीरिक शिक्षा संगठन को केन्द्र की ओर से वित्तीय सहायता मिल रही है और कितनी कितनी मिलती है ;

(ख) ऐसे कौन कौन से संगठन हैं, जिन्होंने सहायता के लिये आवेदन तो किया था परन्तु उन्हें सहायता नहीं दी गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) किसी को भी नहीं ।

(ख) शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के विकास सम्बन्धी योजना के अधीन निम्नलिखित दो संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और वे इस समय विचाराधीन हैं :—

१. सरकारी शारीरिक शिक्षा कालेज, त्रिवेन्द्रम् ।

२. सरकारी शारीरिक शिक्षा कालेज, कोझीकोडे ।

व्यायामशालाओं, अखाड़ों आदि को अनुदान की योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिये निम्नलिखित संस्थाओं से आवेदन पत्र हुए थे और पूरी जानकारी संभरित न करने के कारण वे आवेदन पत्र राज्य सरकार को वापिस कर दिये गये हैं और यह कहा गया है कि उनके सम्बन्ध में पूरी जानकारी भेजी जाये :—

१. एक्या केरल कलाड़ी संगम, कन्नूर ।
२. सी० एस० एस० जिमखाना क्लब, पेरूमथानी, त्रिवेन्द्रम् ।
३. सी व्यू जिमनास्टिक एरिना, एरणाकुलम ।
४. केरल जिमनेशियम एण्ड व्यायामशाला, भरनीकावू, अल्लापी ।
५. यूनिवर्सल जिमखाना, कोट्टयम ।

मल अंग्रेजी में

विद्यार्थियों के पर्यटन के लिये सहायता

†७१५. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में केरल की किस किस संस्था को विद्यार्थी पर्यटन के लिये वित्तीय सहायता दी गयी थी ; और

(ख) उस राशि से किये गये पर्यटनों का ब्यौरा क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६]

पश्चिमी बंगाल में तेल का सर्वेक्षण

†७१६. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुन्दरवन के क्षेत्र में तेल के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) वह क्षेत्र इंडो स्टानवाक पैट्रोलियम परियोजना करार के अधीन लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षण की सीमाओं से बाहिर है ।

अतिरिक्त मोटर गाड़ियां

†७१७. { श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन (३ टन १५ हंडरवेट ४×२) गाड़ियों को, जो कि सैनिक आवश्यकताओं को पूरी नहीं करतीं और अतिरिक्त है, असैनिक बाजारों में बेच दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी गाड़ियां बेची गयी हैं और उनसे कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री राघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिनमें गत ५ वर्षों में बेची गयी गाड़ियों के सम्बन्ध में जानकारी निहित है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७

---

†मूल अंग्रेजी में

ट्रक और ट्रेक्टर

†७१८. { श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध सामग्री कारखानों में पुर्जे जोड़ कर निर्मित किये गये ट्रकों और ट्रेक्टरों में से १ नवम्बर, १९६० तक कितने ट्रक आदि सेवाओं को दिये गये थे ; और

(ख) उससे विदेशी मुद्रा में कितनी बचत हुई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) १ नवम्बर, १९६० तक निम्नलिखित ट्रक और ट्रेक्टर जारी किये गये थे :—

(१) शक्तिमान ट्रक ९९०
सभी सेना को जारी किये गये ।

(२) हाथी ट्रेक्टर २०६
निम्नलिखित को जारी किये गये :—
सेना १२८
दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ५८
राजस्थान नहर बोर्ड २०

(ख) लगभग ८३ लाख रुपये ।

सोने का पकड़ा जाना

†७१९. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में कुल कितना और कितनी कीमत का सोना पकड़ गया है ;

(ख) इस अवधि में सोने के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में पकड़े गये अपराधी व्यक्तियों से कितना दण्ड वसूल किया गया है ; और

(ग) तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में कितने जहाज जब्त किये गये हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १९५६–५७ से १९६०–६१ में (३० सितम्बर, १९६० तक) लगभग ५,९०,८२५ तोले सोना और १८४७ गिन्नियां पकड़ी गई हैं जिनकी कीमत लगभग ६,२१ लाख रुपये है ।

(ख) लगभग २,०३,७१,००० रुपयों का जुर्माना वसूल किया गया है ।

(ग) ५४ जहाज ।

आयकर सम्बन्धी लम्बित अपीलें

†७२०. श्री मुरारका : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितनी आयकर संबंधी अपीलें अपीलीय असिस्टेंट कमिश्नर के पास लम्बित पड़ी हुई हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वे कब से लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फारवर्ड ब्लाक के प्रदर्शनकारी

†७२१. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९६० को लोक-सभा में आसाम के संबंध में वाद-विवाद के अवसर पर दिल्ली में फारवर्ड ब्लाक के कितने प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : ५० ।

गाड़ी की चोरी

†७२२. **श्री सुबिमल घोष** : क्या **शिक्षा** मंत्री ७ मई, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४१८७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बो की उस गाड़ी की चोरी के संबंध में, जो कि बरद्वान जिला परियोजना समिति को दी गयी थी, जाच कार्य कब प्रारम्भ हुआ था और कब पूरा किया गया था ; और

(ख) क्या अन्तिम रूप से चार्जशीट या रिपोर्ट दे दी गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जांच १७ अक्तूबर को प्रारम्भ की गयी थी और ११ नवम्बर, १९५९ को पूरी की गयी थी ।

(ख) एक अन्तिम रिपोर्ट भेज दी गयी है ।

लद्दाख क्षेत्र में पवन शक्ति

†७२३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लद्दाख क्षेत्र में (समुद्र तल से ११ हजार फीट से अधिक ऊंचा) पवन शक्ति का उपयोग कर पानी ले जाने के प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चेशुल में पवन चक्कियां लगाने की योजना जून, १९६० में जम्मू और काश्मीर के व्यापार आयुक्त से प्राप्त हुई थीं । विमान-विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने उस क्षेत्र में उपलब्ध वायुशक्ति का उपयोग करने की उपयुक्तता की जांच करने के लिये अभी हाल में चेशुल और लेह में एक पदाधिकारी नियुक्त किया था । इस पदाधिकारी ने कारगिल का दौरा भी किया था । उसने अपने प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में यह बताया है कि सन्तोषजनक निष्कर्ष निकालने के लिये यह अत्यावश्यक है कि कम से कम एक पूरे कैलेन्डर वर्ष के लिये उन स्थानों पर हवा की गति का माप लिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आजाद हिन्द फौज

७२४. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को राजनैतिक पीड़ितों की सूची में शामिल करने का जो निश्चय किया है इससे उनको लाभ हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को इस लाभ से वंचित रखा गया है ; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के बारे में विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां । आजाद हिन्द फौज के भतपूर्व सैनिक राजनैतिक पीड़ितों को मिलने वाले लाभों के अधिकारी हैं ।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश के राजनैतिक पीड़ितों को जिनमें आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं, आर्थिक सहायता देने के मामले हिमाचल प्रदेश राजनैतिक पीड़ित समिति के विचाराधीन है ।

आयकर मंत्रणा के लिये परिषद्

†७२५. **श्री अमजद अली** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर संबंधी मामलों में सरकार को सलाह देने के लिये, प्रत्यक्ष कर प्रवर्तन जांच समिति की सिफारिश के अनुसार एक परिषद् बनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति का सुझाव सरकार ने कार्यान्वित किया है ; और

(ग) परिषद् के सदस्य कौन कौन हैं और इस परिषद् में किन किन विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि रखे गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) प्रत्यक्ष कर प्रवर्तन जांच समिति की यह सिफारिश सरकार ने मान ली है और पहली कार्यवाही के तौर पर करदाताओं तथा सरकार के बीच पारस्परिक धारणाओं को सुदृढ़ बनाने और प्रोत्साहित करने के उपायों पर प्रशासन को मंत्रणा देने के लिये केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत प्रत्यक्षकर मंत्रणा समिति बनाने का विचार है ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय समिति यथाशीघ्र स्थापित की जायेगी ।

अजन्ता और एलोरा गुफायें

†७२६. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला औरंगाबाद (महाराष्ट्र राज्य) में अजन्ता और एलोरा गुफाओं के आसपास रहने वाले बौद्धों को उपरोक्त गुफाओं में प्रवेश करने तथा प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को बुद्ध की मूर्त्ति का दर्शन करने की मनाही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन गुफाओं के अन्दर कुछ हिन्दू देवताओं जैसे शंकर या महादेव की मूर्तियां हैं और हिन्दुओं के त्यौहारों के दिन उन्हें गुफाओं में जाने और उन मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति है ; और

(ग) यदि हां, तो बौद्धों को गुफाओं में जाने और भगवान बुद्ध का दर्शन करने की मनाही क्यों है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य-उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) किसी को भी गुफाओं में जाने और दर्शन करने की मनाही नहीं है। केवल सामूहिक प्रार्थनायें और सामूहिक पूजा आदि करने की मनाही है।

(ख) अजन्ता पूर्णतः बौद्ध स्थान है किन्तु एलोरा में ब्राह्मणों की गुफा है। उन में से किसी का भी पूजा के लिये उपयोग नहीं किया जाता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृत्रिम उपग्रह के मार्ग का पता लगाना

†**७२७. श्री कालिका सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल, के संचालक अमरीकी कृत्रिम उपग्रह इको १ का, जिसे १२ अगस्त, १९६० को वक्रपथ छोड़ा गया था, मार्ग निर्धारित कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस उपग्रह का ब्यौरा क्या है जिसमें पृथ्वी से वक्रपथ की दूरी भी शामिल हो ;

(ग) कितने अन्य उपग्रह और कृत्रिम ग्रह नैनीताल वेधशाला ने अभी तक देखे हैं और उनमें से कितने अभी भारतीय आकाश से नियमित रूप से गुजर रहे हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि नैनीताल वेधशाला कृत्रिम उपग्रहों के मार्ग देखने के लिये विश्व के बारह केन्द्रों में से एक केन्द्र है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) इको १ १०० फीट व्यास वाला पालीयेस्टर फिल्म स्फीअर है जिसमें अलम्यूनियम की पालिश की हुई है जो कि संचार संबंधी प्रयोगों के लिये रिफ्लेक्टर का काम देता है। यह १००० मील के प्रायः वृताकार वक्रपथ पर चक्कर लगा रहा है। इस समय इसे पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में ११८ मिनट लगते हैं।

(ग) निम्नलिखित उपग्रहों और कृत्रिम वस्तुओं के कुल ११९२ निरीक्षण आज तक किये जा चुके हैं :—

(१) एक्स्प्लोरर १
(२) एक्स्प्लोरर ४
(३) एक्स्प्लोरर ७
(४) एक्स्प्लोरर ८
(५) वैनगार्ड १ और राकेट
(६) वैनगार्ड २ और राकेट

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) वैनगार्ड ३
(८) डिस्कवरर ५
(९) स्पुटनिक ३ और राकेट
(१०) स्पुटनिक ४ और राकेट
(११) एटलस
(१२) टिरोस १ और राकेट
(१३) इको १ और राकेट
(१४) ट्रान्जिट १ख
(१५) मिडास २

कुछ तीन दर्जन (जिनमें ७ रूसी वस्तुयें शामिल हैं) अभी पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। इन उपग्रहों में से कुछ एक हमारे आकाश से आसानी से गुजरते हैं जिससे प्रत्येक रात्रि में (प्रातः और सायंकाल की गोधूलिबेला में) कुल औसतन आठ ट्रॉजिट होते हैं।

(घ) जी हां।

छात्र-अध्यापक अनुपात

†७२८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में और संघ राज्य क्षेत्रों में बेसिक प्राइमरी स्कूलों, जूनियर हाई स्कूलों, हायर सेकेन्डरी स्कूलों, डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र-अध्यापक का क्या अनुपात है ;

(ख) मंत्रालय ने छात्र-अध्यापक का क्या अनुपात निर्धारित किया है या क्या अनुपात वह चाहता है ; और

(ग) सभी राज्यों और राज्य क्षेत्रों में एकरूपता लाने के लिये अपने निजी स्टैन्डर्ड लागू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जहां तक जानकारी प्राप्त है, राज्यों और राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित छात्र-अध्यापक अनुपात है :—

शिक्षा का प्रक्रम	राज्यों में अनुपात	संघ राज्य क्षेत्र में अनुपात
बेसिक प्राइमरी स्टेज	. यह राजस्थान में २९:१ से लकर असम, पंजाब उत्तर-प्रदेश और केरल में ३९:१ के बीच होता है।	यह हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा म २६:१ से ले कर लक्कदीव और मिनिकाय और अन्दमान और दिल्ली में ४९:१ के बीच होता है ।
मिडिल स्कूल	. यह उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में १९:१ से लेकर बम्बई और पंजाब में ३६:१ के बीच होता है।	यह हिमाचल प्रदेश में २२:१ से लेकर दिल्ली में ३१:१ के बीच होता है ।
हायर सेकेन्डरी स्कूल	. जानकारी उपलब्ध नहीं है ।	यह त्रिपुरा में १८:१ से लेकर दिल्ली में ४०:१ के बीच होता है ।
विश्वविद्यालय और कालेज ।	लगभग १८:१	दिल्ली में ३०:१

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). यह मुख्यत: राज्यों और विश्व विद्यालयों का विषय है और अपने अपने क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होता है । इस संबंध में अखिल भारतीय एकरूपता संभव नहीं है ।

जहां तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल स्तर पर शिक्षा का संबंध है भारत सरकार की राय में छात्र-अध्यापक अनुपात औसतन क्रमश: १:४० और १:२५ होना चाहिये ।

सिक्कों को वापस ले लेना

†७२९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कौन-कौन से पुराने सिक्के वापस ले लिये गये हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में पुराने सिक्कों की जगह नये सिक्के जारी किये जाने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो कब ;

(घ) क्या नये सिक्कों का डिजाइन और रूप भी संभवत: बदल दिया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या क्या रद्दोबदल पर विचार किया जा रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) सामान्य प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सिक्के अब लीगल टेन्डर नहीं रहे :—

(१) नीकल-पीतल की दुअन्नी, इकन्नी और अधन्ना

(२) कुप्रो-नीकेल की दुअन्नी और अधन्ना; और

(३) अधेला और पाई का सिक्का ।

(ख) और (ग). आना-पाई क्रम में बाकी सिक्कों को वापस खींच लेने का प्रश्न दशमलव सिक्कों के निकटतम सिक्कों का पर्याप्त स्टाक बना लेने के बाद, यथासमय उठाया जायेगा ।

(घ) और (ङ). इस समय कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है ।

इस्पात कारखाने

†७३०. **श्री कालिका सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला में लोहा और इस्पात परियोजनाएं आ-योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार १९५७–५८ तक क्यों पूरी नहीं हुईं ;

(ख) क्या उत्पादन की नयी अथवा अतिरिक्त क्षमता, उपर्युक्त परियोजनाओं में रख गये लक्ष्य के अनुसार, वर्ष १९५७-५८, १९५८–५९ और १९५९–६० में प्राप्त हो गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक वर्ष में कितनी कमी रही है और उस के पूरे पूरे कारण क्या हैं ;

(घ) क्या इन तीनों कारखानों का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध के अधीन होना ही इस कुव्यवस्था और उत्पादन की कमी का मुख्य कारण पाया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को एक में मिला देने में क्या लाभ है ; और

(च) क्या यह सच है कि तीनों परियोजनाएं प्रतियोगितात्मक आधार पर नहीं चल रही हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रही हैं जिस से गैर-सरकारी क्षेत्र को लाभ हो रहा है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला के इस्पात कारखानें १९५७–५८ तक पूरे हो जाने की आशा नहीं की गयी थी ।

(ख) इन तीनों कारखानों में से प्रत्येक कारखाना पूरा-पूरा बन जाने पर १ लाख टन इस्पात की छड़ें तैयार करने के लिए बनाया गया था और उत्पादन की नयी या अतिरिक्त क्षमता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) इस्पात की तीनों परियोजनाओं को एक प्रबन्ध के अधीन रखना अधिक अच्छे समन्वय के लिए और खासकर उपलब्ध सीमित शिल्पिक कर्मचारियों का संग्रह बनाने के लिए लाभदायक हुआ है ।

(च) माननीय सदस्य का आशय स्पष्ट नहीं है। इस अर्थ में कि संपूर्ण इस्पात उद्योग पर नियंत्रण है, अभी प्रतियोगिता का या एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अधिक प्रतियोगितात्मक लाभ का कोई प्रश्न नहीं है ।

राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन

†७३१. **श्री कालिका सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश अध्यापकों को विदेशों में सेवा करने के लिये प्रोत्साहित करने की ब्रिटिश शिक्षा मंत्रालय की छः सूत्रों वाली योजना, जो पिछले राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन का परिणाम है, क्या है ;

(ख) उस योजना के अन्तर्गत कितने ब्रिटिश अध्यापक भारत आ रहे हैं ;

(ग) क्या डा० वी० एस० झा, संचालक, लंदन स्थित राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्पर्क एकक, ने १४ सितम्बर, १९६० को ग्लासगो में अपने प्रेस वक्तव्य में छः सूत्रों वाली योजना की प्रशंसा की है ;

(घ) क्या वह विश्व यात्रा कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या प्रयोजन है और वह खर्च कौन उठा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

दार्जिलिंग के नेपाली लोग

†७३२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कि

(क) क्या इस शिकायत की ओर कि दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी जिले के नेपाली लोगों की कुछ जातियों और उपजातियों को नेपाली-भाषी के तौर पर ठीक ठीक नहीं दिखाया गया है, वर्तमान जनगणना कार्यों में ध्यान दिया जा रहा है : और

(ख) इस विषय में सावधानी बरतने के लिए क्या हिदायतें जारी की गयी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जैसा कि २७ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३२ के उत्तर में बताया गया है, शिकायत ठीक नहीं समझी गयी ।

(ख) १९६१ की जनगणना में मातृ-भाषा लिखने के लिए निम्नलिखित सामान्य आदेश जारी किये गये हैं :—

उस व्यक्ति द्वारा जिसकी गणना की गयी हो, बतायी गयी मातृ-भाषा पूरी-पूरी बोली जाने वाली उपभाषा सहित, लिखो । मातृ-भाषा वह भाषा है जो व्यक्ति की माता उस व्यक्ति के साथ बचपन में बोलती है या जो घर में मुख्यतः बोली जाती है ।"

ग्रामीण संस्थाओं के प्रमाणपत्र

†७३३. **श्री हाल्दर** : क्या **शिक्षा** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२६८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण संस्थाओं के प्रमाणपत्रों को विश्व-विद्यालयों द्वारा मान्यता दी जाने के बारे में भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड से अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : जी नहीं ।

लुब्रिकेटिंग आयल का कारखाना

†७३४. **श्री कोडियान** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में लुब्रिकेटिंग आयल के लिए केरल राज्य में एक तेल-शोधक कारखाना चालू करने के लिए केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या राय है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिमी बंगाल के सीमावर्ती जिले

७३५. डा० राम सुभग सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि पश्चिम बंगाल के उत्तरी सीमावर्ती जिलों में ११ जनवरी, १९५८ से अब तक विदेशियों को कितनी अचल सम्पति बेची गई ; और

(ख) यदि हां, तो जिन विदेशियों ने उक्त अचेल सम्पति खरीदी थी क्या उन में से किसी को अब भारत से निकाल दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व सैनिक

†७३६. श्री मं० रं० कृष्ण : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार की कोई निश्चित योजना है ;

(ख) इस क्षेत्र में अभी कितने भूतपूर्व सैनिकों को बसाना है ; और

(ग) जम्मू और काश्मीर में पुनर्वास योजनाओं पर अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व सैनिकों के केवल पुनर्वास के लिए कोई योजना भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है । सामान्यतः भूतपूर्व सैनिकों को, जिन में जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व सैनिक शामिल हैं, पुनर्वास की निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :—

(१) सरकारी नौकरी में रोजगार के मामले में वरीयता

(२) जमीन-बस्तियों में पुनर्वास

(३) व्यावसायिक/शिल्पिक व्यापार में प्रशिक्षण

(४) सहकारी समितियां बनाने में सहायता ।

(ख) जम्मू और कश्मीर के जिन भूतपूर्व सैनिकों को बसाया जाना है उनकी ठीक ठीक संख्या बताना संभव नहीं है । फिर भी रोजगार दफ्तरों द्वारा रखे गये आंकड़ों के अनुसार, जम्मू और कश्मीर के रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों पर १२६ भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्हें रोजगार की सहायता की जरूरत है ।

(ग) कुछ नहीं ।

सरकारी कर्मचारियों की जातियों सम्बन्धी प्रविष्टि

†७३७. श्री बा० चं० कामले : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न विभागों को हिदायतें जारी की हैं कि संबद्ध अफसर सरकारी कर्मचारियों की जातियों का उल्लेख न किया करें ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि उपरोक्त का उत्तर 'हां' है, तो क्या सरकार सभा पटल पर हिदायतें या ज्ञापन की एक प्रति रखने की कृपा करेगी; और

(ग) हिदायतें या ज्ञापन जारी करने के क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) से (ग). राज्य सरकारों को प्रार्थना की गई है कि वे विभिन्न सरकारी कामों (अर्थात जेल, पुलिस, शिक्षा और सैनिक सेवाओं और अन्य विभागों तथा न्याय संबंधी कार्यवाइयां, में प्रयुक्त होने वाले फार्मों और रजिस्टरों में) जाति या वर्ण का उल्लेख हटा दें और यह उल्लेख केवल वहीं तक सीमित रक्खें, जहां प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये या संविधानिक अथवा संविहित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जाति या वर्ण का उल्लेख आवश्यक हो। यह कार्यवाही जाति या सांम्प्रदायिक भावना को मिटाने के लिये की गई है।

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†७३८. श्री बा० चं० कामले : क्या गृह-कार्य मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त उत्तर में उल्लिखित सात कार्यवाहियों में से प्रत्येक के कार्यान्वित किये जाने के परिणामस्वरूप पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के पदों में (१) अनुसूचित जातियों, और (२) अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति नियुक्त किये हैं; और

(ख) पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने पद रक्षित रूप में विज्ञापित किये गये थे किन्तु जो बाद में, इन सात कार्यवाहियों के आरम्भ होने के पश्चात् अरक्षित माने गये ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १९५१ से १९५६ के बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधित्व में प्राप्त प्रगति को दर्शाने वाला विवरण १९५६–५७ के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के परिशिष्ट ३३ में दिया गया है। १९५८-५९ के लिये आयुक्त के प्रतिवेदन के परिशिष्ट ५५ में १९५७ और १९५८– वर्षों के आंकड़े दिये हैं। १ जनवरी, १९५९ और १ जनवरी, १९६० को जो स्थिति है उस को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २, अनबंध संख्या ८] यह बताना संभव नहीं है कि प्रश्न में उल्लिखित सात कार्यवाहियों में से प्रत्येक के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के नियुक्त किये गये थे ?

जैसा कि ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३४ के उत्तर में बताया गया है कि सूचना उपलब्ध नहीं है और यह सब विस्तृत सूचना एकत्र करना संभव नहीं होगा।

गलिस्तान में जीवन बीमा निगम का कारोबार

†७३९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलिस्तान में जीवन बीमा निगम का कारोबार शुरू करने की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) इंगलिस्तान में कारोबार करने की योजना का मुख्य स्वरूप इस प्रकार है :

(१) स्टर्लिंग पौंड पावना तथा रुपया नीतियां :

इंगलिस्तान में रहने वाले भारतीयों तथा अन्य राष्ट्रमंडलीय नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वहां पौण्ड पावना तथा भारतीय रुपया नीतियां दोनों जारी की जायेंगीं ।

(२) भारत में विद्यमान अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत पालिसियां :

भारत में विद्यमान अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत बीमे इंगलिस्तान में भी जारी किये जायेंगे । तथापि (क) संयुक्त जीवन बीमा निगम और (२) द्विवर्षीय अस्थायी बीमा नहीं किया जायेगा ।

(३) इंगलिस्तान में प्रीमियम की कुछ कम दरें :

इंगलिस्तान में बीमा कराने वाले लोगों से प्रीमियम की कुछ कम दरें ली जायेंगी । ये कम दरें ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में निगम द्वारा रखी गयी दरों के समान होंगी ।

किराया खरीद सम्बन्धी विधान

†७४०. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या विधि मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में किराया-खरीद संबंधी विधियां बनाने का प्रश्न किस प्रक्रम तक पहुंचा है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : विधि आयोग ने किराया-खरीद संबंधी अस्थायी प्रारूप प्रतिवेदन राज्य सरकारों और दिलचस्पी रखने वाले निकायों को कुछ समय पूर्व भेजा था और उस पर कुछ टिप्पणियां आई थीं । तथापि विधि आयोग ने अनुभव किया कि दिलचस्पी रखने वाले व्यक्तियों को अपनी टिप्पणियां भेजने या मौखिक अभ्यावेदन देने का और अवसर दिया जाना चाहिये और इस के लिये अवधि ३० नवम्बर, १९६० तक निश्चित की जाये । उस के पश्चात् टिप्पणियों और साक्ष्य पर आयोग विचार कर के प्रारूप प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देगा । सरकार को विधि आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही विधि बनाने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

राज्यों द्वारा मुकदमेबाजी के व्यय में कमी

†७४१. श्री आचार : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मुकदमेबाजी के यय को घटाने की दृष्टि से सब निलम्बित सरकारी मामलों का पुनरीक्षण करने के लिये समितियां स्थापित की हैं या करने वाली है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने भी दिल्ली के न्यायालयों में निलम्बित मामलों पर विचार करने का फैसला किया है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). सरकार ने सब निलम्बित सरकारी मामलों का पुनरीक्षण करने के लिये समितियां स्थापित नहीं की हैं । स्थानीय दिल्ली के न्यायालयों में निलम्बित मामलों का उपयुक्त स्तरों पर पुनरीक्षण किया जा रहा है । अ य लम्बित मामलों का पुनरीक्षण करने तथा उन्हें करने के सर्वोत्तम उपाय से सम्बन्धित प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में प्रविधिक कर्मचारी

†७४२. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह बता सकती है कि त्रिपुरा में तीसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये कितने प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी संख्या होगी और किन कामों के लिये उनकी आवश्यकता होगी ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो०ब० पन्त)** : (क) और (ख). त्रिपुरा में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विविध योजनाओं को कार्यान्वित करन के लिये लगभग ३६४० प्रविधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी । प्रशासन के सभी विकास विभागों के लिये इन की आवश्यकता है ।

आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क निक्षेप

†७४३. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगरैनी कोयला खानों के समीप हाल ही में लौह-अयस्क का बड़ा निक्षेप मालूम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो निक्षेप कितना बड़ा है और अयस्क किस किस्म का है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) और (ख). सिंगरैनी की कोयला खानों के समीप हाल में लौह-अयस्क का कोई निक्षेप नहीं पाया गया । तथापि सिंगरैनी कोयला खानों के समीप लौह-अयस्क निक्षेपों का होना मालूम हुआ है । शांग जिले के में सिंगरैनी कोयला क्षेत्रों के ठीक दक्षिण में लौहा पत्थर की तहें हैं । इस में मैगनेसाइट-क्वार्टज-श्चिस्टस् है जिस में ४० प्रतिशत लोहा है । भूमि तल तक अयस्क की मात्रा का अनुमान ५५ लाख टन लगाया गया है, किन्तु हो सकता कि निक्षेप भूमि के नीचे भी हों ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

७४४. **श्री डामर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने कार्यालय के खुलने से अब तक मध्य प्रदेश के मध्य भारत क्षेत्र के कितने दौरे किये हैं;

(ख) उन्हों ने अपने दौरे में आदिवासी क्षेत्रों में चलाई जा रही कौन-कौन सी योजनाओं का निरीक्षण किया; और

(ग) क्या आयुक्त ने मंत्री महोदय को अपने प्रत्येक दौरे के अनुभव के बारे में प्रतिवेदन दिया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) छः बार ।

(ख) इन का उल्लेख आयुक्त (कमिश्नर) की वार्षिक रिपोर्ट १९५१–५२, १९५६–५७, १९५७–१९५८ तथा १९५८–५९ में किया गया है ।

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों को ऋण और सहायता

७४५. **श्री डामर :** क्या वित्त मंत्री यह बतान की कृपा करगे कि योजनाओं के प्रारम्भ से लेकर अब तक केन्द्र द्वारा प्रत्येक राज्य को ऋण और सहायता के तौर पर कितनी कितनी राशि दी गई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): श्री पाणिग्रही के अतारांकित प्रश्न संख्या १४६ का अन्तिम उत्तर देते हुए ११ अगस्त, १९५८ को लोक सभा की मेज पर एक विवरण रखा गया था जिस में पहली पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों को दिये गये सहायक अनुदानों की रकमें दी गयी थीं। इस प्रश्न का अन्तरिम उत्तर १३ नवम्बर, १९५७ को दिया गया था।

योजनाओं के शुरू होने के समय से राज्यों के लिये मंजूर किये गये कर्जों और दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से दिये गये सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मज पर रख दिया जायगा।

स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†७४६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के संचालन के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या अन्य किसी राज्य सरकारों ने भी ऐसे अभ्यावेदन दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल या अन्य किसी राज्य सरकार ने स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के संचालन के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन भारत सरकार को नहीं भेजा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय अफीम का निर्यात

७४७. **श्री डामर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-सा देश भारतीय अफीम की अधिकतम मात्रा आयात करता है ; और

(ख) क्या भारतीय अफीम का आयात करने वाले देश उसका नगद दाम देते हैं अथवा उसके बदले में कुछ वस्तुयें वहां से आयात की जाती हैं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ब्रिटेन।

(ख) अफीम का दाम नगद लिया जाता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची

†७४८. **श्री जीनचंद्रन् :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी जनगणना में स्वीकार करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की नई सूची बनाई गई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्छ में लिग्नाइट के निक्षेप

†७४९. श्री कोरटकर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ क्षेत्र में लिग्नाइट के बड़े निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें निकालने के लिये कोई योजना बनाई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) भारत सरकार को पता नहीं है कि कच्छ में हाल में लिग्नाइट का कोई बड़ा निक्षेप पाया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उपहार पार्सलों पर सीमा शुल्क

†७५०. श्री कोरटकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों से आने वाले उपहार पार्सलों पर सीमा शुल्क से कितनी राशि जमा हुई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): उपहार पार्सलों पर जमा हुई सीमा शुल्क राशि संबंधी सांख्यिकी पृथक नहीं रखी जाती । अतः सूचना उपलब्ध नहीं है ।

त्रिपुरा में आंधी

†७५१. श्री दशरथ देव : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १० अक्तूबर, १९६० को त्रिपुरा में हाल की आंधी से हुई सम्पत्ति की हानि को आंकने के लिये त्रिपुरा प्रशासन ने कोई प्रयत्न किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हुई है ; और

(ग) क्या प्रभावित लोगों को वनों से निशुल्क इमारती लकड़ी, बांस और छान (छतें ढकने के लिये फूस) इकट्ठा करने की अनुज्ञा देने की कार्रवाई की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). त्रिपुरा में बेलोनिया के दक्षिणी सबडिवीजन सबरूम, अमरपुर और सोनमुरा में ११ अक्तूबर को तथा फिर ३१ अक्तूबर को जोर की आंधी आई थी । परिणामतः हानि का अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ग) प्रत्येक प्रभावित परिवार को रक्षित वन क्षेत्र से निम्न वन उत्पाद इकट्ठी करने की निःशुल्क अनुमति दे दी गई है :

(१) बांस ३५०
(२) सन घास २० बंडल
(३) हाउस पोस्ट १५

इनामी बांड

†७५२. श्री पु० र० पटेल :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने मूल्य के ५ रु० और १०० रु० के इनामी बांड बिके हैं और लाटरी निकाली गयी है ;

---

†भूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अनबिके बांडों को भी लाटरी में सम्मिलित किया गया था ; और

(ग) लाटरी में शामिल बिके और अनबिके बांडों का मूल्य कितना है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). इनामी बांडों को विनियमित करने वाली अधिसूचना के अनुसार, एक माला के, जिसके कुछ बांड बिके हों, सभी बांडों को लाटरी में शामिल किया जायेगा, किन्तु लाटरी में यदि अनबिके बांड का अथवा किसी ऐसे बांड का नम्बर निकल आये, जो लाटरी निकलने के महीने से दो महीने पहले बिका हो, तो उस बांड पर इनाम नहीं मिलेगा । १ सितम्बर, १९६० को डाली गयी पहली लाटरी में शामिल बिके और अनबिके बांडों का ब्योरा नीचे दिया जा रहा है :—

कीमत	लाटरी में शामिल होने की माला के इनामी बांडों का कुल मूल्य	निर्धारित तिथि अर्थात् ३० जून, १९६० तक बिके इनामी बांडों का मूल्य	३० जून, १९६० तक अनबिके इनामी बांडों का मूल्य
	करोड़ रु०	करोड़ रु०	करोड़ रु०
५.०० रु०	८	४.२६	३.७४
१००.०० रु०	१४	४.६५	९.३५

जम्मू और काश्मीर में इमारती लकड़ी की खरीद

७५३. श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा स्थापना विभाग राइफलों के हत्थे बनाने के लिये ५० लाख रुपये की इमारती लकड़ी खरीदने के लिये जम्मू और काश्मीर के वन विभाग से बातचीत कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कांगों में भारतीय

†७५४. डा० सामन्त सिंहार : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगों में काम कर रहे भारतीयों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार को वहां पर काम कर रहे अपने कर्मचारियों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(घ) वहां काम करने वाले भारतीयों का न्यूनतम मासिक वेतन कितना है और वे अपना राशन किस प्रकार प्राप्त करते हैं ;

(ङ) क्या वहां पर वस्तुओं के ऊंचे दामों के अनुपात में उनके वेतनों का कोई अनुमान लगाया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(च) क्या उन्हें नियमपूर्वक डाक मिलती है और उनके मनोरंजन का वहां पर क्या प्रबन्ध है;

(छ) वहां पर एक आदमी कितनी देर काम करता है ; और

(ज) क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है और उनकी मानसिक स्थिति कैसी है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुरोध पर, कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना के साथ काम करने के लिये भारतीय सशस्त्र सेना के कुल ७७९ भेजे गये हैं।

(ख) और (ग). डाक आदि के नियमित रूप से न मिलने के बारे में कुछ छोटी मोटी शिकायतें मिली थीं किन्तु उन शिकायतों को दूर कर दिया गया है। किन्तु सरकार का ध्यान किसी गम्भीर शिकायत की ओर नहीं दिलाया गया।

(घ) कांगों में भेजे गये भारतीयों को उनका सामान्य मासिक वेतन और भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त देश से बाहर करने के लिये उन्हें प्रत्यावर्तन भत्ता भी मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सूचित किया है कि वे राशन, निवास-स्थान और निर्वाह भत्ते की व्यवस्था करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जहां पर हमारे सैनिकों को राशन और निवास-स्थान की व्यवस्था नहीं कर पाता, वहां पर वह हमारे सैनिकों को ऊंचे दर पर निर्वाह भत्ता देता है। कांगों में निर्वाह व्यय के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार निर्वाह भत्ते में परिवर्तन हो जाता है।

हमारे देश के सैनिकों को राशन देने का उत्तरदायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर है, जैसा कि उस देश में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना में काम कर रहे अन्य देशों के लोगों के बारे में है। भारतीय कर्मचारियों की विशेष आवश्यकता की चीजों जसे, आटा, दाल, मसालों आदि का संभरण संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यय पर भारत करता है।

(ङ) जी नहीं।

(ज) सामान्यतः उनको उनके पत्र नियमपूर्वक मिलते हैं। उन्हें भारतीय पत्र-पत्रिकायें भी भेजी जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, कांगों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना में अन्य देशों के दस्तों को जो सुविधायें दी जाती हैं, वही सुविधायें भारतीय सैनिकों को भी प्राप्त हैं।

(छ) अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया गया। भारतीय कर्मचारियों का पहला दस्ता कांगों में अगस्त, १९६० में पहुंचा था।

(ज) समाचार यह है कि हमारे सैनिकों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उनका नैतिक साहस बड़ा ऊंचा है।

हरिजन कल्याण

†७५५. श्री बै० च० मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री हरिजन कल्याण के लिये राज्यों को अनुदान के सम्बन्ध में ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त प्रश्न के भाग (ख), (ग) और (घ) के बारे में इस बीच जानकारी प्राप्त हो गयी है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): जम्मू और काश्मीर राज्य के अतिरिक्त शेष अन्य सभी राज्यों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो गयी है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार से जानकारी शीघ्र भेजने के लिये कहा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये शिक्षण-कक्षायें

†७५६. **श्री बै० च० मलिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये शिक्षण-कक्षायें चालू करने की प्रस्थापना के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: उपरोक्त उत्तर देने के पश्चात् एक अन्य राज्य सरकार अर्थात् केरल से भी कुछ प्रस्थापनायें मिली हैं। मामले पर विचार किया जा रहा है।

सिक्कों की वापसी

†७५७. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि दो आने और दो पैसे के निकल के पुराने सिक्कों की वापसी के पश्चात् उड़ीसा के कुछ स्थानों पर ये सिक्के आधी कीमत पर लिये जाते हैं; और

(ख) क्या इस का कारण यह है कि नये सिक्के पर्याप्त मात्रा में परिचालित नहीं किये गये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) उड़ीसा राज्य के केवल कोरापुट जिले से इस प्रकार के समाचार मिले हैं।

(ख) यह बात नये सिक्कों की कमी अथवा अपर्याप्त संख्या में परिचालन के कारण नहीं है। आदिम जातियों के लोग उप-कोषागारों तथा डाकखानों में जाने के कष्ट से बचने के लिये इन सिक्कों को आधी कीमत पर विनिमय कर लेते हैं, क्योंकि कोरापुट जिले में ये कार्यालय बड़ी दूर दूर पर स्थित हैं। कोरापुट के कलैक्टर और अन्य अधिकारियों को निदेश दिये गये हैं कि वे सरल विनिमय सुविधाओं की व्यवस्था करें।

दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल

†७५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री राधा रमण :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय के १५ स्कूलों को तम्बुओं के स्थान पर पूर्व निर्मित मकानों में रखने के कार्यक्रम को रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). स्कूलों के पूर्व निर्मित भवनों के निर्माण का कार्यक्रम कार्यक्रम के अनुसार ही हो रहा है। केवल एक मामले में निर्माण रोक दिया गया है क्योंकि जिस स्थान पर उस को बनाया जा रहा था उस के बारे में दिल्ली नगर निगम ने यह आपत्ति की कि वह स्थान बच्चों का पार्क बनाने के लिये निर्धारित थी। निगम ने इस स्थान पर स्कूल बनाने की इजाजत नहीं दी इसलिये अब वैकल्पिक स्थान चुना गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

आवारा बच्चों का पुनर्वास

†७५९. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के विशेषतया दिल्ली के आवारा बच्चों के पुनर्वास के बारे में कार्यवाही करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) इस समय भारत सरकार एसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ज्वालामुखी में तेल के लिये ड्रिलिंग

†७६०. श्री हेम राज : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यहें बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज्वालामुखी में १९५७ में कितने विदेशी विशेषज्ञ काम कर रहे थे तथा १९६० में कितने कर रहे हैं ;

(ख) विदेशी विशेषज्ञों ने कितने ड्रिलरों को अब तक प्रशिक्षित कर दिया है;

(ग) पाइपों के फट जाने के कारण पहले कुएं की ड्रिलिंग में तथा दूसरे कुंएं की ड्रिलिंग में कितने घंटे बर्बाद हुए; और

(घ) ज्वालामुखी में पहले गहरे कुए की ड्रिलिंग में कितनी धनराशि व्यय हुई ?

†खान और तेल मंत्री (ी के० दे० मालवीय) : (क) १९५७ में २१ और इस समय ६ ।

(ख) ४० ड्रिलर और सहायक ड्रिलर ।

(ग) पहले कुए की ड्रिलिंग में लगभग १००० घंटे तथा दूसरे कुए की ड्रिलिंग में लगभग १२ घंटे बर्बाद हुए ।

(घ) पहले कुए के ड्रिलिंग के व्यय की अभी गणना नहीं की गई है ।

राष्ट्रीय नाट्यशाला

†७६१. श्री तंगामणि : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टगोर शताब्दी समारोह के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय नाट्यशाला के लिये स्थान चुन लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन से नगरों में;

(ग) क्या मद्रास राज्य में मद्रास नगर चुना गया है; और

(घ) यदि हां, तो मद्रास में इस नाट्यशाला के निर्माण के लिये कितना धन आवंटित किया गया है तथा इसके पूरा होने की संभावित तिथि क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) आसाम और गुजरात के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों की राजधानियों में । इन दोनों राज्यों में नाट्यशाला गोहाटी और अहमदाबाद में बनेंगी ।

(ग) जी हां ।

(घ) व्यय के पहल २ लाख के केन्द्रीय सरकार का भाग ५० प्रतिशत तथा २ लाख से ऊपर की राशि में २५ प्रतिशत होगा परन्तु अधिकतम राशि २.५ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार देगी। राज्य सरकार से अन्तिम प्राक्कलन मिलने पर ही पता लगेगा कि केन्द्रीय सरकार कितनी सहायता देगी । अभी तक कोई निश्चित तिथि नहीं बनाई जा सकी है । परन्तु इस को शताब्दी समारोहों से पहले ही बना लेने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात का आवंटन

†७६२. **श्री तंगामणि** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर के सं ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात के आवंटन १९५९–६० तुलना में १९६०–६१ में बढ़ा दिये गये हैं ।

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) १९६०–६१ में इस्पात के आवंटन की प्रक्रिया उदार बना दी गई थी । सभी उपभोक्ता अब बिना कोटा प्रमाणपत्र के अपनी आवश्यकतायें पूरा कर सकते हैं । पतली चादरों और तारों का आवंटन अभी भी कोटा प्रमाणपत्रों के अधीन ही होता है । इसलिये १९६०–६१ में उपभोक्ताओं द्वारा ली गई कुल मात्रा १९५९–६० के आवंटनों से अधिक हो सकती है ।

परन्तु १९६०–६१ म छोटे पैमाने के उद्योगों के आवंटन के लिये राज्यों में वितरित की जाने के लिये १५७, ७२८ टन प्लेट, शीट और तार विकास आयुक्त को दिये गये हैं । पूरे वर्ष के लिये विभिन्न राज्यों को किये गये कुल आवंटनों का अभी पता नहीं है । इस वर्ष के प्रत्येक राज्य को भेजने के आंकड़े भी प्राप्य नहीं हैं । छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कच्चे लोहे का अलग कोटा नहीं है ।

अन्दमान के शिक्षा विभाग में अध्यापक

†७६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूह में शिक्षा विभाग से गत पांच वर्षों में कितने अस्थायी अध्यापकों को सेवाविकृत किया गया और उन की उस समय सेवन विधि कितनी थी;

(ख) क्या इन सेवानिवृत अध्यापकों को निवृत्तिवेतन के लाभ दिये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग) अण्डमान द्वीप समूह प्रशासन से जानकारी कांगी जा रही है और मिलने का लोक सभा में रखदी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

राकेट विद्या

†*७६४. श्री गोरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में राकेट विद्या (रॉकेट्री) में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने किसी देश से जानकारी हासिल करने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम हुए ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (ग). इस प्रश्न का उत्तर देना लोक हित में नहीं है। परन्तु यह बताया जा सकता है कि हम उन शस्त्रास्त्रों का निर्माण करने वालों में नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में आजकल 'रॉकेट्री' शब्द का प्रायः प्रयोग होता है, अर्थात् दूर-क्षेप्यास्त्र तथा नाभिकीय शस्त्र।

जामा मस्जिद , दिल्ली

†७६५. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब विदेशी पर्यटक दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद को देखने आते हैं तो व्यापारियों के कई दलाल जामा मस्जिद के भीतर आ जाते हैं और पर्यटकों को तंग करते हैं जिस से उन्हें बहुत असुविधा होती है,

(ख) क्या यह भी सच है कि मस्जिद के प्रबन्धक ठेके पर व्यापारी दलालों को पर्यटकों से बातचीत करने के लिये बुलाते हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसे ठेके किस मूल्य पर दिये जाते हैं, किस अवधि के लिये दिये जाते हैं और कब दिये जाते हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास) (क) से (ग). क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक नहीं है, सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

लोअर डिवीजन क्लर्क

†७६६. श्री अ० मु० तारिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में लोअर डिवीज़न क्लर्कों के लिए सैलेक्शन ग्रेड स्वीकार कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सैलेक्शन ग्रेड भारत सरकार के सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में नहीं हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से लोअर डिवीज़न क्लर्क अपने वेतन क्रम का अधिकतम पा रहे हैं और ऊंचे पद पर पदोन्नति न होने के कारण उनकी वार्षिक वृद्धि नहीं हो रही है ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों के साथ न्याय करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में यह नहीं है।

(ग) संभव है इस प्रकार के कुछ मामले हों परन्तु सही संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है।

(घ) अब अपर डिवीज़न क्लर्क की सीधी भरती बन्द कर दी गई है इसलिए लोअर डिवीज़न क्लर्कों की पदोन्नति का रास्ता खुल गया है।

लोअर डिवीजन क्लर्कों के वेतन निर्धारण में गड़बड़ी

†७६७. श्री अ० मु० तारिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ अप्रैल, १९५६ से वेतन क्रमों का पुनरीक्षण होने के बाद से लोअर डिवीज़न क्लर्कों के वेतन क्रमों में कोई गड़बड़ी है; ।

(ख) यदि हां, तो क्या लोअर डिवीज़न क्लर्कों को एक वृद्धि की आवर्तक हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वेतन क्रम के पुनरीक्षण के बाद से जूनियर, सीनियर से अधिक वेतन ले रहे हैं ;

(घ) क्या १ अप्रैल, १९५६ को वेतन क्रम के पुनरीक्षण के समय उनके वेतन क्रम में जो गड़बड़ी थी उसके बारे में लोअर डिवीज़न क्लर्कों ने अभ्यावेदन भेजा है ; और

(ङ) यदि हां, तो मामले को ठीक करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) १९५६ में वेतन क्रमों के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप लोअर डिवीजन क्लर्कों के वेतन निर्धारण में जो गड़बड़ी थी उनको सरकार को बता दिया गया है। सरकार उन पर विचार कर रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) मामले पर सरकार विचार कर रही है।

लोअर डिवीजन क्लर्क

†७६८. श्री अ० मु० तारिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालयों में अस्थाई लोअर डिवीज़न क्लर्क अपर डिवीज़न क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या स्थाअी लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो कार्यकारी अपर डिवीज़न क्लर्कों से सीनियर हैं, अपर डिवीज़न क्लर्क नहीं बनाये गए हैं ; और

(ग) उपरिलिखित गड़बड़ी को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के गठन से पूर्व जो लोअर डिवीज़न क्लर्क अपर डिवीजन बना दिए गए थे, वह ही अपर डिवीज़न क्लर्क हैं। पदोन्नति के समय वह लोअर डिवीज़न में स्थाई बनने के लिए

†मूल अंग्रेजी में

सब से सीनियर थे। बाद में कुछ व्यक्ति जो अस्थाई वरिष्ठता सूची में जूनियर थे, को लोअर डिवीजन के रूप में स्थाई बना दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने सीनियरों से पहले टाइप की परीक्षा पास कर ली थी। इस प्रकार जो व्यक्ति सीनियर हो गये थे उनको अपर डिवीजन क्लर्क नहीं बनाया गया है। परन्तु भवविष्य में पदोन्नतियां वरिष्ठता सूची के अनुसार ही होंगी और स्थान खाली होने पर उनको पदोन्नत कर दिया जायेगा।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की बेंच

†७६९. श्री अगाड़ी :
श्री वोडयार :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की बैंच बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों से ऐसे प्रस्ताव मिले हैं ;

(ग) क्या इसके बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद

†७७०. श्री अगाडी :
श्री वोडयार :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश की सभी वस्तुओं का बीमा है ;

(ख) यदि हां, तो इनका बीमा कितने धन के लिए है ; और कितना प्रीमियम दिया जाता है ; और

(ग) कौन कौन से बीमा समवाय हैं और प्रत्येक समवाय में कितनी जोखिम की गारंटी दी है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर पत्रकार संस्था

†७७१. श्री ले० अचौसिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर पत्रकार संस्था ने संघ गृह-मंत्री को अभ्यावेदन भेजा है कि 'नगासी (Ngasi) और 'अनोब्बा समाज' (Anowba samaj) दैनिक समाचार

†मूल अंग्रेजी में

पत्रों को सरकारी विपज्ञान देना क्यों बन्द कर दिया गया है और अंग्रेजी साप्ताहिक 'ईस्टर्न एक्सप्रेस को विज्ञापन क्यों नहीं दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ; परन्तु अभ्यावेदन में अनोव्वा समाज' का नाम नहीं था ।

(ख) मनीपुर प्रशासन ने सरकारी विज्ञापनों के लिये समाचारपत्रों की स्वीकृत सूची में से 'नगासी' का नाम हटा दिया है क्योंकि वह जनता में ऐसी भावना फैलाते थे जिससे गुण्डागर्दी को प्रोत्साहन मिलता था और द्वेषभाव फैलता था। 'ईस्टर्न एक्सप्रेस' सरकारी विज्ञापनों के लिये स्वीकृत सूची में कभी भी नहीं था ।

भारत सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है ।

मनीपुर में सहायता कार्य

†७७२. श्री ले० अचौसिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा १९५९–६० में मनीपुर के आदिम जातियों के लिये सहायता कार्य के लिये ४ लाख रुपया स्वीकार करने पर भी इसके बारे में एक भी रुपया व्यय नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५९–६० में किये गये काम के लिये आदिम जाति के लोगों को १९५९–६० के वित्तीय वर्ष में कितना धन दिया गया ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पत्रकारों द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†७७३. { श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में पालम पर विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लघंन करने के लिये कितने पत्रकारों को रोका गया ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण

†७७४. { श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ९ सितम्बर, १९६० से १४ नवम्बर, १९६० तक इस्पात संयंत्रों को सप्ताह में कितना कोयला दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उनके लिये पर्याप्त था ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९]**

नासिक में अर्जित की गई भूमि

†७७५. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सैनिक कार्यों के लिये पट्टे पर लिये गये गांवों की भूमिका किराया देने में बहुत विलम्ब हुआ है ;

(ख) ३० अप्रैल, १९६० तक प्रत्येक गांव के किराये की अलग अलग राशि क्या है ; और

(ग) किराये के भुगतान में शीघ्रता के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). जानकारी अभी प्राप्य नहीं है और इकट्ठी की जा रही है । संभव होने पर यह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत में आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल

†७७६. **श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में किन देशों से भारत में कितने विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमंडल आये ; और

(ख) इन शिष्टमंडलों पर कितना धन व्यय किया गया ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय के पास जो जानकारी है वह नीचे दी जाती है :—

(क) १९५८–५९ में बारह तथा १९५९–६० में बारह शिष्ट मंडल भारत आये । वह जिन देशों से आये वह इस प्रकार हैं :—आस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, चीन, चैकोस्लोवाकिया, जर्मनी का लोकतंत्रीय गणराज्य, विएतनाम का लोकतंत्रीय गणराज्य, जापान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, पोलैण्ड , विएतनाम का गणराज्य, रूमानिया, स्वेडन, ब्रिटेन, रूस, यूगोस्लाविया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन शिष्टमंडलों पर अब तक ४,१२,२८४ रुपये ५१ नये पैसे व्यय हुए ।

अन्य मंत्रालयों तथा सांस्कृतिक सम्बन्धों की भारतीय परिषद् की जानकारी इकट्ठी की जा रही है ।

विदेशों को गये सांस्कृतिक शिष्ट मंडल

†७७७. **श्री आसर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में कितने सांस्कृतिक शिष्टमंडल विदेशों को गये और वह किन-किन देशों को गये; और

(ख) उन पर कितना धन व्यय हुआ ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०]** ।

डाक द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा

†७७८. **श्री आसर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिजों और विश्वविद्यालयों में जगह की कमी के कारण विश्वविद्यालय की शिक्षा डाक से देने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

स्थगन प्रस्ताव

कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्तराष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास एक ही विषय के सम्बन्ध में कई स्थगन प्रस्ताव आये हैं। सब से पहला श्री अर्जुनसिंह भदौरिया का है । उसमें कहा गया है कि कांगों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से काम करने वाले भारतीय सैनिक अधिकारियों और सैनिकों को पीटा गया है और उनका जीवन खतरे में है ।

मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा जिनके पास सरकारी अभिकरणों के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र सूत्र से कोई सूचना आई है । यदि माननीय सदस्यगण केवल समाचारपत्रों के समाचारों के आधार पर बोलना चाहते हों, तो उन्हें सरकार से इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी मांगनी चाहिये । माननीय प्रधान मंत्री इसके बारे में जानकारी दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : इस पर इतना ज्यादा प्रस्ताव आना कोई ताज्जुब की बात नहीं। हां, लेकिन शायद यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता ।

यह एक बड़ा गम्भीर मामला है । मैंने कल रात शायद ग्यारह बजे इसके बारे में पहली जब बार सुना, तब मुझे बड़ा धक्का लगा और इसके बारे में गहरी चिन्ता हो गई। मैंने उसी वक्त लियोपोल्डविल से आयी प्रेस की खबरें देखीं । वहां हमारे अपने जो नुमाइंदें हैं, उनकी तरफ से कोई सीधी खबर हमारे पास तब तक नहीं आई थी, और अभी तक भी नहीं आई है । कल रात यह खबर सुनते ही, मैंने उसी वक्त लियोपोल्डविल में तैनात अपने नुमाइंदों को तार भेजे । एक तार वहां रहने वाले अपने राजदूत को और दूसरा तार संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने स्थायी प्रतिनिधि को भेजा । लियोपोल्डविल में तैनात अपने नुमाइंदे को मैंने सिर्फ इतना लिखा कि प्रेस में इस किस्म की खबरें आई हैं और वह तुरन्त ही मेरे पास उनका सच्चा और पूरा ब्यौरा भेजें । यह इसलिये जरूरी था कि सरकारें प्रेस की खबरों की बिना पर काम नहीं करतीं, पहले उन खबरों का अधिकृत ब्यौरा जुटाती हैं। संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि को मैंने इस खबर का हवाला देते हुए लिखा था कि हमने लियोपोल्डविल में रहने वाले अपने नुमाइंदे से पूरा अधिकृत ब्यौरा भेजने के लिये कहा है, और इसके बारे में हमें बड़ी चिन्ता है । अपने स्थायी प्रतिनिधि को हमने यह भी लिखा था कि वह खुद समझ सकते हैं कि संसद् और देश की जनता पर इस खबर का क्या असर पड़ेगा । हमने उनसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और महासभा के सभापति से तुरन्त मिलकर हमारी गहरी चिन्ता की बात बताने के साथ ही इस काण्ड की जांच कराने के लिये अनुरोध करने को भी कहा था और पूछा था कि वे इसके बारे में क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसलिये कि इस खबर से हमारे दिलों को जो चोट लगी, जो क्षोभ हुआ, वह तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके साथ ही इस घटना से जो सवाल पैदा होते हैं, उनकी भी बहुत बड़ी अहमियत है ।

मुझे ऐसी किसी चीज की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन हां, ऐसा कुछ लग सा रहा था पहले से । कल या परसों कांगों के बारे में बहस के दौरान मैंने उसकी तरफ कुछ इशारा भी किया था। कुछ दिन से मुझे ऐसा लग रहा था कि कांगों के हालात कुछ वैसी ही शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं, इसलिये कि कांगों में, और सब चीजों के अलावा, एक सब से खास चीज यह है कि वहां एक भीड़ के हाथ में सब कुछ है, और भीड़ भी जनता की नहीं बल्कि फौज की भीड़ है । मतलब यह है कि वहां खुद फौज एक भीड़ में बदल गई है । जाहिर है कि यही सब से खतरनाक परिस्थिति होती है । मैंने कल या परसों सभा में बताया था कि कांगों में फौजें किस तरह काम कर रही हैं । कहा जाता है कि वहां की फौजें कर्नल मोबूटू की कमान में हैं। अब दो ही सूरतें हो सकती हैं—या तो फौजें वाकई कर्नल मोबूटू की कमान्ड में हैं, या फिर वे कर्नल मोबूटू के बस से भी बाहर हैं । अगर फौजें कर्नल मोबूटू का हुक्म मानती हैं, तो जाहिर है कि इसकी सारी जिम्मेदारी कर्नल मोबूटू पर ही है । और अगर, फौजों पर कर्नल मोबूटू का हुक्म नहीं चलता और फौज के लोग मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं और कर्नल मोबूटू का हुक्म मानना सिर्फ दिखावे की बात है ; उसमें कोई असलियत नहीं है, तो भी इसकी जिम्मेदारी कर्नल मोबूटू पर ही, और उन लोगों पर है जिनके हुक्म पर कर्नल मोबूटू चलते हैं, अगर कर्नल वाकई किसी और के हुक्म पर चलते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमारा तो यही ख्याल है और श्री राजेश्वर दयाल की रिपोर्ट में भी यही कहा गया है कि कांगो के हालात में सबसे खतरनाक चीज कांगों की फौज ही है। कांगों की फौज ने लियोपोल्डविल के अफ्रीकी हिस्से में एक बड़े पैमाने पर लूटमार, मारपीट और गोलीबारी की थी। संयुक्तराष्ट्र संगठन के अधिकारियों ने बमुश्किल तमाम उनको लियोपोल्डविल से बाहर खदेड़ा था। लेकिन पता नहीं क्यों अभी कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के मौके पर उनको लियोपोल्डविल में आने की इजाजत दे दी गई थी, या दावत दी गई थी कि वे भी संयुक्तराष्ट्र संघ दिवस मनाने में हिस्सा लें। क्यों ? यह मेरी समझ में नहीं आया। लगता है कि उसके बाद से वे फौजें शहर में ही बनी रहीं, वापिस नहीं गईं थी। उसका नतीजा अब हमारे सामने है। हमने शुरू से यही सुझाव रखा था कि इस फौज को या तो काबू में रखा जाये या उसके हथियार रखवा लिय जायें। लेकिन हमारे सुझाव पर कोई अमल नहीं किया गया। नतीजा सामने है।

मैं फिर दोहराता हूं कि हमने कांगों में अपने जो अधिकारी भेजे हैं वे लड़ाई में हिस्सा लेने वाली फौज के अधिकारी नहीं हैं। दूसरे देशों की ओर से जो सैनिक भेजे गये हैं वे लड़ने वाली फौज के हैं। हमने जो सैनिक वहां भेजे हैं वे रसद पहुंचाने, सिगनल देने और अस्पतालों का काम करने वाले सैनिक ही हैं। वहां हमारे करीब ७७० या ७८० आदमी हैं, जिन में कई नर्सें भी हैं।

उसके बाद की मुझे अभी कोई खबर नहीं मिली है। मैं सभा को यकीव दिलाता हूं कि हम इन घटनाओं को बहुत ज्यादा बुरी और संगीन समझते हैं। हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन तरीका यही है कि हम संयुक्तराष्ट्र संगठन के जरिये ही उसके बारे में कोई कार्यवाही कर सकते हैं। हम संयुक्तराष्ट्र के न्यूयार्क के दफ्तर के जरिये ही कुछ कदम उठा सकते हैं, उससे अलग नहीं। हम संयुक्तराष्ट्र संघ के महासचिव, महासभा के सभापति और अगर जरूरत पड़ी तो महासभा के जरिये इसके बारे में कार्यवाही करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त तक हमने इसके बारे में सिर्फ इतना किया है कि अपने स्थायी प्रतिनिधि से महासचिव और महासभा के सभापति से मिलने के लिये कहा है। अब आगे इसके बारे में हमें जो भी मालूम होता रहेगा, हम सभा के सामने रखते रहेंगे।

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : क्या हमारी सरकार को ऐसा कोई आश्वासन मिला था कि संयुक्तराष्ट्र संघ की ओर से कांगो में भेजे जाने वाले भारतीयों का जोवन निरापद रहेगा? यदि प्रधान मंत्री को पहले से इन घटनाओं का कुछ आभास हो रहा था, तो भारतीय अधिकारियों की रक्षा के लिये उन्होंने कौन से कदम उठाये थे ?

†श्री महन्ती (ढेंकानाल) : इस समय तो केवल इस बात पर विचार करना है कि इस प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिये, या नहीं। प्रधान मंत्री ने इसके सम्बन्ध में पूरी जानकारी हमें दे ही दी है। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। यदि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है, तो आप इस प्रस्ताव की अनुमति चाहे न दें। लेकिन हम अपने अधिकारियों को ऐसा अपमानजनक व्यवहार सहन करने के लिये वहां नहीं भेज सकते।

इस लिये, मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में बिल्कुल प्रक्रिया नियमों की लीक पर ही न चला जाये। सभा को इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : मैं ने भी एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है हमारे प्रधान मंत्री वैदेशिक कार्य मंत्री के रूप में बिल्कुल असफल रहे हैं, इसलिये वैदेशिक मंत्रित्व से उनको त्याग पत्र दे देना चाहिये ।

†अध्यक्ष महोदय : अभी मैं ने इस स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपना विनिर्णय नहीं दिया है। इसलिये इस पर अभी चर्चा नहीं की जा सकती ।

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खनदेश) : मैंने अपने स्थगन-प्रस्ताव में स्पष्ट कहा है कि लियोपोल्डविल में कांगों के सैनिकों को भारतीय कर्मचारियों पर मनमानी करने देने को रोकने के लिये, संयुक्त राष्ट्र संगठन के जरिये, प्रभावशाली कार्यवाही करने में सरकार असमर्थ रही है। विशेषकर, तब जबकि प्रधान मंत्री को पहले से इसका आभास था। प्रश्न केवल हमारे अपमान का नहीं, बल्कि पूरे संयुक्तराष्ट्र संगठन के भविष्य का है। सरकार अपने कर्त्तव्य में चूक गई है।

†श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : कागों में ऐसी घटनायें तभी से होना शुरु हुई हैं जब से संयुक्तराष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिये राष्ट्रपति कासावुबू के नामजद प्रतिनिधियों को अनुमति दी गई है। इन घटनाओं से तो लगता है कि इसके कारण हम शीत युद्ध ही नहीं, एक खुले युद्ध के चक्कर में भी फंस सकते हैं। यदि संसद् इन घटनाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त नहीं करेगी तो संसार यही समझेगा कि हमारे देश को उनकी कोई चिन्ता ही नहीं है ।

†श्री नाथपाई (राजापुर) : कागों में जो कुछ हुआ, उसके लिये हमारी सरकार जिम्मेदार नहीं ठहराई जा सकती। हां, हमें उन घटनाओं से बड़ा क्षोभ है और चिन्ता है। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री ने जिस कार्यवाही का उल्लेख किया है, वह बड़ी दृढ़ता से की जाये ।

लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि इन घटनाओं पर पूरी तौर से चर्चा करने का अवसर संसद् को दिया जाये, जिससे कि देश की जनता के क्षोभ को वाणी दी जा सके ।

†श्री परूलकर (थाना) : हमारी भावना है कि प्रधान मंत्री ने कांगों में भारतीय राष्ट्रजनों की सुरक्षा के लिये जो कार्यवाही करने की बात कही है, वह काफी नहीं है ।

इसीलिये, यह आवश्यक है कि कांगों के संकट के संबंध में काफी ब्यौरेवार चर्चा की जाये। भारत सरकार ने अभी कांगो के संकट को पूरी तरह से समझा नहीं है । इसलिये इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देकर, इस विषय पर चर्चा का अवसर दिया जाना चाहिये ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : कांगो की इन नई घटनाओं पर चर्चा तो होनी चाहिये, लेकिन स्थगन-प्रस्ताव के जरिये नहीं । अभी कल ही वैदेशिक-कार्य संबंधी हमारी चर्चा समाप्त हुई है । मैं यह ठीक नहीं समझता कि इन घटनाओं में सरकार की कोई चूक है । हां, सरकार को इन घटनाओं का और अधिक ब्यौरा सभा के सामने रखना चाहिये ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिस्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिये कार्यवाही की जायेगी । हम अखबारों में पढ़ते रहे हैं कि कुछ देशों के प्रतिनिधि श्री राजेश्वर दयाल और संयुक्तराष्ट्र संगठन के काम को मटियामेट करने की कोशिश में लगे हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० दा० मुकर्जी]

हम जानना चाहते हैं कि परिस्थिति को इतना बिगड़ने क्यों दिया गया। हमें इसकी पूरी जानकारी जुटाई जानी चाहिये। फिर उसी जानकारी के आधार पर हमें चर्चा करनी चाहिये कि इस संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या नीति अपनायें। लेकिन मेरी भावना है कि भारत सरकार हमें पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं करा रही है, इसलिये कि बेल्जियम के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनके विरूद्ध हमारी सरकार कुछ नहीं कहना चाहती।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता तो है, लेकिन स्थगन-प्रस्ताव के जरिये नहीं। संयुक्त राष्ट्र में कासाबुब्रू के प्रतिनिधियों को मान्यता देने के बारे में चर्चा करना जरूरी है।

श्री आसर (रत्नागिरी) : अध्यक्ष महोदय, कल ही वाद-विवाद के समय माननीय सदस्य, श्री त्यागी ने प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछा था कि जो लोग वहां काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है। प्रधान मंत्री जी ने बताया था कि ये लोग अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। लेकिन अनुभव से देखा गया है कि हमारी सरकार ने उन लोगों की सुरक्षा के बारे में कोई विचार नहीं किया है और हम लोगों ने देखा है कि बहुत से हमारे लोग वहां पीटे गये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर विचार करने की आज्ञा दी जानी चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस विषय पर चर्चा करने से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसका कोई मौजू वक्त होना चाहिये। स्थगन प्रस्ताव रख कर इसके बारे में चर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगता। यह ठीक तरीका नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि अभी इस वक्त हमारे पास पूरा ब्यौरा नहीं आया है। अखबारों में जो कुछ आया है, बस उतनी ही जानकारी हमारे पास है। एक दो दिन में यकीनन हमारे पास कुछ ज्यादा ब्यौरा आ जायेगा। तब तक हमें यह भी मालूम हो जायेगा कि इसके बारे में संयुक्तराष्ट्र संघ संगठन क्या कार्यवाही करने जा रहा है। उस वक्त इस पर चर्चा करना ज्यादा फायदेमन्द होगा। इसलिये हमें अभी दो-तीन दिन और रुकना चाहिये। अभी कोई दिन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। मैं पहले देख लूं कि मामला है किस अवस्था पर। मैंने शुरू में ही कहा था कि इसका असर भारत ही नहीं, संयुक्तराष्ट्र संगठन की इज्जत पर भी पड़ेगा।

माननीय सदस्यों ने पूछा है कि हमने अपने लोगों की सुरक्षा के लिये क्या क्या किया है या करेंगे। श्री हेम बरुआ ने पूछा कि हमने उनकी सुरक्षा के लिये क्या गारन्टी ली थी। इस तरह के कामों में गारन्टियां नहीं मांगी जातीं। हम हर कहीं अपनी रक्षा आप कर सकते हैं, हमारा इतना बूता है। हम नहीं चाहते कि बच्चों की तरह हमारी भी देखभाल की जाये। सवाल बचाव का है ही नहीं। अगर कुछ शरारती लोग आपके मकान में रात को घुस पड़ें और छुरेबाजी करें, तो उसे एक भीड़ का राज ही कहा जा सकता है। वे लोग संगीनें लेकर आते हैं और हजामत बनाते वक्त लोगों को धमकाने लगते हैं। इसका एक ही मतलब होता है, कि वहां कानून और अमन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। लेकिन सबसे ज्यादा बुरी चीज तो यह है कि ऐसी हरकतें करने वालों को हथियारबन्द फौज कहा जाता है। इन्तहाई शर्मनाक हरकतें हैं और फिर हमसे बार बार पूछा जाता है कि हमने किया क्या।

श्री भरूचा ने मेरे पूर्वाभास का जिक्र किया है। मैंने कहा था कि मुझे ऐसा कुछ लग रहा था। लेकिन ऐसा कुछ लगने का मतलब यह तो नहीं कि मैंने साफ देख लिया था कि कुछ लोग हमारे अधिकारियों पर हमला कर देंगे। जाहिर है कि तने साफ ढंग से तो मैंने इसे देखा नहीं था। हां, यह जरूर मैं देख रहा था कि कांगो की फौज एक भीड़ में बदल गई है, उसमें कोई अनुशासन नहीं रह

---

†मूल अंग्रेजी में

गया है और वह मनमानी करने लगी है। उसके बारे में जो भी कार्यवाही की जाये, वह संयुक्तराष्ट्र संघ के जरिये ही हो सकती है। और अगर हम यह समझें कि हमारे अधिकारियों को वहां रखने से कोई फायदा नहीं, तो हम उनको वापिस बुला सकते हैं। लेकिन मैं अभी वैसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वह तो कमजोरी दिखाना होगा, परिस्थिति का सामना करना नहीं, उससे भागना होगा। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिये ही इस मामले में कार्यवाही करना चाहते हैं। हमारे यहां बहुत से लोग इसी रास्ते को सही मानते हैं।

जैसा आप जानते हैं कांगों में कई शक्तिया काम कर रही हैं और जो अपनी अपनी तरफ उसे खींच रही हैं। मैंने कल कहा भी था कि कासावुबू द्वारा नामजद प्रतिनिधियों को महासभा में बैठने देना, उसे मान्यता देना—यह भी उसी खींचतान का एक नतीजा है। कासावुबू को मान्यता देने की बात को मैं और ताकतों की बात के साथ नहीं जोड़ता। अच्छा तो यह होता कि मान्यता देने के मामले को थोड़ा और स्थगित कर दिया जाता। सामान्य तौर पर, संयुक्तराष्ट्र संघ के प्रतिनिधि-मंडल की रिपोर्ट मिलने के बाद ही उसके बारे में कोई फैसला किया जाना ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन अक्सर ऐसे छोटे छोटे मामलों को इज्जत का सवाल बना लिया जाता है और लोग उनके बारे में अपनी एक पक्की राय बना लेते हैं। इसमें यही हुआ था।

कासावुबू वैधानिक रूप से कांगो के राष्ट्रपति हैं, इस बात से किसी को, हमें भी इन्कार नहीं है। लेकिन वहां कई ऐसे काम हुये हैं जो कानून और संविधान के खिलाफ हैं। मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं कि कर्नल मोबुटू को भड़काने में, आगे बढ़ाने में, राष्ट्रपति कासावुबू का कितना हाथ है। हां, लेकिन कुछ हद तक बढ़ावा दिया गया है। किसने दिया, यह मैं नहीं कह सकता।

हमने संयुक्तराष्ट्र संघ में इस मामले पर मतदान होते समय इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था कि इस अवस्था पर कांगो के प्रतिनिधियों को संघ की बैठकों में भाग लेने दिया जाये। मैं "इस अवस्था" शब्द पर जोर दे रहा हूं। इसलिये कि वहां यह भी एक बड़ा मसला बन गया था। वैसे उसे बड़ा मसला बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। हम पहले ही तय कर चुके थे संयुक्तराष्ट्र संघ का एक प्रतिनिधिमंडल कांगो जायेगा और उसकी रिपोर्ट मिलने तक संयुक्तराष्ट्र संघ में कांगो के मसले पर कोई भी बहस नहीं की जायेगी। पन्द्रह-बीस दिन में वह रिपोर्ट मिल जाती। लेकिन फिर भी, उसे एक बड़ा मसला बना दिया गया और कासावुबू के प्रतिनिधियों को महासभा में जगह दे दी गई थी।

उन प्रतिनियिों के वहां बैठने का मतलब है कि महासभा में कांगो का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और इसीलिये, अब एक दूसरे नजरिये से, कांगों के बारे में कार्यवाही करना संयुक्तराष्ट्र संघ का फर्ज हो जाता है।

श्री कासावुबू शायद अभी भी न्यूयार्क में हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हैं। श्री राजेश्वर दयाल इस वक्त कहां हैं, मुझे यह भी नहीं मालूम। उनको कल कांगो लौट जाना था, पता नहीं लौटे या नहीं। शायद लौट गये हों।

इसीलिये, इसके बारे में मेरी राय है कि अगर आप ठीक समझें तो हम इसकी चर्चा के लिये दो-तीन दिन बाद का कोई समय रख लें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कल ही वैदेशिक कार्य संबंधी वाद-विवाद समाप्त हुआ है। सभा इस नीति का अनुमोदन कर चुकी है कि संयुक्तराष्ट्र संघ की सहायता के लिये भारतीय अधिकारी कांगों में भेजे जाने चाहिये थे। इसलिये उसे स्थगन-प्रस्ताव का विषय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन चूंकि

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

समस्या गम्भीर है, इसलिये सभा जानना चाहेगी कि दुर्व्यवहार की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

प्रधान मंत्री ने उनका पूरा ब्यौरा बताने का वचन दिया है। इसलिये इस विषय पर अगले सप्ताह किसी दिन अवश्य चर्चा रखी जायेगी।

मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना

†**अध्यक्ष महोदय** : एक स्थगन-प्रस्ताव और है, जिसमें कहा गया है कि तिब्बत में राकेटों के अड्डे बनने और राकेट छोड़े जाने के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। क्या प्रधान मंत्री को कुछ कहना है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इसकी कतई जानकारी नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यदि चाहें तो प्रधान मंत्री को इसके बारे में लिख सकते हैं। इस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं।

मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम में संशोधन

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२७५ ; और

(दो) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३३०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--२४५७/६०]

जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं जांच आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ३ के अन्तर्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१२ ; और

(दो) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १०६१।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२४५८/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

खनिज संरक्षण तथा विकास (संशोधन) नियम

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा) : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२९ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—२४५९/६०]

अखिल भारतीय सेवायें (सेवा शर्तें-अवशिष्ट विषय) नियम

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : मैं (४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें-अवशिष्ट विषय) नियम, १९६० की एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२३२३/६०]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, समुद्र सीमा-शुल्क और चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२३४

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२५८

(तीन) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२५९

(चार) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६०

(पांच) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६१

(छः) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६२

(सात) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२८९

(आठ) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२९०

(नौ) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२२

(दस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२३

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—२४६०/६०]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३–ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६३

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६४

(तीन) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६५

(चार) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६६

(पांच) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२५

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० २४६१/६०]

(३) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२४ की एक प्रति ;

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०२४६२/६०]

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२१ की एक प्रति ;

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २४६३/६०]

(५) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५७ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० २४६४/६०]

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : सभा को ज्ञात है कि हम कुछ समय से मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि मध्यप्रदेश का अतिरिक्त गेहूं तथा चावल इन दो राज्यों में आसानी से भेजा जा सके । मुझे यह घोषणा करते हुये खुशी हो रही है कि इसके बारे में समझौता हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश सरकार एक आदेश जारी कर रही है जिसके अन्तर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के थोक व्यापारियों को, जो मध्य प्रदेश से गेहूं और चावल बाहर भेजने का कार्य करना चाहते हैं, इस प्रयोजन के लिये खुले तौर से लाइसेंस मंजूर किये जायेंगे। ऐसे लाइसेंस-शुदा व्यापारियों को बिना किसी निर्यात परमिट के मध्य प्रदेश से गेहूं तथा चावल महाराष्ट्र और गुजरात को भेजेने का अधिकार होगा।

चूंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में सम्मिलित रूप से चावल आवश्यकता से अधिक है इसलिय यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय सरकार मुख्य चावल उत्पादक जिलों की लाइसेंसशुदा मिलों और व्यापारियों से २५ प्रतिशत वसूली करें।

जहां तक गेहूं का संबंध है, भारत सरकार के पास पर्याप्त स्टाक है और इसीलिये उस गेहूं की वसूली की इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पास भी इस समय गेहूं का काफी स्टाक है इसलिये वह भी वसूली नहीं करना चाहती है। यदि आवश्यक हुआ तो वह बाद में गेहूं की वसूली करेगी। हमें आशा है कि यह व्यवस्था तीनों राज्यों के लिये हितकारी सिद्ध होगी।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री ने कहा कि वह इन क्षेत्रों (ज़ोनों) को खत्म करने का विचार कर रहे हैं। गेहूं के स्टाक को देखते हुये क्या उसके क्षेत्र खत्म किए जायेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह उसी दिशा में उठाया गया कदम है।

†**श्री राधेलाल व्यास** (उज्जैन) : हम इस समझौते का विस्तृत विवरण जानना चाहते हैं। क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

†**श्री स० का० पाटिल**: : यदि सभा वैसा चाहती है तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : मध्य प्रदेश सरकार ने यह समझौता किन शर्तों पर स्वीकार किया है और वह गेहूं तथा चावल की बिक्री के लिय क्या भाव निश्चित कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या समझौते में भाव का भी उल्लेख है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी हां, लाइसेंसशुदा व्यापारियों को किसानों को निश्चित मूल्य ही देना होगा और सरकार को भी महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकारों द्वारा निश्चित मूल्य पर ही बेचना होगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलौदा बाजार) : क्या इसके लिये कोई पूर्वावधान किए गए हैं कि चावल उत्पादक जिलों के किसानों को कुछ अधिक मूल्य मिल सके और बड़े जोन के कारण मूल्य न बढ़ सकें ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह कदम किसानों की रक्षा के लिये ही उठाया गया है विशेष इसलिय कि भाव इतने गिर रहे थे कि किसानों के हतोत्साहित होने की आशंका थी। इसीलिये हमने यह किया है कि लाइसेंसशुदा व्यापारी किसानों को निश्चित मूल्य से कम न दें। वास्तव में किसानों को इस समय से अधिक मूल्य प्राप्त होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह (रायपुर) : मध्य प्रदेश, बम्बई और महाराष्ट्र के तुलनात्मक वसूली भाव क्या हैं ?

†श्री स० का० पाटिल : इस प्रश्न में विस्तृत जानकारी चाही गई है जिसके लिये पूर्वसूचना अपेक्षित है ।

समवाय संशोधन विधेयक—(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा में समवाय अधियनयम १९५६ में अग्रतर संशोधन करने वाले वधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंडवार विचार होगा ।

पहले खंड २ से १६ पर विचार होगा । माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो इन खंडों के बारे में संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं वे १५ मिनट के भीतर अपने संशोधनों की संख्या सभा पटल पर दे दें । खंड २ से १६ पर एक साथ चर्चा होगी । यदि माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति हो अथवा वे किसी खंड की अलग से चर्चा करनी चाहें तो मुझे बतादें ।

†श्री मी० रु० मसानी (रांची-पूर्व) : खंडों का वर्गीकरण समय नियत करने की दृष्टि से तो ठीक है और सन्तोषजनक ढंग से कार्य भी करेगा । लेकिन इसका अभिप्राय, मैं तो ऐसा नहीं समझता, यह है कि सभी खंडों पर एक साथ चर्चा की जाये । मेरा विचार है कि खंडों पर अलग अलग चर्चा की जाय वर्ना बड़ी कठिनाई हो जायेगी । अत: मेरा निवेदन है कि प्रत्येक खंड पर अलग अलग चर्चा की जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : आप मेरा मतलब नहीं समझे । मैं खंड २ से १६ को एक साथ मतदान के लिये नहीं रखूंगा । मतदान की दृष्टि से मैं सभी खंडों को अलग अलग रखूंगा । और जिस संशोधन पर उस समय माननीय सदस्य बल देना चाहेंगे मैं उसे भी मतदान के लिये अलग से रखूंगा ।

†श्री तंगामणि (मदुरै) : खंड ५क, ९, ११ और १४ के बारे में संशोधन है ।

†श्री मी० रू० मसानी : मैं खंड १३ का विरोध करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : अत: मैं समझता हूं कि शेष खंड अविवादास्पद है । मैं उन खंडों को तुरंत ही मतदान के लिये रखता हूं । फिर उसके बाद खंड ५क, ९, ११, १३ और १४ पर विचार होगा ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, १२, १५ और १६ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, १२, १५ और १६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड ५क, ९, ११, १३ और १४ पर चर्चा करेंगे ।

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : मेरा सुझाव है कि इस खंड को खंड ९८ के साथ लिया जाये । क्योंकि दोनों खंडों का विषय लगभग एक सा है अत: इस समय इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है। खंड ५क पर खंड ९८ के साथ विचार किया जायेगा। अब हम आगे की खंडों पर विचार करें।

†**श्री तंगामणि :** मैं अपना संशोधन संख्या १०३ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह तो खंड ९ के बारे में है। खंड १३ के बारे में कोई संशोधन है नहीं। क्या खंड १४ के बारे में कोई संशोधन है।

†**श्री मी० रू० महानी :** मैं अपने संशोधन संख्या २ और ३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नौसीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं अपना संशोधन संख्या ५८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री तंगामणि :** मैं अपने संशोधन संख्या ४० और १०४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री नथवानी** (सोरठ) : मैं अपना संशोधन संख्या १०८ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि अन्य संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। अब हम आगे चर्चा शुरू करते हैं।

†**श्री तंगामणि :** मेरा संशोधन संख्या १०३ पृष्ठ ६ में से पंक्तियां १२ से १६ को निकालने के बारे में है। यह खंड मुख्य अधिनियम की धारा २५ में संशोधन करता है। इसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया जा रहा है जिसके आधार पर सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से कुछ समवायों को छूट दे सके। सरकार जो अधिकार ले रही है वह बात तो मेरी समझ में आती है। खंड २५ जिस रूप में संयुक्त समिति के पास से आया है, उस रूप में वह आगे निकल गया है, जिसका उल्लेख शास्त्री समिति के प्रतिवेदन में किया गया है। मेरा निवेदन है कि यदि मूल धारा अर्थात् धारा २५ (६) को वैसा ही रहने दिया जाये तो उससे पूर्ण न्याय हो जायेगा। अतः मेरा निवेदन है कि उपधारा (५) के साथ साथ उपधारा (६) को भी रखा जाये और ऐसा करने से पूर्ण न्याय हो जायेगा।

†**श्री कानूनगो :** श्री तंगामणि का संशोधन खंड ९ अर्थात् मूल धारा २५ के बारे में हैं। श्री तंगामणि ने कहा है कि इस पर संयुक्त समिति पर विशद चर्चा की जा चुकी है। वस्तुतः इस समय हम जिस खंड की चर्चा कर रहे हैं उसकी सिफारिश शास्त्री समिति द्वारा की गई थी। इस पर चर्चा करने के बाद यह देखा गया कि कुछ आकस्मिक आवश्यकता हो सकती है क्योंकि समवायों के वर्ग को, जो आगे चल कर अपने आप समवाय बना लेते हैं, विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के निर्वाचन हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के नियंत्रण एवं उनमें विभिन्न प्रकार की सदस्यता हो सकती है। अतः जब तक इन सभी आकस्मिक आवश्यकताओं के बारे में विचार नहीं कर लिया जाता तब तक इस विधेयक का प्रारूप तैयार नहीं किया जा सकता। अतः इस अधिनियम की मूल धारा २५ में संशो न इस विचार से किया जा रहा है कि समय समय पर उत्पन्न होने वाली आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि उपधारा (५) मौजूद रही है और रहेगी। इस खंड के होते हुये भी उप खंड ६ में संशोधन कर दिया गया है। और इन शर्तों की अवहेलना करने पर इस धारा के अधीन बाद को दंड की व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ९ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ९ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब हम खंड ११ पर विचार करेंगे ।

खंड ११—(धारा ३१ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय :** खंड ११ के बारे में कोई संशोधन नहीं है ।

†**श्री मी० रू० मसानी :** मैं इस खंड का विरोध करता हूं ।

इस खंड में यह व्यवस्था की गई है कि समवाय के अनुच्छेद में सरकार की अनुमति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिसके अनुसार कि लोक समवाय को गैर-सरकारी समवाय में बदला जा सके । यह संशोधन एक दम आपत्तिजनक है । सभी प्रकार के प्रतिबंध लगाये गये हैं कि एक ग़ैर-सरकारी समवाय को ग़ैर-सरकारी समवाय के पूरे लाभ मिल सकें । इस प्रकार का प्रतिबंध लगा कर तो सरकार 'जुल्म' कर रही है क्योंकि यदि सरकार ने एक बार 'ना' कर दिया तो इसकी अपील तो किसी भी अदालत में नहीं हो सकती । हम मानते हैं कि सरकार असंगत व्यवहार नहीं करेगी लेकिन फिर भी यह तो कोई आधार नहीं है जिस पर कि विधियां बनाई जायें । यह भी तो कोई गारंटी नहीं है कि सरकार अपने विवेक को अच्छे रूप में ही लगायेगी ।

जब विधि के द्वारा लोक समवाय तथा ग़ैर-सरकारी समवाय की परिभाषा कर दी गई है तो उस विधि को बना रहना चाहिये । और वीटो की व्यवस्था करना आपत्तिजनक है । खंड में कहा गया है कि यह परिवर्तन सरकार की अनुमति से हो । अपील का अधिकार भी नहीं ह । अतः यह खंड अनावश्यक एवं आपत्तिजनक है । इसलिये मैं इस सम्पूर्ण खंड का विरोध करता हूं । मेरा विचार है कि सरकार को जो विशेषाधिकार दिया जा रहा है उस के दुरुपयोग होने की संभावना है ।

†**श्री मुरारका** (झुंझुनू) : लोक समवाय में कम से कम ७ अंशधारी और गैर-सरकारी समवाय में २ अंशधारी होने चाहियें । यदि किसी लोक समवाय में कुल अंशधारियों की संख्या घट कर ७ से कम रह जाये तो क्या उसे असार्वजनिक समवाय समझा जायेगा । यदि सरकार उसको असार्वजनिक समवाय में परिवर्तित करने का अनुमोदन न करे तो क्या होगा ? मेरे विचार में तो जैसे ही किसी लोक समवाय के सदस्यों की संख्या घट कर ७ से कम रह जाये तो वह अपने आप ही असार्वजनिक समवाय बन जाता है ।

†**श्री कानूनगो :** यदि विधि के अनुसार वह असार्वजनिक समवाय बन जाता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता । ऐसी स्थिति में समवाय को अपने आपको असार्वजनिक समवाय में बदलने के लिये अपने संथा के अन्तर्नियमों और ज्ञापन में परिवर्तन करना होगा । किसी समय पर अपने अंशधारियों की संख्या में कमी कर देने के फलस्वरूप तो लोक-समवाय के रूप में काम कर सकना उसके लिये अवैध हो जायेगा लेकिन साथ ही उसका आवश्यक अर्थ यह नहीं होगा कि वह अपने आपको किसी असार्वजनिक समवाय का रूप दे सकेगा । अतः खाली अंशधारियों की संख्या में

---

†मूल अंग्रेजी में

कमी हो जाने से ही लोक समवाय असार्वजनिक समवाय नहीं बन जाता उसकी अन्य बातों को भी देखना होगा ।

जहां तक कि सरकारी पदाधिकारियों की बात है उन्हें हर जगह विधि का पालन करना होगा । जैसा कि श्री मुरारका ने कहा है कि मान लीजिये अंशधारियों की संख्या ७ से कम हो जाती है तो क्या होगा--ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सरकारी पदाधिकारी को यह बात स्वीकार्य होगी । और यदि वह स्वीकार नहीं करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि वह विधि का पालन नहीं कर रहा है ।

इन सभी बातों के बारे में संयुक्त समिति में विचार किया गया था । और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि लोक समवाय में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे विधि में निर्धारित दंडों से बचने के लिये अपने आपको असार्वजनिक सामवायों में बदलने का प्रयत्न करते हैं । ऐसे कुछ उदाहरण भी हैं जहां कि लोक समवायों ने अपने आपको असार्वजनिक समवायों में परिवर्तित कर लिया है ।

†**श्री च० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : धारा ४३३ समवायों के बंद करने के बारे में हैं । इसलिये यदि एक समवाय जब सरकार को इस बारे में आवेदन करती है तो सरकार के पास अपने विवेक से काम लेने का अवसर नहीं रह जाता ।

†**श्री कानूनगो** : सरकार भी विधि के अनुसार कार्य करती है यदि वह विधि का उल्लघंन करती है तो मामला न्यायालय को भेजा जा सकता है । मुझे तो बस यही निवेदन करना है कि कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां कि लोक समवायों ने जानबूझ कर अपने आपको असार्वजनिक समवायों में परिवर्तित किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खंड ११ को मतदान के लिये रखूंगा । इसके बारे में कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ११ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १३--(धारा ४१ का संशोधन) :

†**श्री मी० रू० मसानी** : मैं इस खंड का विरोध तो नहीं करता लेकिन मेरा विचार है कि यह खंड भी ११ की तरह दोषपूर्ण है जिसे कि अभी बड़ी जल्दी में पारित किया है । मेरा विचार है जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है, सरकार उन पर विचार करेगी ।

इस संशोधन में यह कहा गया है कि किसी समवाय का सदस्य बनने के लिये एक व्यक्ति को लिखित रूप में देना चाहिये लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस लिखित रूप करार का स्वरूप क्या होगा और वह किसके द्वारा किया जायेगा अन्यथा यह गलती रह जायेगी जिसका निराकरण न हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : यह संस्थाएं विभिन्न प्रकार की होंगी अतः यह आशा की जाती है कि इन संस्थाओं के अन्तर्नियमों में ह.तान्तरण करने की फोर्म आदि की व्यवस्था होगी। सदस्य बनते समय एक सदस्य इन फोर्म आदि को देखता है। अतः इस खंड के अधीन करार के प्रपत्र की व्यवस्था सामान्य रूप से संथा के अन्तर्नियमों में ही की जानी चाहिये। यदि ऐसा न किया जाये तो नियमाधीन इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही। प्रश्न यह है :

"कि खंड १३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड १४—(नयी धारा ४३-क का रखा जाना)

†श्री मी० रू० मसानी : इसके बारे में मैंने संशोधन संख्या २ और ३ रखे हैं। मैं चाहता हूं कि उन संशोधनों के द्वारा यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि यदि किसी असार्वजनिक समवाय के पास किसी अन्य असार्वजनिक समवाय का ४० प्रतिशत, २५ प्रतिशत नहीं, अंश पूंजी हो तो वह असार्वजनिक समवाय नहीं रह सकता।

दूसरा संशोधन उपखंड (६) के बारे में है। मेरा विचार है कि यह संशोधन उस स्थिति को सरलता उत्पन्न करेगी जहां कि विदेशों में बना समवाय हमारे देश के संयुक्त समवायों में काम करते हैं।

†श्री मुरारका : मैं तो नहीं समझता कि आपका संशोधन बिल्कुल ठीक है और स्थित को और भी सरल करता है। मान लीजिये कि सारी प्रदत्त पूंजी अकेले एक ही समवाय द्वारा रख ली जाती है तो फिर, "और" शब्द रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

†श्री मी० रू० मसानी : तो मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता।

†अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री महोदय इस संशोधन से सहमत हैं।

†श्री कानूनगो : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

†श्री तंगामणि : मेरे संशोधन संख्या ४० और १०४ हैं। संशोधन संख्या ४० के द्वारा मैं चाहता हूं कि पृष्ठ ९ से पंक्तियां २० से ३९ तक निकाल दी जायें और १०४ के द्वारा पृष्ठ ८ से पंक्तियां ९ से ३६ निकाल दी जायें।

मेरा यह भी निवेदन है कि जो कि मैं अपनी विमति टिप्पणी में बता चुका हूं कि यदि हम मूल खंड १५ को उसी रूप में रहने दें, जैसा कि वह है तो उस से सारवान रूप में न्याय की पूर्ति हो जायेगी। दुर्भाग्य से संयुक्त समिति ने उसे बहुत उदार बना दिया है। परन्तुक और छूटों का आसानी से गलत अर्थ किया जा सकता है। मेरे विचार से यह खंड व्यापक है और विशद व्याख्या करने वाला है शास्त्री समिति ने भी ऐसा ही कहा है।

इसलिये मैं मूल खंड से जो कि यहां प्रस्तुत किया गया है पूर्णतः सहमत हूं। और जिस उद्देश्य से यह खंड रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। शास्त्री समिति ने भी इसे इसी

---

†मूल अंग्रेजी में

रूप में रखा था। परन्तुक ऐसे हैं जिससे आसानी से ही भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है। अतः मेरा विचार है कि ये सभी परन्तुक और अपवाद यहां इसीलिये रखे गये हैं ताकि बाहरी दबाव कामयाब हो सके। और खंड १४ अर्थात् नयी धारा ४३ (क) पर प्रभाव डाल सकें। अतः इनका वह उपयोग नहीं होगा जो कि शास्त्री समिति चाहती है।

अतः इस खंड को बिना परन्तुक के स्वीकार कर लिया जाता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है जो कि संयुक्त समिति का था। अतः मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन संख्या ४० और १०४ स्वीकार किये जायें।

†श्री नथवानी : मैं संशोधन संख्या १०८ का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि यदि किसी असार्वजनिक समवाय विशेष के किसी दूसरे समवाय के पास २५ प्रतिशत ऋण पत्र है तो वह असार्वजनिक समवाय लोक समवाय समझा जायेगा।

यह सर्वविदित है कि असावजनिक समवाय केवल अपनी अंशपूंजी पर ही निर्भर नहीं करते वरन् ऋण पत्र जारी करके भी पूंजी जमा की जाती है ; पूंजी की परिभाषा को केवल सामान्य अंश पूंजी में विनियोजन तक ही सीमित रख कर हमने सीमित दायित्व वाले असार्वजनिक अथवा लोक समवायों द्वारा ऋण पत्रों के रूप में विनियोजन की गुंजाइश नहीं रहने दी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जब हम धारा ३७२ पर आते हैं जिस के स्थान पर खंड १३६ रखी जा रही है तो हम देखते हैं कि यह खंड एक समवाय द्वारा दूसरे समवाय अथवा समवायों के अंशों को क्रय करने पर ही नियन्त्रण नहीं करती बल्कि ऋण पत्रों के क्रय पर भी नियंत्रण करती है। एक समवाय दूसरे समवाय के अंश एक निश्चित सीमा से अधिक संख्या में नहीं क्रय कर सकती। इसी प्रकार ऋण पत्र भी निश्चित संख्या से अधिक नहीं खरीद सकते। वर्ना तो सारा धन एक ही स्थान पर जमा हो जायेगा। इस कारण एक समवाय द्वारा दूसरे समवाय के ऋणपत्र रखने की बात मुझे पसंद नहीं आई। अतः खंड १४ में उपयुक्त संशोधन कर अंश पूंजी के साथ साथ ऋण पत्रों की भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

†श्री मुरारका : असार्वजनिक समवायों को लोक समवायों में परिवर्तित करने के लिये शास्त्री समिति ने एक शर्त रखी थी कि क्या सार्वजनिक धन इसमें लगा है अथवा नहीं। चाहे वह धन ऋण पत्रों के रूप में हो अथवा अंशों के रूप में। अतः मेरा निवेदन है कि खंड १४ में "अंशों" शब्द के बाद "ऋण पत्र" शब्द जोड़ दिया जाना न्यायसंगत है।

लोक समवायों को असार्वजनिक समवायों में बदलने के बारे में काफी संशय प्रकट किया गया है। और इसी कारण उसकी सुरक्षा के लिये पग उठाये जा रहे हैं। लेकिन मेरा विचार है कि यही डर असार्वजनिक समवायों को लोक समवायों के बदलने के बारे में है। चूंकि हमारी कर विधियां लोक समवायों को कुछ निश्चित सुविधाएं प्रदान करती हैं अतः इस बात का भय है कि तथाकथित असार्वजनिक समवाय लोक समवायों में बदल जायेंगे। लोक समवायों के असार्वजनिक समवायों में बदल जाने का कोई खतरा नहीं है।

अतः मेरा निवेदन है कि यह खंड बहुत अच्छा है और शास्त्री समिति की सिफारिशों के अनुकूल है। मेरा विचार है कि यदि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं तो शास्त्री समिति के उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : वस्तुत: यह खंड काफ़ी विचार विमर्श के बाद समझौते के रूप में बनाया गया है। इस पर सभी जगह विचार किया गया है कि असार्वजनिक समवाय हो अथवा नहीं। बहुत से ऐसे देश हैं जहां दो प्रकार के समवाय नहीं होते। इंगलिस्तान में जहां के आधार पर कि हमारा अधिनियम, १९२३ तैयार किया गया था, अब वहां भी कुछ पवितंन कर दिया गया है, वहां दो प्रकार के समवाय तो अवश्य हैं लेकिन उनके रूप भिन्न हैं। अत: हमने, प्रवृत्ति, समय और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यही निश्चित किया कि यह उपबन्ध आजकल की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इस विधि में उसी प्रकार का परिवर्तन किया जायेगा। बहुत अधिक परिवर्तन करना इस समय देश के सामाजिक हित में नहीं होगा। यही कारण है कि संयुक्त समिति में हमने इस उपबन्ध को स्वीकार किया। यदि एक या अधिक निगम निकायों के पास प्रदत्त अंशपूंजी २५ प्रतिशत से कम हो तो जितने नियंत्रण की व्यवस्था की गई है वह प्रभावी हो जायेगा। संयुक्त समिति ने जानबूझ कर यह फैसला किया है कि शब्द "ऋण पत्र" को इस खंड में न रखा जाये।

यह भी फसला किया गया है कि विदेशी और देशी समवायों के बीच सहकार होने की स्थिति में उपबन्ध को ढीला न किया जाये।

अत: इन सभी बातों पर विचार करने के बाद मेरा सुझाव है कि इस खंड को संयुक्त समिति द्वारा स्वीकृत रूप में ही स्वीकार कर लिया जाये। अत: मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं करता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : और संशोधनों की क्या स्थिति है ?

†श्री तंगामणि : संशोधन संख्या १०४ और ४० अलग अलग रखे जायें।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १०४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ५८ और १०८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड १५ और १६ पर मतदान हो चुका है अब मैं खंड १७ से २४ मतदान के लिये रखता हूं ।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : खंड २४ के बारे में मेरे ३ संशोधन हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है । मैं खंड १७ से २३ तक ही मतदान के लिये रखंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १७ से २३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १७ से २३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड २५ पर अलग से विचार होगा । खंड २६ और २७ के बारे में कोई संशोधन नहीं है । अतः मैं उन्हें मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २६ और २७ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २६ और २७ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खंड २८ से ३५ के बारे में कोई सशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २८ से ३५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २८ से ३५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :**

प्रश्न यह है :

"कि खंड ३६ से ४० विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३६ से ४० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१, ४३, ४६ से ५३ और ५४ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१, ४३, ४६ से ५३ और ५४ विधेयक में जोड़ दिये गये

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है कि खंड २४, २५, २७क, ३५क, ४०क, ४२, ४४, ४५, ५३क, ५५ और ५६ पर अलग से विचार किया जायेगा । अब हम खंड २४ पर विचार करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २४—(धारा ८१ का संशोधन)

†श्री जगन्नाथ राव : खंड २४ के बारे में मने ३ संशोधन रखे हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या ये संशोधन सरकार को स्वीकार्य हैं ?

†श्री कानूनगो : जी हां ।

†श्री जगन्नाथ राव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १२ पंक्ति २७

"The Board of Directors decides" (निदेशक मंडल निर्णय करता है) के स्थान पर "it is proposed" (प्रस्ताव है) शब्द रख दिये जायें ।

मेरे इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि समवाय धन उधार देने वाले या ऋण-पत्र धारी को समवाय के अंशों में धन लगाने की छूट देने में समर्थ हो।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या ११० है ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १३

पंक्ति २१ से २८ के स्थान पर यह रखा जाये :

"(b) to the increase of the subscribed capital of a public company caused by the exercise of an option attached to debentures issued or loans raised by the Company:—

(i) to convert such debentures or loans into shares in the Company or

(ii) to subscribe for shares in the Company:

Provided that the terms of issue of such debentures or the terms of such loans included a term providing for such option and such term."

["(ख) किसी लोक समवाय की प्रार्थित पूंजी, में वृद्धि जो जारी किये गये ऋण पत्रों से संलग्न विकल्प के उपभोग करने से अथवा उस समवाय द्वारा लिये गये ऋण के कारण हुई हो —

(१) ऐसे ऋण-पत्रों अथवा ऋणों को उस समवाय के अंशों में बदलने अथवा

(२) समवाय के अंशों के लिये धन लेने के लिये :

बशर्ते कि ऐसे ऋण पत्रों के जारी करने अथवा ऐसे ऋणों की शर्तों में वह शर्त सम्मिलित हों जिसमें ऐसे विकल्प और ऐसी शर्तों की व्यवस्था की गई हो।"]

मेरा तीसरा संशोधन छोटा सा है :

पृष्ठ १३ पंक्ति २९ और ३०—

"of the Company" (समवाय के) शब्दों के स्थान पर "passed by the Company in a general meeting" (समवाय द्वारा अपनी साधारण बैठक में पारित) शब्द रख दिये जायें ।

मैं निवेदन करता हूं कि ये संशोधन स्वीकार किये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : मैं इन संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ १२ पंक्ति २७

"The Board of Directors decides" (निदेशक मंडल निर्णय करता है) के स्थान पर "it is proposed (प्रस्ताव है) शब्द रख दिये जायें।"

(२) पृष्ठ १३

पंक्ति २१ से २८ के स्थान पर यह रखा जाये :—

"(b) to the increase of the subscribed capital of a public company caused by the exercise of an option attached to debentures issued or loans raised by the Company—

(i) to convert such debentures or loans into shares in the Company, or

(ii) to subscribe for shares in the company:

Provided that the terms of issue of such debentures or the terms of such loans included a term providing for such option and such term—"

["(ख) किसी लोक समवाय की प्रार्थिक पूंजी में वृद्धि जो जारी किये गये ऋण पत्रों नें संलग्न विकल्प के उपभोग करने से अथवा उस समवाय द्वारा लिये गये ऋण के कारण हुई हो —

(१) ऐसे ऋण पत्रों अथवा ऋणों को उस समवाय के अंशों में बदलने अथवा

(२) समवाय के अंशों के लिये धन लेने के लिये :

बशर्ते कि ऐसे ऋण पत्रों के जारी करने अथवा ऐसे ऋणों की शर्तों में वह शर्त सम्मिलित हो जिसमें ऐसे विकल्प और ऐसी शर्तों की व्यवस्था की गई हो।"]

(३) पृष्ठ १३ पंक्ति २९ और ३०—"of the Company" (समवाय के) शब्दों के स्थान पर "passed by the Company in a general meeting" (समवाय द्वारा अपनी साधारण बैठक में पारित) शब्द रख दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड २४, संशोधित रूप में मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड ४४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २५–(धारा ८४ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री भरूचा का इसके बारे में एक संशोधन है। उन्होंने सूचना दी है कि वह इसे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वह अनुपस्थित हैं। मुझे माननीय अध्यक्ष ने बताया है कि जो अनुपस्थित हों वे सूचना दे सकते हैं। सूचना काफी है। लेकिन खाली इससे यह मतलब नहीं है कि इसे प्रस्तुत मान लिया जाये।

†**श्री कानूनगो :** जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने सूचना देने का उल्लेख किया तो इसका अभिप्राय यह है कि यह सूचना आध घंटे के भीतर पटल पर रख दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह तो कर दिया गया है। लेकिन उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिये था।

मैं इस खंड को सभा में मत दान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २५ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २५ विधेयक में जोड़ दिया गया।

नया खंड २७–क

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं अपनी संशोधन संख्या ८८ प्रस्तुत करता हूं। मैंने इसे इसलिए प्रस्तुत किया है क्योंकि बृहत महाराष्ट्र शुगर सिंडिकेट लिमिटेड, पूना के विक्रय अंशधारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। सिंडिकेट के निदेशक बोर्ड ने अंशों के हस्तांतरण की स्वीकृति नहीं दी थी। इसी कारण इन अंशों के नये खरीददारों ने अधिनियम की धारा १५५ के अधीन बम्बई उच्च न्यायालय में सदस्यों के रजिस्टर को ठीक करने और उनके हस्तांतरण को पंजीबद्ध करने के बारे में अर्जी दी थी क्योंकि इस प्रकार लगभग ५,४४,७०५ रुपये के अंशों को पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इस मामले का फैसला करते हुए बताया गया था कि पंजीयन कराने की समस्त जिम्मेदारी विक्रय अंशधारी पर है। कानून की पत्रिकाओं में कहा गया है कि लिमिटेड समवाय के अंशों को बेचते हुए हस्तांतरकर्त्ता, हस्तांतरिति का नाम समवाय के सदस्यों के रजिस्टर में लिखवायेगा। परन्तु जब निदेशक बोर्ड ऐसा करने से इन्कार कर देता है तो विक्रय अंशधारी को कितनी कठिनाई होगी इसका अनुमान लगाना ही कठिन है। उसको अंशों के खरीददार का बिना दाम का सेवक रहना पड़ेगा और समवाय के लाभांश आदि दिलाने के लिए जिम्मेदार रहना पड़ेगा। इससे हजारों विक्रय अंशधारियों में खलबली मच गई और उन्होंने अपने अपने खरीददारों से अंश वापस लेने शुरू कर दिए। इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिससे विक्रय अंशधारियों की यह कठिनाई दूर हो जाये। और सट्टे में खरीदने वालों द्वारा बेचने वालों का शोषण खत्म हो जाये। यह भी अनुचित है कि धारा १५० में उल्लिखित रजिस्टर में उन सदस्यों का नाम भी रखा जाये, जिनको कोई अधिकार न प्राप्त हो।

†**श्री कानूनगो :** मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं क्योंकि इससे समवाय विधि के मूलभूत सिद्धान्त ही समाप्त हो जाते हैं। यह जरूरी है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

अंशों के आदान प्रदान पर कम से कम नियंत्रण हो। विधि में ऐसे उपबन्ध हैं जिनके द्वारा विशेष परिस्थितियों में हस्तांतरण पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, बशर्ते कि हस्तान्तरण किसी अन्य परिस्थितियों के अन्दर किया जाना उपबन्धित हो मैं सभा का ध्यान समवाय अधिनियम १९५६ की धारा १११ की ओर दिलाना चाहता हूं। सामान्यतः समवाय, संस्था के नियमों में अंशों के हस्तांतरण के बारे में प्रक्रिया, नियंत्रण शर्तें आदि की व्यवस्था करनी है। स्टाक एक्सचेंजों का काम ही बिना किसी कठनाई के अंशों का हस्तातरण कराने का होता है।

संशोधन के प्रस्तुत कर्त्ता ने जो एक मामला बताया है, उसकी परिस्थितियों को मैं समझता हूं कि मैं उच्च न्यायालय का फैसला देखना चाहूंगा। इस समय मैं इस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं क्योंकि इससे अंशों के हस्तांतरण में बाधा पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८२ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

नई-धारा ३५ क

†**श्री तंगामणि** : मैं अपना संशोधन संख्या ७२ प्रस्तुत करता हूं। मेरा यह संशोधन है मूल संशोधन विधेयक में खण्ड ३८ के अनुसार ही है। मैंने उसमें केवल यह अन्तर किया है कि "घोषित किये गये" शब्दों के स्थान पर "देय हों" शब्द रखे हैं। जब यह खण्ड ३८ प्रस्तुत किया गया था उस समय यह बताया गया था कि इसको इस कारण से रखा जा रहा है जिससे समवायों के हस्तांतरितियों को लाभांश देय होने पर मिल सके।

मेरे विचार से शास्त्री समिति में इस उपबन्ध पर चर्चा हुई थी और यह बताया गया था कि लाभांश देय होने की तिथि से १५ दिन तक पुस्तकों को बन्द नहीं करना चाहिए। यदि मेरा यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो शास्त्री समिति के इन सुझावों का अनुसमर्थन हो जायेगा।

†**श्री कानूनगो** : मुझे खेद है कि मैं अपने मित्र श्री तंगामणि का संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मेरे माननीय मित्र ने बताया कि सभा में प्रस्तुत मूल विधेयक में इसी प्रकार की व्यवस्था थी। मैं बताना चाहता हूं कि प्रवर समिति में चर्चा के पश्चात हमने इसको हटा देना ठीक समझा क्योंकि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम की धारा २७ और समवाय अधिनियम के उपबन्ध में कुछ असमानता हो जाती है।

मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७२ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

नया खंड ४०—क

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** मैं अपना संशोधन संख्या ८० प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १९—पंक्ति २६ के पश्चात् यह शब्द रखे जायें—

40A. *Amendment of Section 163.*—In section 163 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the following proviso shall be added at the end namely—

"provided that such registers, indexes, returns and copies of certificates and documents or any or more of them may, instead of being kept at

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पट्टाभिरामन]

the registered office of the company, be kept at any other place within the city, town or village in which the registered office is situate, if—

(i) such other place has been approved for this purpose by a special resolution passed by the company in general meeting,

(ii) the purport of the proposed special resolution has been advertised in advance for three consecutive days in at least two newspapers circu latirg in the neighbourhood of the registered office of the company, and

(iii) the registrard has been given in advance a copy of the proposed special resolution."

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Central Government may maker ules for the preservation and for the disposal, whether by destruction or otherwise, of the registers, indexes, returns, and copies of certificates and other documents referred toin sub-section (1)."

['40 क: धारा १६३ का संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा १६३ में,—

(क) उप-धारा (१) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे रजिस्टरों, इन्डैक्सों, विवरणियों को और प्रमाणपत्रों तथा दस्तावेजों की प्रतियों को अथवा इन में से किसी एक को अथवा अधिक को समवाय के रजिस्टर्ड आफिस में रखे जाने के बजाये, उस नगर अथवा गांव के, जिसमें रजिस्टर्ड आफिस स्थित है, किसी अन्य स्थान पर भी रखा जा सकता है, यदि—

(ख) उस अन्य स्थान को समवाय की सामान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करके इस प्रयोजन के लिये स्वीकार कर लिया गया हो ;

(दो) प्रस्तावित विशेष संकल्प का सारांश समवाय के रजिस्टर्ड आफिस के आस पास परिचालित कम से कम दो समाचारपत्रों में लगातार तीन दिन तक पहले ही विज्ञाप्ति कर दिया गया हो ; और

(तीन) प्रस्तावित विशेष संकल्प की एक प्रति पहले ही रजिस्ट्रार को भेज दी गई हो।"

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात निम्नलिखित उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात—

"(१क) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार उप-धारा (१) में निर्देशित रजिस्टरों, इन्डैक्सों, विवरणियों और प्रमाणपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियों के परिरक्षण के लिये तथा उनको नष्ट करके अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटाने के लिये नियम बना सकती है।"]'

श्रीमान्, समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा १६३(१) के अनुसार समवाय के पंजीयन की तिथि से शुरू होने वाले सदस्यों का रजिस्टर, सदस्यों का इंडैक्स, ऋणपत्र–धारियों का रजिस्टर और इंडैक्स, तथा धारा १५९ और १६० के अधीन बनाए गए वार्षिक विवरण समवाय के रजिस्टर्ड आफिस में रखे जायेंगे। अब तक यही तरीका अपनाया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

शास्त्री समिति से कहा गया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे नगरों में समवायों के रजिस्टर्ड आफिसों में जगह कम होती है इसलिए रजिस्टरों की पूरी देखभ ल के लिये नगर में किसी अन्य स्थान पर इनको रखने की अनुमति दी जाये। उस समय शास्त्री समिति के इस सुझाव को मान लेने पर भी सरकार ने इसको नहीं माना था। परन्तु अब सरकार ने भी एक नगर में अन्य स्थान पर उनको रखने की अनुमति देना स्वीकार कर लिया है और इसीलिए यह संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है।

†**श्री कानूनगो** : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १९—

पंक्ति २६ के पश्चात् यह शब्द रखे जायें—

'40A. *Amendment of Section 163.*—In section 193 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the following proviso shall be added at the end namely :—

"provided that such registers, indexes, returns and copies of certificates and documents or an any or more of them may, instead of being kept at the registered office of the company, be kept at any other place within the city, town or village in which the registered office is situate, if—

(i) such other place has been approved for this purpose by a special resolution passed by the company in general meeting,

(ii) the peport of the proposed special resolution has been advertised in advance for three consecutive days in at least two newspapers circulating in the neighbourhood of the registered office of the company, and

(iii) the Registrar has been given in advance a copy of the proposed special resolution.

(b) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted namely :—

"(1A) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), the Central Government may make rules for the preservation and for the disposal, whether by destruction or otherwise, of the registers, indexes, returns, and copies of certificates and other documents referred to in sub-section (1). ".

["४० क : धारा १६३ का संशोधन—

मूल अधिनियम की धारा १६३ में :—

(क) उप-धारा (१) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा अर्थात् :—

"परन्तु ऐसे रजिस्टरों, इन्डैक्सों, विवरणियों और प्रमाणपत्रों तथा दस्तावेजों की प्रतियों को अथवा इन में से किसी एक को अथवा अधिक को समवाय के रजिस्टर्ड आफिस में रखे जाने के बजाये, उस नगर अथवा गांव के, जिसमें रजिस्टर्ड आफिस स्थित है किसी अन्य स्थान पर भी रखा जा सकता है, यदि—

(ख) उस अन्य स्थान को समवाय की समान्य बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करके इस पयोजन के लिये स्वीकार कर लिया गया हो ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पट्टाभिरमन]

(दो) प्रस्तावित विशेष संकल्प का सारांश समवाय के रजिस्टर्ड आफिस के आसपास परिचालित कम से कम दो समाचारपत्रों में लगातार तीन दिन तक पहले ही विज्ञापित कर दिया गया हो ; और

(तीन) प्रस्तावित विशेष संकल्प "की एक प्रति पहले ही रजिस्ट्रार को भेज दी गई हो।"

(ख) उप-धारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात्—

"(१क) उप-धारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार उप-धारा (१) में निर्देशित रजिस्टरों, इन्डैक्सों, विवरणियों और प्रमाणपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियों के परिरक्षण के लिये तथा उनको नष्ट करके अथवा अन्य किसी प्रकार से निपटाने के लिये नियम बना सकती है।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ४०—क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ४०—क विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ४४ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड ४५ (धारा १७३ का संशोधन)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २१—

पंक्ति १६ से २२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"Provided that where any item of special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the company relates to, or affects, any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every director, the managing agent, if any, the secretaries and treasurers, if any, and the manager, if any, of the first-mentioned company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than twenty per cent of the paid-up share capital of that other company."

["परन्तु यदि समवाय की किसी बैठक में सम्पादित किये जाने वाले उपरिलिखित विशेष कार्य की कोई मद किसी अन्य समवाय के सम्बन्ध में हो अथवा उस पर प्रभाव डालती हो, तो पहले समवाय के प्रत्येक निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्त्ता, यदि कोई हो, सेक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष, यदि कोई हो, तथा प्रबन्धक के, यदि कोई हो, दूसरे समवाय में अंशधारण हित की मात्रा भी विवरण में दी जायेगी, यदि ऐसे अंशधारण हित की मात्रा दूसरे समवाय की प्रदत्त अंशपूंजी के बीस प्रतिशत से कम न हो"]

---

†मूल अंग्रेजी में]

खण्ड ४५ की मद (ख) के परन्तुक में 'समवाय में अंशधारण हित की मात्रा' शब्दों से कुछ गलतफहमी हो जाती है क्योंकि 'समवाय के' शब्दों से ऐसा लगता है जैसे यह स्पष्टीकरण ज्ञापन बनाने वाली समवाय हो जबकि समवाय से मतलब 'स्पष्टीकरण ज्ञापन बनाने वाली समवाय से भिन्न समवाय' का है। इस प्रकार यह संशोधन केवल शब्दों का अर्थ ठीक करने के लिए है।

†**श्री कानूनगो :** मैं संशोधन स्वीकार करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ २१—

पंक्ति १६ से २२ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"Provided that where any item of special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the company relates to, or affects, any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every director, the managing agent, if any, the secretaries and treasurers, if any, and the manager, if any, of the first-mentioned company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than twenty per cent of the paid-up share capital of that other company."

["परन्तु यदि समवाय की किसी बैठक में सम्पादित किये जाने वाले उपरिलिखित विशेष कार्य की कोई मद किसी अन्य समवाय के सम्बन्ध में हो अथवा उस पर प्रभाव डालती हो, तो पहले समवाय के प्रत्येक निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्त्ता, यदि कोई हो, सक्रेटरी तथा कोषाध्यक्ष, यदि कोई हो, तथा प्रबन्धक के, यदि कोई हो, दूसरे समवाय में अंशधारण हित की मात्रा भी विवरण में दी जायेगी, यदि ऐसे अंशधारण हित की मात्रा दूसरे समवाय की प्रदत्त अंशपूंजी के बीस प्रतिशत से कम न हो"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड ४५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड ४५ विधेयक में जोड़ दिया गया

नया खण्ड ५३ क (धारा १९७ का संशोधन)

†**श्री तंगामणि :** मैं अपना संशोधन संख्या ४१ प्रस्तुत करता हूं। मूल विधेयक में यह खण्ड ५८ था। उस समय माननीय मंत्री ने बताया था कि इस खण्ड को इस उद्देश्य

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तंगामणि]

से रखा जा रहा है जिससे किसी बैठक में दिये गये सभापति के भाषण का ही प्रचार करने की यह आदत कम की जाये और केवल उसको ही समवाय के खर्चे पर प्रकाशित न किया जाये अपितु बैठक में हुई चर्चा को संक्षेप में देते हुए उसका भी प्रकाशन किया जाये।

अब इस खण्ड को विधेयक से निकाल दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करने से अंशधारियों को जो बैठक की सही बातें मालूम हो जातीं वह नहीं हो पायेंगी और केवल सभापति के एकपक्षीय विचार ही उन्हें मिलेंगे। शास्त्री समिति ने भी खण्ड ५८ के अनुसार ही व्यवस्था करने की सिफ रिश की थी।

परन्तु अब जो धारा रखी गयी है उसमें व्यवस्था है कि केवल सभापति का भाषण समवाय के खर्च पर प्रकाशित किया जाये क्योंकि बैठक की कार्यवाही समाचारपत्रों में प्रकाशित हो जाती है।

मैंने संयुक्त समिति में भी यह बात कही थी परन्तु क्योंकि मेरे समर्थक नहीं थे इसलिए मेरी बात नहीं मानी गई। मैं ने इसके बारे में विमति टिप्पण भी दिया है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि सभापति का भाषण प्रकाशित हो परन्तु चाहता हूं कि वह समवाय के खर्चे पर प्रकाशित न हो।

इसलिए मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर ले और सभापति के भाषण को जो अत्यधिक महत्व मिलता है उसको वह महत्व न दिलाये।

†**श्री कानूनगो** : मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया हमने शास्त्री समिति की सिफारिशों के बाद मूल विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध रखा था। परन्तु संयुक्त समिति में चर्चा में जो बातें सामने आईं उनसे मैंने भी यही ठीक समझा कि समवाय की पूंजी को अनावश्यक रूप में खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४१ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

खण्ड ५५—(धारा १९८ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ४ और ५ प्रस्तुत करता हूं। मेरे दोनों संशोधनों का उद्देश्य एक ही है और वह यह है कि धारा ४३क के अधीन लोक समवायों में प्रबन्ध कर्मचारियों तथा निदेशकों के पारिश्रमिक की जो सीमा रखी गई है वह नहीं रखी जानी चाहिए। हम जानते हैं कि व्यापार समवायों में हमेशा एक सा लाभ नहीं होता है और इसलिए ११ प्रतिशत की व्यवस्था रखने में उनको कभी पर्याप्त धन मिल जायेगा और कभी अपर्याप्त। इसलिए इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। मेरे दोनों संशोधन इसी के बारे में हैं और मैं आशा करता हूं कि उनको स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ५९ प्रस्तुत करता हूं। खण्ड ५५ के द्वारा धारा १९८ का संशोधन किया जा रहा है जिसमें प्रबन्ध कर्मचारियों का पारिश्रमिक ११ प्रतिशत से अधिक न हो ऐसी व्यवस्था की गई है। 'पारिश्रमिक' शब्द की परिभाषा पृष्ठ २५ पर दी गई है जिसमें बताया गया है कि पारिश्रमिक में बिना किराये का मकान अथवा

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार की अन्य सुविधायें भी आ जाती हैं। मैं चाहता हूं कि हमें पारिश्रमिक में बिना किराये के मकान आदि नहीं रखने चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की सुविधाओं से व्यापार की बढ़ोत्तरी होगी।

†श्री तंगामणि : मैं अपने संशोधन संख्या १०५ और १०६ प्रस्तुत करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रबन्ध कर्मचारियों के पारिश्रमिक प्रतिशतता के आधार पर दिए जाने के कारण इसमें अन्य सभी सुविधाओं को शामिल करना चाहिए। धारा ३०९ (२) में यह व्यवस्था है कि समवाय की बैठकों में जाने के लिए कुछ धन दिया जाना चाहिए। मैं इसका विरोधी हूं क्योंकि ११ प्रतिशत की राशि बहुत है और इसमें सभी सुविधायें भी शामिल की जानी चाहिए।

†श्री सोमानी (दौसा) : मैं अपना संशोधन संख्या ९२ प्रस्तुत करता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रविधिक निदेशक को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, प्रबन्धकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के अन्तर्गत नहीं आना चाहिए क्योंकि वह समवाय की प्रविधिक सहायता करता है।

†श्री कानूनगो : इनमें से कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो भी विशेष कठिनाइयां बताई गई हैं उनको विधि के अन्य उपबन्धों के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसा कि श्री मसानी ने बताया यह संभव हो सकता है कि किसी व्यापारिक समवाय में बहुत से एसे कारणों से जिन्हें वह दूर न कर सकता हो, उत्तम प्रबन्ध होने पर भी हानि हो जाय। यदि किसी वर्ष में लाभ नहीं होता तो क्या यह उचित होगा प्रबन्धक-वर्ग को, जिन्होंने समवाय का कार्य योग्यता से चलाया, कोई पारिश्रमिक न दिया जाये?

इसीलिए यह उपबन्ध रखे गये हैं कि जिस संस्था के नियमों में प्रबन्ध कर्मचारियों की अधिकतम पारिश्रमिक की व्यवस्था है, जो विधि के अनुसार ५०,००० रुपये से अधिक नहीं हो सकता, उसके बारे में भी सरकार उचित राशि तक प्रबन्धकवर्ग के पारिश्रमिक को बढ़ा सकती है। पिछले तीन अथवा चार वर्षों में इस प्रकार के मामले सरकार के सामने आए हैं और सरकार ने विधि में रखी गई ५०,००० रुपये की अधिकतम राशि को बढ़ाया है।

वर्तमान विधि के पारित हो जाने पर जो समवाय लोक समवाय बन जायेंगी उनमें दोनों प्रकार की व्यवस्था तो रखी नहीं जा सकती। जिस वर्ग में एक समवाय आ जाती है उस समवाय को उसी वर्ग के विशेषाधिकार तथा दायित्व मिल जाते हैं। यदि माननीय सदस्य पिछले वर्षों के प्रतिवेदन पढ़ें तो उनको पता लगेगा कि सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई है और यह प्रयत्न किया है कि जिन समवायों में कम लाभ मिला है उनमें प्रबन्ध कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिले।

श्री सोमानी के संशोधन के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 'प्रविधिक' शब्द की परिभाषा करना बड़ा कठिन है। और विधि में ऐसा शब्द रखना, जिसकी भली प्रकार से परिभाषा न हो सके, ठीक नहीं है। श्री सोमानी जानते हैं कि सरकार को समवायों में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों का पता है जिन्हें प्रविधिक ज्ञान न होने पर भी प्रविधिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं इन सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९२, १०५, ४, १०६, ५ और ५९ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ५५ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५६--(धारा २०४ का संशोधन)

†श्री मी० रू० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

एसा प्रतीत होता है कि अधिनियम के खंड २०४, २९४, ३१४ और ३५६ के उपबन्ध परस्पर विरोधी हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि इन का मेल कैसे बैठाया जा सकता है खंड २९४ के उपबन्ध के अनुसार "सेलिंग एजेंट" ५ वर्ष से अधिक की अवधि के लिये भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन खंड २०४ के अनुसार उस की नियुक्ति ४ वर्ष के लिये ही होगी। अतः ५ वर्ष की अवधि के बारे में इन दोनों खंडों में परस्पर पर मतभेद है ।

खंड ५६ के अनुसार कोई भी संथ अथवा निकाय किसी भी लाभ के पद पर एक ही समय में ५ वर्ष से अधिक के लिये नियुक्त नहीं की जा सकती लेकिन सरकार की अनुमति से शुरू में ही इसे १० वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया जा सकता है। खंड २९४ के अधीन एक "सोल सेलिंग एजेंट" की नियुक्ति समवाय की साधारण बैठक के द्वारा अनुमोदन किये जाने के बाद ही हो सकती है।

यदि आप ३ अथवा ४ धाराओं को साथ साथ पढ़ें तो आप देखेंगे कि सेलिंग एजेन्सी, जो धारा २०४ में परिभाषित है लाभ का पद नहीं है और न उसे लाभ का पद ही समझना ही चाहिये। मेरा निवेदन है कि मैं ने अपने संशोधन में यही कहा है कि इसे स्पष्ट कर देना चाहिये अन्यथा व्यर्थ में ही मुकदमेबाजी बढ़ेगी। खंड २०४ के अनुसार सेलिंग एजेन्ट की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये ही होगी। इस स्थिति में धारा २०४ की उपधारा ३ का इस से विरोध होगा अतः इन कठिनाइयों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सेलिंग एजेंट की नियुक्ति का मामला खंड ५६ के क्षेत्राधिकार से बाहर रहे। इस का समर्थन धारा ३१४ से भी किया गया है ।

यदि इन विभिन्न उपबन्धों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया तो इस से काफी भ्रांति होगी इसलिये इस अधिनियम में जो संशोधन इस समय किया जा रहा है, उस के कारण इस समय स्थिति यह है कि इस का स्पष्टीकरण बड़ी आसानी से किया जा सकता है और तत्संबंधी सभी शब्दों को आसानी से मिटाया जा सकता है धारा २९४ के अधीन ही सेलिंग ऐजेंट आदि की नियुक्ति की जानी चाहिये ? और इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व जिन सेलिंग ऐजेंटों की नियुक्ति की जा चुकी है उनको बनाये रखा जाये ।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि मैं ने जो संशोधन रखा है वह स्थिति का स्पष्टीकरण करने वाला है अतः इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। ताकि सेलिंग ऐजेन्ट की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस समय जो भ्रांति है वह दूर हो जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मुझे बताया गया है कि इन से कोई भ्रान्ति उत्पन्न नहीं होगी। सोल सैलिंग ऐजेंसी सम्बन्धी उपबन्धों का उन उपबन्धों से कोई विरोध नहीं होगा। श्री मसानी का कहना ठीक है कि कुछ शक हो सकता है कुछ जलिटता हो सकती है। लेकिन मुझे परामर्श दिया गया है कि यह शक व्यर्थ का है। अतः मैं उन के संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ६ को मतदान के लिये रखूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड ५७ से ७९ लेंगे।

†**श्री मी० रू० मसानी** : खंड ५७ के बारे में मेरा एक संशोधन है।

†**श्री तंगामणि** : श्री सोमानी चाहते हैं कि खंड ७७ पर अलग से विचार किया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तो मैं अन्य खंडों को मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

कि खंड ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६ और ७८ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६ और ७८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड ५७--(धारा २०५ के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना)

†**श्री मी० रू० मसानी** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

इस खंड में यह व्यवस्था की गई है कि लाभांश का भुगतान कुछ सीमाओं के अनुसार होना चाहिये और मैं दो परन्तुकों को निकालने के बारे में अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इन परन्तुकों में यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम, १९६० के लागू होने के बाद से समवाय ने यदि पहले वर्षों के लिये अवक्षयण की व्यवस्था नहीं की है तो लाभांश की घोषणा करने से पूर्व उस की पूर्ति कर लेनी चाहिये इसी प्रकार हानि की भी पूर्ति कर लेनी चाहिये। सामान्यतः काम करने वाले समवायों के लिये तो यह ठीक है लेकिन निरन्तर विकार एवं विस्तार करने वाले समवायों के लिये ऐसा करना बड़ा कठिन हो जायेगा। नये उपक्रमों के बनाने और पुरानों में विकास करने की दृष्टि से यह व्यवस्था मेरे विचार से बहुत बुरी है : अतः इन प्रतिबन्धों को हटा देना चाहिये।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपना संशोधन संख्या ६० प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड ५७ का सम्बन्ध धारा २०५ से है जिस में यह व्यवस्था की गई है कि लाभांश केवल समवाय के लाभ में से दिया जाये। इस प्रतिबन्ध का प्रभाव सामान्य रूप से काम करने वाले समवायों पर तो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

नहीं पड़ेगा लेकिन विकास करने वाले समवायों पर अवश्य ही पड़ेगा। साथ ही विकास करने वाले समवायों के अंशधारियों को भी कई वर्षों तक कोई लाभांश नहीं मिलेगा जो कि अच्छी बात नहीं है। मैंने अपने संशोधन में इसकी व्यवस्था की है।

उपखंड (ग) में सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह कुछ समवायों को इस बात की अनुमति दे। वे जनहित में आवश्यकतासानुर लाभांश की घोषणा करें। इसका तात्पर्य तो यह है कि यदि जनहित का मामला न हो तो सरकार को कोई अधिकार ही नहीं है। कठिनाई तो यह है कि जनहित का मामला किस प्रकार निश्चित होगा। जनहित तो अप्रत्यक्ष रूप से ही आता है। कुछ समवाय तो ऐसे हैं जिन में जनहित का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः सरकार को इस प्रकार बहुत व्यापक अधिकार दिये गये हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। अतः सरकार को यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये और इस में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिये। इस संशोधन से खंड का महत्व कम नहीं होता बल्कि सरकार के अधिकार बढ़ते ही हैं। अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करें। और "जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक है" के स्थान पर "उपयुक्त" शब्द रखा जाना चाहिये।

†श्री सोमानी : मैं अपना संशोधन संख्या ९३ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा विचार है कि इस बात से सभी सहमत होंगे कि उत्पादन करने वाले उपक्रमों में अधिक से अधिक धन लगाया जाये। मैं तो नहीं समझता कि सरकार की कोई ऐसी नीति होगी जो इस प्रकार के उपक्रमों में विनियोजन को प्रोत्साहन न देती हो।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी समवाय के शुरू होने के बाद से उत्पादन करने के लिये उसे तीन वर्ष या उससे अधिक ही समय लग जाता है। उत्पादन होने के बाद आयकर अधिनियम के अनुसार नये उपक्रमों को विकास-छूट का लाभ मिलता है। इस छूट का उपभोग करने के लिये यह स्वाभाविक है कि उन्हें लाभांश का भुगतान करने के लिये अधिक समय लग जायेगा। सभी समवायों के प्रबन्धक अवक्षयण की व्यवस्था करने के लिये काफी सजग एवं जागरूक होते हैं।

मैंने अपने संशोधन में कहा है कि जब किसी वित्तीय वर्ष में प्रदत्त पूंजी पर लाभांश की दर ६ प्रतिशत से अधिक न हो अथवा जब किसी वर्ष के लिये लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान उन पिछले वर्षों के लाभांश में से जब यह संशोधनकारी विधेयक आरम्भ ही नहीं हुआ था, की गई हो तो समवाय के लिये अवक्षयण निधि की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं होगा।

†श्री नथवानी : यह कहा गया है कि वर्तमान उपबन्ध नये समवायों के लिये कष्टदायी होंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि आजकल नये समवायों में धन लगाने का बड़ा अच्छा अवसर एवं रुख है। लेकिन इस सम्बन्ध में धारा २०८ का उल्लेख करता हूं। इसने उन लोगों का डर निकाल दिया है जिन्हें यह भ्रम है कि आगामी ७ वर्षों तक कुछ नहीं मिलेगा। मेरे विचार से अतः यह भय निराधार है कि विधेयक के उपबन्धों का प्रभाव विशेषतया नये समवायों के मामले में कठोर होगा और नये समवायों के लिये निरुत्साहित होगा क्योंकि उन्हें भय रहेगा कि उन्हें काफी समय तक लाभांश नहीं मिलेगा।

†श्री मुरारका : मैं खण्ड ५७ का समर्थन करता हूं क्योंकि इसके उपबन्ध अच्छे हैं। समवाय विधि का मुख्य सिद्धान्त यह है कि लाभांश पूंजी में से नहीं दिये जाने चाहियें। पूंजी सदैव ही ज्यों की त्यों

†मूल अंग्रेजी में

रहनी चाहिये। मेरा सुझाव है कि वास्तविक आस्तियों के अनुसार ही अवक्षयण की व्यवस्था की जानी चाहिये। मेरे विचार से खंड ५७ में यह व्यवस्था की गई है। अतः मैं श्री मसानी के संशोधन से सहमत नहीं हूं। और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन के लिये जोर नहीं देंगे।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) : श्रीमान्, जो अमेंडमेंट श्री मसानी जी और श्री सोमानी जी का है, उस का मैं विरोध करता हूं। इस का मूल कारण यह है कि ऐसा करते समय उन्हों ने इंडस्ट्री का ख्याल नहीं रखा है और न शेयर होल्डर्स का ही ख्याल रखा है। इंडस्ट्री की चिन्ता उन्हों ने नहीं की है, केवल डिविडेंट की ही चिन्ता की है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इस प्रकार डिविडेंट देने का एक बुरा परिणाम आया है। मैं ने उसे भोगा है। और भोग रहा हूं। पिछले जमाने में ऐसा होता आया है कि उद्योग और कारखाना लास करता रहा है और बिना इस को देखे हुए कि कारखाने की क्या हालत है क्या नहीं है, बिना डिप्रिशियेशन निकाले हुए, बिना प्राफिट को या लास को देखे हुये डिविडेंट बांट दिया जाता था और कहीं कहीं पर तो डेढ़ सौ प्रतिशत तक बांटा गया है। उधर जो बिल्डिग है, जो मशीनरी है, जो ब्लाक है, उसकी कीमत कम होती गई और इसका परिणाम यह हुआ कि कारखाने बन्दी का सवाल आ गया। इस तरह से कितने ही कारखाने और मिलें बिन्द हुईं और इस कारण से बन्द हुईं कि उन्होंने डिप्रिसियेशन नहीं निकाला और अधिक से अधिक डिविडेंड बांट दिया। डिप्रिशियेशन तो मूल चीज है और इस को निकाला ही जाना चाहिये। अगर कोई ऐसा साल गुजरा हो कि उस साल में डिप्रिसियेशन नहीं निकाला जा सका हो—क्योंकि ऐसा होता है कि कभी उतार या चढ़ाव आता है, कभी लास भी हो सकता है—तो पिछला डिप्रिशियेशन आगे के प्राफिट में से निकाल लिया जाना चाहिये। अगर बारह से पन्द्रह बरस तक बिल्डिग और मशीनरी की उम्र आंकी गई हो, तो उस पीरियड के अन्दर या उस के बाद भी बिल्डिग और मशीनरी नई की नई बनी रहेगी अगर डिप्रिशियेशन निकाला गया हो गलत है। अगर वह नई की नई बनी रहेगी तो आगे चल कर आप को डिविडेंट मिल जायेगा। इस वास्ते डिप्रिशियेशन निकालना बहुत बड़ी चीज है और बिना कारखाने की स्थिति को देखे हुए बिना डिप्रिशियेशन निकाले हुए, डिविडेंड बांट देना, गलत उसूल है। और कारखाना कायम नहीं रहेगा।

सोमानी जी ने अभी डिवेलपमेंट रिबेट की बात की। अगर डिपरीसियेशन नहीं निकाला गया होगा तो डिवेलपमेंट रिबेट का सवाल कहां से आयेगा और कैसे पैदा होगा, जब पैसा नहीं है, जब आप लास करते जा रहे हैं और लास के बावजूद डिवीडेंड बांटते जा रहे हैं।

मैं श्री मसानी और श्री सोमानी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उद्योगपति हैं और आप को चाहिये कि आप पहले उद्योगों का ख्याल रखें। गाय दूध देती रहे, इस का ख्याल रखें और यह न सोचें कि जितना डिविडेंट दिया जा सकता है बिना दूसरी चीजों का लिहाज रखे, दिया जाना चाहिये। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी जैसी हालत आप करने चले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। इस वास्ते मैं उन से फिर निवेदन करता हूं कि वे अपनी एमेंडमेंट वापिस ले लें। मैं मजदूर वर्ग से ताल्लुक रखता हूं फिर भी उद्योग के और उन के हित की बात कह रहा हूं। वे स्वयं अपने हित की बात को समझें यह केवल मेरे समझाने वाली ही बात नहीं है।

इन शब्दों के साथ जो ज्वाइंट कमेटी ने कम्पनी एक्ट में क्लाज रखी है उस का मैं समर्थन करता हूं और जो अमेंडमेंट पेश की गई है, उसका मैं विरोध करता हूं।

†**श्री कानूनगो** : मैं कहना चाहूंगा कि इस खंड की कठोरता काफी अंशों में कम हो गई है। श्री मुरारका और श्री नथवानी ने वर्तमान उपबन्धों की काफी विशद व्याख्या कर दी है और मैं आशा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

करता हूं कि वास्तविक डर अथवा भ्रमों के बारे में काफी सावधानी से काम लिया जायेगा । श्री सोमानी ने ठीक ही कहा है कि यह खंड वित्तीय (बैंक सम्बन्धी) तथा कर सम्बन्धी विधियों के लिये अनुकूल है । अतः इस खंड के बारे में किसी प्रकार की आशंका नहीं रखनी चाहिये । विशेषाधिकार समवायों के पास है । कोई भी अच्छा समवाय अपने कार्यों की व्यवस्था इस ढंग से करेगा जो उसके अंशधारियों के लिये सर्वाधिक सुविधाजनक हो । वह अवक्षयण के लिये अपना अलग तरीका निकाल सकता है जिसके लिये बाद में केवल सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लेना काफी होगा । यह उपबन्ध इसलिये रखा गया है कि समवाय स्वयं जिस अवक्षयण की व्यवस्था करे वह अंशधारियों को कष्टकर न हो । इस प्रकार मूल अधिनियम के कड़ेपन को काफी दूर कर दिया गया है । अतः मैं तो नहीं समझता कि डर की कोई गुंजाइश रह जाती है ।

यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां कि बड़े बड़े कारखाने हैं और उनमें १० या २० करोड़ रुपये विनियोजित किये गये हैं और कारखाने ने काफी समय के बाद अपना कार्य शुरू किया है वहां इस खंड को क्रियान्वित करने के लिये धारा २०८ के उपबन्धों को हटा दिया गया है। अर्थात् कुछ विशेष परिस्थितियों में लाभांश पूंजी में से भी दिया जा सकता है ।

अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस खंड को जिस रूप में कि इसे संयुक्त समिति ने भेजा है, पारित किया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं इन संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९३, ७ और ६० मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५७ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ५७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ५९—(धारा २०९ का संशोधन)

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं अपने संशोधन संख्या ६१ और ६२ प्रस्तुत करता हूं ।

खंड ५९ धारा २०९ का संशोधन करता है । इस धारा में किसी समवाय की हिसाब किताब की पुस्तकें उस के रजिस्टर्ड कार्यालय में ही रखने की व्यवस्था है । यह बात तो सराहनीय है कि इस प्रकार का खंड आवश्यक है किन्तु फिर भी यह व्यवस्था करना वांछनीय होगा कि समवायों के प्रबन्धकों को अनावश्यक असुविधा न हो । ऐसे अनेक मामले होंगे जिन में समवायों को मुकदमेबाजी के सिलसिले में इन पुस्तकों को हटा कर अदालत में या अपने प्रधान कार्यालय में अथवा किसी शाखा कार्यालय में ले जाना पड़ सकता है । यदि ऐसा करना पड़ता है तो समवायों को ७ दिन के भीतर इस की सूचना समवाय के रजिस्ट्रार को देनी होगी । मेरा विचार है कि जिन मामलों में इन पुस्तकों को अपने सामान्य व्यवसाय के सिलसिले में अपने स्थान से हटाना पड़े, उन के सम्बन्ध में यह व्यवस्था नहीं रखी जानी चाहिये कि प्रबन्धकों को सात दिन के भीतर इसकी सूचना रजिस्ट्रार को देनी चाहिये । ऐसा करने से कई लाभ होंगे । और इस से रजिस्ट्रार के कार्यालय का काम भी हल्का हो जायेगा । अतः मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे संशोधन पर विचार करेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

समवायों पर अपने हिसाब की पुस्तकें ८ वर्षों तक सुरक्षित रखने का दायित्व डालने वाला उपबन्ध वांछनीय है। ऐसा करने का उद्देश्य यह है कि ताकि ये आयकर अथवा विशेष लेखा परीक्षण के लिये उपलब्ध हो सके। लेकिन ऐसा न करने में जिस प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, उसका वास्तविक परिणाम यह होगा कि भूतलक्षी प्रभाव से फौजदारी का अपराध बनाया जायेगा जो न्याय के सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल है। जो समवाय वास्तव में ईमानदार हो उन के सम्बन्ध में इस अवधि को घटा कर ५ वर्ष कर देना चाहिये। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये मैंने एक संशोधन रखा है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सरकार मेरे इन दोनों उपबन्धों पर विचार करे।

†**श्री मुरारका** : मैं श्री भरूचा के उस संशोधन का समर्थन करता हूं जिस में उन्होंने भूतलक्षी प्रभाव की व्यवस्था की है।

बहुत से ऐसे समवाय भी हैं जिन के पास गत ८ वर्षों के हिसाब किताब की किताबें नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस खंड का यह उद्देश्य नहीं है कि जिन के पास पिछले हिसाब-किताब की पुस्तकें नहीं हैं उन्हें दंड दिया जाये। अतः यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद समवायों को अपने हिसाब किताब की किताबें ८ वर्ष तक रखनी चाहियें। और जिन समवायों के पास पिछले आठ वर्षों के हिसाब के खाते न हों वे विभाग को इस सम्बन्ध में अपनी स्थिति की सूचना दे दें। यह आवश्यक स्पष्टीकरण है।

हिसाब की किताबें न रखने अथवा उन को समवाय के रजिस्टर्ड कार्यालय में न रखने पर कारावास के दंड की व्यवस्था पहली बार की जा रही है। १९५६ के अधिनियम में ऐसा न करने पर १००० रुपये तक की दंड की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब हम इस दंड को बढ़ा कर ६ महीने का कारावास अथवा १००० रुपये जुर्माना अथवा दोनों ही दंडों की व्यवस्था कर रहे हैं। यह व्यवस्था संयुक्त समिति ने की है। और ऐसा करना उन्हों ने आवश्यक भी समझा। इस का मैं विरोध तो नहीं करता। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करता हूं कि यह दंड उन्हीं समवायों को दिया जाये जो जानबूझ कर ऐसा नहीं करते। दूसरी बात यह है कि दंड की यह व्यवस्था दोनों ही श्रेणियों के लिये अर्थात् मैनेजिंग डाइरेक्टरों, जनरल मैनेजर, मैनेजर तथा हिसाब किताब तैयार करने वालों के लिये की गई है। मैनेजिंग डाइरेक्टरों आदि के पास अपने बचाव के लिये काफी साधन हैं, वह कह सकते हैं कि लेखा तैयार करने वाले जानें। लेकिन हिसाब किताब करने वालों के पास अपने बचाव के लिये कुछ नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि इस में "जान बूझ" कर शब्द जोड़ दिया जाये।

†**श्री कानूनगो** : जिन संशयों का यहां उल्लेख किया गया है उन को मैं समझता हूं। वस्तुतः तो इन संशयों की चर्चा समिति के स्तर पर तथा उस के बाद भी की गई थी। यह सच है कि काफी कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। यह भी ठीक है कि इस खंड का प्रभाव भूतलक्षी होगा। जहां तक जनता का प्रश्न है, उस के सामने शास्त्री समिति का प्रतिवेदन था और यह विधेयक काफी पहले उपस्थापित किया गया था। यह मैं मानता हूं कि जब तक संविधि में कोई चीज न आ जाये तब तक उस का कोई मूल्य नहीं होता। इस दंड की व्यवस्था इसीलिये की गई है कि हिसाब किताब ठीक से रखा जाये वर्ना किताबों को नष्ट करने के बहुत से मामले हो सकते थे। हमने इस पर विचार भी किया कि सामान्यतः समवाय आयकर के उद्देश्य से हिसाब किताब की किताबें रखते हैं। इस खंड में किसी भी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने को मैं तैयार नहीं हूं। लेकिन मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि सरकार उन मामलों में दंड की मांग नहीं करेगी जहां खाते पेश न करने के संबंध में नीयत बुरी न हो। वर्ना हम

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

इस विधान को इस के लागू होने के दिन से ही कठोरता के साथ पालन करेंगे। जहां तक कि पिछली अवधि का सम्बन्ध है हम उस के सम्बन्ध में उदारता से काम लेंगे और जो ठीक मामले होंगे उन के सम्बन्ध में कठोर दंड की मांग नहीं की जायेगी। अथवा उन पर मुकद्दमा नहीं चलाया जायेगा।

मैं श्री मुरारका का ध्यान उप खंड (घ) की मद (३) की ओर आकर्षित करता हूं। आप देखेंगे कि उसम 'जान बूझ कर' शब्द का प्रयोग किया गया है।

†**श्री मुरारका** : वह तो मैनेजिंग डाइरेक्टरों के लिये है। अधीनस्थ पदाधिकारियों के लिये नहीं।

†**श्री कानूनगो** : यह ठीक है कि यह मुख्यत: मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर आदि के लिये है। सामान्यत: प्राथमिक दायित्व तो प्रबन्धकों पर है न कि अधीनस्थ पदाधिकारियों पर। अधीनस्थ कर्मचारियों का उल्लेख तो न्यूनतम बचाव के लिये किया गया है।

†**श्री मुरारका** : मैं माननीय मंत्री महोदय का उद्देश्य समझता हूं। लेकिन मेरा निवेदन है कि बड़े तथा छोटे सभी पदाधिकारियों के लिये समान दंड की व्यवस्था की जानी चाहिये।

†**श्री कानूनगो**: "जान बूझ कर" काम किया गया है इस को कानूनी अदालत में अथवा इस कार्य के लिये निश्चित न्यायालय में सिद्ध करना बड़ा कठिन है यही कारण है कि मैं इस को अधिक से अधिक व्यापक रखना चाहता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या ६१ और ६२ को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५९ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ५९—विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ६५—(धारा २२० का संशोधन)

†**श्री जगन्नाथ राव** : मैं अपना संशोधन संख्या ११२ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं : पृष्ठ ३३ पंक्ति ३ :

"Provided" (परन्तु) के बाद "further" (आगे) शब्द जोड़ दिया जाये।

यह संशोधन संख्या ८२ जैसा है जिस की सूचना श्री चे० रा० पट्टाभिरमन ने दी थी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या यह सरकार को स्वीकार्य है।

†**श्री कानूनगो** : जी हां।

†**श्री जगन्नाथ राव** : यह बहुत छोटा सा संशोधन है जिस में कहा गया है कि पृष्ठ ३३ पंक्ति ३ में "परन्तु" के बाद "आगे" शब्द जोड़ दिया जाये। यह इसलिये है कि पहला परन्तुक तो पहले से है ही और यह दूसरा परन्तुक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन अब सभा के समक्ष है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३३, पंक्ति ३ :

"Provided" (परन्तु) के बाद "further" (आगे) शब्द जोड़ दिया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ६५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ६५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ७०

(नई धारा २३३क का रखा जाना)

†**श्री मी०रू० मसानी** : मैं अपने संशोधन संख्या ८, ९, १०, ११ और १२ प्रस्तुत करता हूं ।

[श्री जगन्नाथ राव पीठ सीन हुए]

इन में सब से महत्वपूर्ण संशोधन संख्या ८ है जिस में यह चाहा गया है कि विशेष लेखापरीक्षण के प्रश्न पर विचार करते समय कुछ समन्याय नियम लागू किये जाने चाहियें । संशोधन में दो परित्राण रखे गये हैं । एक परित्राण यह है कि लेखापरीक्षक नियुक्त करने के पूर्व सरकार संबंधित कम्पनी को नोटिस देगी और उसे जवाब देने का मौका देगी । दूसरा परित्राण यह है कि कम्पनी सरकार के आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील कर सकेगी ।

संशोधन संख्या ९ में यह चाहा गया है कि पृष्ठ ३९ की १ से ९ पंक्तियां हटा दी जायें जिस से विशेष लेखापरीक्षक की न्यायालय परीक्षण शुरू करने के लिये किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति खत्म हो जायगी । प्रजातंत्र में न्यायालय के वारण्ट के बिना ऐसा नहीं होना चाहिये । संशोधन संख्या १० और ११ साधारण प्रकृति के हैं । संशोधन संख्या १२ में यह चाहा गया है कि सरकार प्रतिवेदन अथवा उन के अंश कम्पनियों को दे और वे निदेशकों द्वारा अंशधारियों की सामान्य बैठक में पेश किये जायें ताकि कम्पनी के मालिकों से तथ्य छिपे न रहें ।

सामान्य बहस के दौरान सरकार से यह पूछा गया था कि विशेष लेखा परीक्षण की क्या आवश्यकता है जबकि अधिनियम की अन्य धाराओं के अन्तर्गत विशेष जांच की शक्तियां मौजूद हैं? परन्तु इस का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । मेरा निवेदन है कि जब उन्हीं शक्तियों का भली प्रकार उपयोग नहीं किया जाता है तो अधिक शक्तियां क्यों प्राप्त की जायें ? इस खंड के वर्तमान उपबन्ध ठीक नहीं हैं क्योंकि इस का निर्णय कैसे किया जायगा कि कौन सी कम्पनी ठीक लाइनों पर चल रही है ? वास्तव में किसी सरकारी अधिकारी को इस प्रकार की विवेक शक्ति प्रदान करना अत्यन्त अनुचित है क्योंकि उसे व्यापार का कोई ज्ञान नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रू० मसानी]

जहां तक इन परिमाणों का सम्बन्ध है, सभा के अनेक सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि किसी भी स्वतंत्र समाज में उन का होना अत्यन्त अवश्यक है। खेद है कि सरकार इन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भी तैयार नहीं है। जिस प्रकार सामान्य चर्चा के दौरान उन्हें ठुकरा दिया गया था यदि अब भी वैसा ही किया जाता है तो यह बड़ी अशोभनीय बात होगी।

सभा का कार्य

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : श्रीमान्, मैं एक विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा के बाहर जो अश्रु गैस छोड़ी गई है उस का असर हम यहां भी महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभा भवन के बाहर अगर ऐसी कोई बात होती है जिस का हमारे कार्य पर यहां असर पड़ता है तो यह हमारे विशेषाधिकार का भंग है।

†**सभापति महोदय** : मैं समझता हूं कि इस में विशषाधिकार की कोई बात नहीं है। यह सब सभा-भवन के बाहर हो रहा है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय को लिख सकते हैं परन्तु सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती।

समवाय (संशोधन) विधेयक—जारी

†**श्री मी० रू० मसानी** : फिर जहां तक जानकारी प्राप्त करने की शक्ति का सम्बन्ध है वह अत्यन्त कठोर है। यदि कोई अपराध किया जा रहा है तो न्यायालय से तलाशी का वारण्ट लिया जाना चाहिये। बिना वारण्ट के तलाशी लेना प्रजातांत्रिक परम्परा के विरुद्ध होगा। इस प्रकार की शक्तियों से सरकार सर्वाधिकारवादी शासन स्थापित करना चाहती है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तलाशी लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इस कानून को पारित करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेगी।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सभापति महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि श्री मसानी विशेष लेखा-परीक्षण के उपबन्ध से इतने भयभीत क्यों हो रहे हैं। यदि किसी कम्पनी का काम ठीक नहीं चल रहा है तो मैं नहीं समझता कि विशेष लेखापरीक्षण के अतिरिक्त अन्य क्या सुधार कार्यवाही की जा सकती है? मैं समझता हूं कि हर मामले में कारण बताने का नोटिस देना ठीक नहीं होगा क्योंकि उस से अपराधी को साक्ष्य नष्ट कर देने का अवसर मिल जायगा। हां, जहां कहीं सम्भव हो वहां सरकार द्वारा सुनवाई की जा सकती है।

फिर जहां तक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, विधेयक के प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में यह उपबन्ध है कि यदि केन्द्रीय सरकार चार महीने के अन्दर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो वह प्रतिवेदन की एक प्रति पूर्ण अथवा आंशिक, कम्पनी को भेजेगी। मेरा निवेदन है कि चार महीने की अवधि बहुत लम्बी है। इस उपबन्ध में परिवर्तन भले ही न किया जाय पर समवाय

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि प्रशासन को इस आशय के प्रशासकीय निदेश जारी किये जाने चाहिये कि जिन मामलों में कोई शीघ्र कार्यवाही न की जाने वाली हो, प्रतिवेदन कम्पनी को भेज दिया जाय और विधेयक में रखी गई अवधि को खत्म न होने दिया जाय ।

तीसरे, जहां तक न्यायालय में अपील का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि उस से मुकदमेबाजी में बहुत समय लग जायगा और इस उपबन्ध का प्रयोजन पूरा नहीं होगा । माननीय श्री मसानी ने लेखापरीक्षक की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति के सम्बन्ध में भी आपत्ति की है । मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शक्ति के बिना विशेष लेखापरीक्षण व्यर्थ रहेगा ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । वह है उपखंड ७ के सम्बन्ध में जिस में यह कहा गया है कि विशेष लेखापरीक्षण का व्यय सरकार निर्धारित करेगी और यदि कम्पनी उस का भुगतान नहीं करती है तो उसे भू-राजस्व की बकाया की तरह वसूल किया जा सकेगा । यह उपबन्ध कम्पनी के लिये कुछ कठोर रहेगा । उदाहरण के लिये यदि कम्पनी के कुछ अंशधारी किसी गड़बड़ी की शिकायत करते हैं और सरकार लेखापरीक्षण का आदेश देती है और यदि उस के परिणामस्वरूप वह शिकायत गलत निकलती है क्या तब भी उस का व्यय कम्पनी को देना चाहिये ? मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में वह व्यय सरकार को ही भुगतान करना चाहिये अथवा शिकायत करने वालों से वसूल किया जाना चाहिये क्योंकि कम्पनी निर्दोष पाई गई है । इस के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये ।

†**श्री मुरारका :** मैं खंड ७९ का समर्थन करता हूं जिस में विशेष लेखापरीक्षण का उपबन्ध है । मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध अत्यन्त वांछनीय है । सरकार के पास कोई शक्ति न होना और उस को जांच की शक्ति देना ये दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं । अतः यह विशेष लेखापरीक्षण मध्य की स्थिति है जो सर्वथा उचित है । श्री मसानी ने अपने विमति टिप्पण में इस शक्ति के विरुद्ध अनेक आपत्तियां पेश की हैं । एक शिकायत यह है कि यह शक्ति अनिश्चित है । मैं श्री मसानी से यह निवेदन करूंगा कि धारा २३५ के अंतर्गत सरकार को जो जांच की शक्तियां प्राप्त हैं वे इस से कहीं अधिक व्यापक एवं अनिश्चित हैं । वास्तव में विशेष लेखापरीक्षण के उपबन्ध से सरकार का कोई अतिरिक्त शक्तियां नहीं दी जा रही हैं वरन् एसा अस्त्र दिया जा रहा है जो जांच के अस्त्र से कम खतरनाक है ।

फिर यह कहा गया कि वह वर्तमान लेखापरीक्षकों का अपमान होगा । यह ठीक नहीं है । इस धारा के अन्तर्गत सरकार कम्पनी के लेखापरीक्षकों को ही सरकारी विशेष लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी । दूसरी बात यह है कि लेखापरीक्षक अधिक सतर्कता से काम करेंगे क्योंकि उहें यह भय रहेगा कि उन के ऊपर भी कोई बैठा हुआ है । इसलिये यदि श्री मसानी इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करें तो वह महसूस करेंगे कि खंड ७० उतना खतरनाक नहीं है जितना वह समझ रहे हैं । उस के न होने पर सरकार को जांच करानी पड़ेगी जो उस से कहीं ज्यादा कड़ी चीज है । श्री मसानी ने कहा कि विशेष लेखापरीक्षण से कम्पनी की साख खराब होगी । मेरा निवेदन है कि जांच के आदेश से साख और भी अधिक खराब होगी । इस के अतिरिक्त यदि विशेष लेख परीक्षण के परिणामस्वरूप कम्पनी निर्दोष पाई जाती है तो उस की साख कम होने की बजाय बढ़ेगी ही । कम्पनी यह कह सकेगी कि सरकारी लेखापरीक्षकों ने सब कुछ ठीक पाया है । अतः मैं समझता हूं कि इस खण्ड में कोई आपत्तिजनक बात नहीं है ।

जहां तक श्री मसानी द्वारा सुझाए गए परिमाणों का सम्बन्ध है, मैं उनमें से दो से सहमत नहीं हूं । हां, उनका यह सुझाव अवश्य अच्छा है कि कम्पनी से यह पूछा जाना चाहिये कि उसका विशेष लेखापरीक्षण क्यों न कराया जाय ? सब मामलों में ऐसा करना भले ही संभव न हो परन्तु अधिकांश मामलों में वैसा हो सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

जैसा कि मैंने संयुक्त समिति में कहा था, जांच और विशेष लेखापरीक्षण में एक अन्तर है। जांच का आदेश तो केवल अत्यन्त गम्भीर मामलों में दिया जाता है। जहां तक विशेष लेखापरीक्षण का सम्बन्ध है उसका आदेश किसी भी प्रकार की अनियमितता में दिया जा सकता है। मुझे माननीय मंत्री श्री कानूनगो के इस कथन से बड़ी निराशा हुई कि सरकारी लेखापरीक्षक निरीक्षकों की तरह ही काम करेंगे क्योंकि संयुक्त समिति की चर्चा से ऐसा आभास नहीं हुआ था। उपखंड (३) में कहा गया है कि इन लेखापरीक्षकों को कम्पनी के लेखापरीक्षकों के समान ही शक्तियां प्राप्त होंगी और वे उन्हीं की तरह कार्य करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करे कि लेखापरीक्षण निरीक्षकों की तरह काम करेंगे। मैं समझता हूं कि उनका तात्पर्य निरीक्षकों से नहीं वरन् लेखापरीक्षकों से ही था।

श्री हेम राज (कांगड़ा) : सभापति महोदय, क्लाज ७० के जरिये कम्पनी ऐक्ट में जो सेक्शन २३३ए शामिल किया जा रहा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। दरअस्ल कम्पनियों का जो हाल है, जिसके छोटे छोटे शेयरहोल्डर्स हैं, जो कि बहुत दूर दूर से छोटे छोटे शेयर लेते हैं, उसमें मैनेजिंग डाइरेक्टर या डाइरेक्टर्स उस कम्पनी की असली हालत का पता, उन शेयरहोल्डर्स को नहीं लगने देते। जब कभी छोटे छोटे शेअरहोल्डर्स कोई शिकायत करते हैं तो गवर्नमेंट की ओर से जवाब दे दिया जाता है कि ३९७ और ३९८ की जो दफात हैं कम्पनी ला की वह कहती हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वह जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाये। ऐसी सूरत में जो एक, दो, तीन या चार शेअर के मालिक हैं, उनके लिये अदालत में जाना और वहां पैसा खर्च करना, खास तौर से जब वे मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए हों, उनको इकट्ठा करके ऐसा करना, जरा मुश्किल सा काम हो जाता है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो यह स्पेशल आडिट का प्राविजन किया है उससे जिन लोगों को आम तौर पर शिकायत होती है उनको राहत मिल सकती है। इसके लिये दो ही सूरतें थीं। या तो सेक्शन ३९७ और ३९८ या सेक्शन ४०८, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट को अख्त्यार है कि वह शेअरहोल्डर्स में से दो आदमियों को डाइरेक्टर बना दे। लेकिन जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सेक्शन २३७ में इन्स्पेक्शन की जो पावर्स दी गई हैं, उस में काफी ज्यादा देर लग जाती है और फिर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिये जरूरी चीज है कि जो छोटे छोटे शेअरहोल्डर्स हैं, जिनके पास इतना सरमाया नहीं है, इतना वक्त नहीं है कि अदालतों का दरवाजा खटखटा सकें, अगर उनकी शिकायत गवर्नमेंट के पास पहुंचती है तो वह स्पेशल आडिट मुकर्रर कर दें। इससे लाजिमी तौर पर वह सारी इन्फार्मेशन ला सकता है। इस सेक्शन के लिये जो प्रोवाइजो रखा गया है उसमें स्पेशल आडिट को अख्त्यार होगा कि वह जो इन्फार्मेशन चाहे ले सकता है। उस में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक जानकारी नहीं देगा तो उसे दंडित किया जा सकेगा।

इसमें बहुत ज्यादा अख्त्यार दिये गये हैं। अगर कोई चीज़ आडिटर नहीं करता है और गवर्नमेंट के पास उसकी शिकायत पहुंचती है या कोई इन्फार्मेशन पहुंचती है तो जो चीज कम्पनी स्टाफ का आडिटर नहीं कर सकता, उसे स्पेशल आडिटर कर सकता है। वह सारी की सारी रिपोर्ट ज्यादा वजाहत के साथ गवर्नमेंट के पास भेज सकता है। ऐसी सूरत में गवर्नमेंट कोई न कोई ऐक्शन कम्पनियों के खिलाफ ले सकती है, ताकि जो छोटे शेअरहोल्डर्स हैं उनका पैसा, उनकी गाढ़ी कमाई कहीं डाइरेक्टर्स या मैनेजिंग डाइरेक्टर्स हजम न कर जायें।

एक सवाल अभी श्री मोरारका ने उठाया और कहा कि कम्पनी को नोटिस हो जानी चाहिये। अगर इसमें हम पड़े तो लाजिमी तौर पर जो कम्पनियां हैं उनको पहले से पता लग जायेगा और कम्पनी ऐक्ट के इस सेक्शन की सारी की सारी मंशा फेल हो जायेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो सेक्शन २३३ए है वह निहायत जरूरी है और छोटे छोटे शेअरहोल्डर्स के हक की हिफाजत के लिये इससे बेहतर रास्ता नहीं हो सकता।

इन शब्दों के साथ मैं क्लाज ७० का अनुमोदन करता हूं।

†**श्री नथवानी :** इस खण्ड की आवश्यकता पर श्री मुरारका भली भांति प्रकाश डाल चुके हैं। मैं केवल थोड़े से शब्द ही कहूंगा। श्री मसानी ने कहा कि इस शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है और अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत सरकार कार्यवाही कर सकती है। परन्तु वास्तव में यह शक्ति बहुत आवश्यक है। धारा २३५ में अल्पसंख्यक अंशधारियों को न्यायालय में कार्यवाही करने की जो शक्ति दी गई है उसके लिए यह आवश्यक है कि आरोपों को साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जाय। परन्तु जब तक हिसाब का उचित लेखा परीक्षण नहीं होगा तब तक इस प्रकार का साक्ष्य कैसे दिया जा सकेगा। इसलिये यह शक्ति आवश्यक हो जाती है।

इस खण्ड के सम्बन्ध में श्री मसानी ने यह भी कहा कि विशेष लेखापरीक्षक को जो जानकारी प्राप्त करने की शक्ति दी जा रही है वह बहुत व्यापक है। उन्होंने उपखण्ड (५) को पढ़ कर भी सुनाया था। मेरा निवेदन है कि यदि वह ध्यान से देखें तो पायेंगे कि जानकारी के विस्तार क्षेत्र की निश्चित व्याख्या की गई है। वह ऐसी जानकारी अथवा अतिरिक्त जानकारी होगी जो विशेष लेखापरीक्षक के लिये विशेष लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक हो।

†**श्री मी० रु० मसानी :** विशेष लेखापरीक्षण स्वयं एक अनिश्चित वस्तु है।

†**श्री नथवानी :** मैं माननीय सदस्य के कथन से असहमत हूं। उतनी ही जानकारी मांगी जा सकती है जितनी कि लेखापरीक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक हो। विशेष लेखापरीक्षक किसी व्यक्ति के व्यक्तिक मामलों में नहीं झांक सकता है जिनका कि उसके कार्य से कोई सम्बन्ध न हो। इसलिए इस खण्ड के अन्तर्गत जांच के विस्तार क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

फिर यह कहा गया कि यह खण्ड लेखापरीक्षकों के व्यवसाय को कलंकित करता है। मैं इस मत से सहमत नहीं हूं। इसके विपरीत मैं समझता हूं कि इस खण्ड से लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता दृढ़ होगी। पिछले सत्र में दो बीमा कम्पनियों के सम्बन्ध में सरकारी लेखापरीक्षक का एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था। उससे ऐसा आभास होता था कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का समुचित पालन नहीं किया है। इसलिए इस प्रकार के उपबन्ध से लेखापरीक्षक की स्थिति दृढ़ होगी।

यह कहा गया कि सम्बन्धित कम्पनी को मौका दिया जाना चाहिए। मैं इस सुझाव को तो मानता हूं परन्तु जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है उसे मैं स्वीकार नहीं करता हूं। ऐसा हो सकता है कि सरकार को जो जानकारी मिली हो वह ठीक न हो। इसलिए कम्पनी को मौका मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस खण्ड का समर्थन करता हूं।

श्री राम सिंह भाई वर्मा : श्रीमान्, क्लाज ७० में जो स्पेशल आडिटर का प्रावीजन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता कि मेरे साथी श्री मसानी जी इस क्लाज के खिलाफ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम सिंह भाई वर्मा]

इतना आग्रह या दुराग्रह क्यों प्रकट कर रहे हैं। वह क्लाज रखने से कोई बड़ी बात होने वाली नहीं है। उन्हें बहुत ज्यादा अनुभव है। अभी मौजूदा कम्पनी ला के अन्दर भी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे अधिकार हैं, लेकिन गवर्नमेंट नें उनको कभी परेशान नहीं किया, बल्कि कुछ हद तक उनकी मदद ही हुई है।

मैंने जनरल डिसकशन में एक दो नहीं आधे दर्जन उदाहरण दिये थे और कुछ कोर्टों के उदाहरण भी मैंने पेश किए थे। स्पेशल आडिटर मुकर्रर करने से तो आपकी प्रेस्टिज बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस कारखाने में या जिस कन्सर्न में गवर्नमेंट स्पेशल आडिटर मुकर्रर नहीं करेगी उसके लिए माना जाएगा कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सच बात तो यह है कि बेचारे छोटे छोटे शेअर-होल्डर्स के साथ आप लोगों ने क्या इन्साफ किया है। आपने उनकी बात को कितनी प्रधानता दी है। उनकी बात कभी नहीं सुनी गयी। यह पहला मौका है कि गवर्नमेंट ने उनको यह संतोष दिलाया है कि अगर कोई ऐसी बात होती है जिसके कारण उद्योग या व्यवसाय में जबर्दस्त हानि होने की सम्भावना है उस हालत में स्पेशल आडिटर गवर्नमेंट मुकर्रर कर सकती है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आप बहुत जानते हैं और आप जानते हैं कि आपके कुछ साथी कैसे हैं और आज क्या चल रहा है। जहां कहीं गवर्नमेंट ने एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की है वहां उनके सामने अनेक चीजें आई हैं जिनके कारण से व्यवसाय को हानि पहुंचती है, और गवर्नमेंट के पास ऐसा साधन नहीं था कि उसकी जांच की जा सके। तो इस प्रावीजन के खिलाफ आपको क्यों आबजेक्शन होना चाहिए। किसी किसी मैनेजमेंट में ऐसे लोग होते हैं जो गड़बड़ियां करते हैं। अगर गवर्नमेंट उसकी जांच कराती है तो वह चीज आपके सामने भी आएगी। आपको तो यह सोचना चाहिए कि अगर उद्योग और व्यवसाय को एफीशेंटली चलाने के लिए गवर्नमेंट हमको आडिटर देती है तो कोई हानि नहीं है, और आज नहीं तो कल वह चीज आने वाली है। अगर मौजूदा हालत बनी रही और मैनेजमेंट में इसी तरह गड़बड़ी होती रही जिससे सारे देश की इकानामिक हालत पर असर पड़े, तो गवर्नमेंट चुप रहने वाली नहीं है। और मैं तो मानता हूं कि एक दिन जितने भी आडिटर होंगे उनका राष्ट्रीयकरण होने वाला है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यह काम धीरे धीरे हो रहा है उसके प्रति आपको खुशी प्रकट करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि चाहे जिसके कहने पर स्पेशल आडिटर मुकर्रर कर दे। हम तो गवर्नमेंट की पार्टी के हैं और दिन रात नाक रगड़ते हैं और दिन रात चिल्लाते हैं और कहते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, आपकी सुनवाई तो फौरन हो जाती है। आपको विश्वास करना चाहिए कि इससे आपको कोई कष्ट होने वाला नहीं है। अगर आपके कन्सर्न में स्पेशल आडिटर मुकर्रर न किया गया तो आपका तो प्रेस्टिज बढ़ने वाला है।

इसलिए जो मूल क्लाज है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो मसानी जी ने अमेंडमेंट रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६० / ३ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१०२७—४८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४०५	श्री ग्रेवाल का ज्ञापन . . .	१०२७—३०
४०७	खम्भात से निकले तेल का परिवहन . . .	१९३१–३२
४०८	जनता मोटर कार	१०३२—३४
४०९	उत्तर प्रदेश के नये जिलों में निर्वाचन .	१०३४–३५
४१०	परिसीमन आयोग की नियुक्ति . .	१०३५—३९
४११	कच्चे लोहे के छोटे संयंत्र . . .	१०३९–४०
४१२	निर्वाचन व्यय में कमी	१०४१–४२
४१३	विज्ञान की पुस्तकें . .	१९४३—४५
४१४	शिवपुर वनस्पति-उद्यान . . .	१०४६
४१६	गोदावरी घाटी में तेल का सर्वेक्षण . . .	१०४६–४७
४१७	पाकिस्तान में हैदराबाद राज्य के रुपये का अनधिकृत रूप से निकाला जाना	१०४७–४८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१०४८—११०४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४०६	जनगणना सम्बन्धी प्रश्नावली	१०४८
४१५	भारतीय वायु सेना केन्द्र, पूना	१०४८–४९
४१८	अभ्रक का निर्यात	१०४९
४१९	आसाम की चाय पर उत्पादन-शुल्क . . .	१०४९
४२०	नागार्जुन सागर परियोजना और श्री शेलम परियोजना का एकीकरण	१०४९–५०
४२१.	आंध्र में अकाल	१०५०

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

ता ांकित
प्रश्न संख्या

४२२	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	१०५०–५१
४२३	सड़क परिवहन संगठनों पर आय-कर . . .	१०५१
४२४	टीन की प्लेटें . . .	१०५१
४२५	पदाधिकारियों के वेतन क्रम	१०५२
४२६	आंग्ल-भारतीय शिक्षा संस्थाओं को अनुदान . .	१०५२
४२७	मद्रास को हार्ड कोक का संभरण . .	१०५३
४२८	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	१०५३
४२९	विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . .	१०५३–५४
४३०	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही . .	१०५४
४३१	लाल किले की दीवार का गिरना . . .	१०५४
४३२	तेल सम्बन्धी गति विधियां	१०५५
४३३	आयुध कारखानों में प्रबन्ध परिषदें . . .	१०५५
४३४	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल .	१०५५–५६
४३५	उत्तर प्रदेश में तेल सर्वेक्षण . . .	१०५६
४३६	तीसरी योजना के लिये रूस द्वारा ऋण .	१०५६–५७
४३७	बरसुआ खान . . .	१०५७
४३८	ज्वाला मुखी में तेल-छिद्रण . . .	१०५७
४३९	मुस्लिम लीग	१०५७–५८
४४०	आसाम में जनगणना . . .	१०५८
४४१	सम्मिलित रक्षित पुलिस बल . .	१०५९
४४२	अनुसंधान पत्रों का गुम होना . . .	१०५९
४४३	युवकों में राष्ट्रीय भावना	१०६०
४४४	पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन का सम्मेलन	१०६०
४४५	इस्पात संयंत्र	१०६०–६१
४४६	भाषाई अल्पसंख्यक . . .	१०६१
४४७	सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के बच्चों के लिये शिक्षा .	१०६१
४४८	पेट्रोलियम संस्था	१०६२
४४९	लौह-अयस्क की उत्पादन-लागत . . .	१०६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

४५० राजनैतिक प्रदर्शनों में विद्यार्थियों का भाग लेना १०६३

४५१ तांबे के खनन के लिये पोलैण्ड द्वारा सहायता १०६३

४५२ उच्च शिक्षा में परीक्षा पद्धति . . . १०६३–६४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६७४ काश्मीर में समाज कल्याण विस्तार परियोजनायें १०६४

६७५ व्यय कर . . १०६४

६७६ आयुध कारखाना, भंडारा . १०६४–६५

६७७ विश्वविद्यालयों में शौकिया कर्मशालायें . . १०६५

६७८ नागा विद्रोही १०६५

६७९ पंजाब उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें . १०६५–६६

६८० बस्तर में तांबा अयस्क . १०६६

६८१ राक फास्फेट १०६६–६७

६८२ त्रिपुरा में आदिम जातियों के विद्यार्थी . १०६७

६८३ त्रिपुरा में आदिम जाति कल्याण निधि . . १०६७

६८४ महाराष्ट्र में शिक्षा संस्थाओं को अनुदान . १०६८

६८५ बम्बई और पूना विश्वविद्यालय . १०६८

६८६ वाणिज्य शिक्षा . . . १०६८

६८७ गुरदास पुर में आय कर दाता . . . १०६८

६८८ गुरदासपुर जिले में स्मारक १०६८–६९

६८९ अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ १०६९

६९० दिल्ली में संस्कृत का प्रचार १०६९

६९१ "पैकिंग रिव्यू" और "चाइना रिकन्सट्रक्ट्स" . १०७०

६९२ त्रिपुरा में नल कूप १०७०

६९३ रोम ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीम . . १०७०

६९४ किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में गुंडे . . १०७१

६९५ अलीगढ़-मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति . १०७१

६९६ देवनागरी लिपि १०७१–७२

६९७ विज्ञान मंदिर १०७२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९८ चीनी का रोजा १०७३
६९९ राज्य प्रविधिक संस्था में प्रवेश . १०७३
७०० पंजाब नेशनल बैंक १०७३–७४
७०१ बैंकिंग निधि में संशोधन . . . १०७४
७०२ दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य शाला . . . १०७४
७०३ कनाडा से परिवहन-गाड़ियों के फालतू पुर्जों की खरीद . १०७४
७०४ उड़ीसा में पुरातत्वीय सर्वेक्षण १०७५
७०५ उड़ीसा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण . . १०७५
७०६ उड़ीसा में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी . १०७५
७०७ उत्कल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिये छात्रालय १०७६
७०८ पंजाब में पोलिटेक्निक संस्थायें . . . १०७६
७०९ पिछड़े हुये वर्ग १०७६
७१० हिन्दी अनुवादक १०७६–७७
७११ अपराधों का पता लगाना १०७७
७१२ समुद्री नौका १०७७
७१३ संस्कृत के पंडितों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर . . १०७८
७१४ केरल में शारीरिक शिक्षा संगठन . . . १०७८
७१५ विद्यार्थियों के पर्यटन के लिये सहायता . . . १०७९
७१६ पश्चिमी बंगाल में तेल का सर्वेक्षण . . . १०७९
७१७ अतिरिक्त गाड़ियां १०६९
७१८ ट्रक और ट्रेक्टर १०८०
७१९ सोने का पकड़ा जाना . . . १०८०
७२० आयकर सम्बन्धी लम्बित अपीलें . . . १०८०–८१
७२१ फारवर्ड बलाक के प्रदर्शनकारी . . . १०८१
७२२ गाड़ी की चोरी . . . १०८१
७२३ लद्दाख क्षेत्र में पवन शक्ति . . . १०८१
७२४ आजाद हिन्द फौज . . . १०८२
७२५ आयकर मंत्रणा के लिये परिषद् . . . १०८२
७२६ अजन्ता और एलोरा गुफायें १०८२–८३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
७२७	कृत्रिम उपग्रह के मार्ग का पता लगाना .	१०८३–८४
७२८	छात्र-अध्यापक अनुपात .	१०८४–८५
७२९	सिक्कों को वापस ले लेना .	१०८५
७३०	इस्पात कारखाने	१०८५–८६
७३१	राष्ट्रमंडल शिक्षा सम्मेलन	१०८६–८७
७३२	दार्जिलिंग के नेपाली लोग .	१०८७
७३३	ग्रामीण संस्थाओं के प्रमाणपत्र . .	१०८७
७३४	लुब्रिकेटिंग आयल का कारखाना . .	१०८७
७३५	पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिले . . .	१०८८
७३६	जम्मू और कश्मीर के भूतपूर्व सैनिक . . .	१०८८
७३७	सरकारी कर्मचारियों की जातियों सम्बन्धी प्रविष्टि .	१०८८–८९
७३८	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां .	१०८९
७३९	इंगलिस्तान में जीवन बीमा निगम का करोबार	१०८९–९०
७४०	किराया खरीद सम्बन्धी विधान .	१०९०
७४१	राज्यों द्वारा मुकदमे बाजी के काम में कमी . .	१०९०
७४२	त्रिपुरा में प्रविधिक कर्मचारी	१०९१
७४३	आंध्र प्रदेश में लौह अयस्क निक्षेप . . .	१०९१
७४४	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त .	१०९१
७४५	राज्यों को ऋण और सहायता . .	१०९२
७४६	स्त्रियों तथा लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन अधिनियम .	१०९२
७४७	भारतीय अफीम का निर्यात . . .	१०९२
७४८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची	१०९२
७४९	कच्छ में लिग्नाइट के निक्षेप . . .	१०९३
७५०	उपहार पार्सलों पर सीमा शुल्क	१०९३
७५१	त्रिपुरा में आंधी . .	१०९३
७५२	इनामी बांड . . .	१०९३–९४
७५३	जम्मू और कश्मीर में इमारती लकड़ी की खरीद	१०९४
७५४	कांगो में भारतीय , .	१०९४–९५
७५५	हरिजन कल्याण	१०९५

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर–क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७५६	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये शिक्षण कक्षायें	१०९६
७५७	सिक्कों की वापसी	१०९६
७५८	दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल	१०९६
७५९	आवारा बच्चों का पुनर्वास	१०९७
७६०	ज्वालामुखी में तेल के लिये ड्रिलिंग	१०९७
७६१	राष्ट्रीय नाट्यशाला	१०९७–९८
७६२	छोटे-पैमाने के उद्योगों के लिये लोहा और इस्पात का आवंटन	१०९८
७६३	अन्दमान के शिक्षा विभाग में अध्यापक	१०९८
७६४	राकेट विद्या	१०९९
७६५	जामा मस्जिद, दिल्ली	१०९९
७६६	लोअर डिवीजन क्लर्क	१०९९–११००
७६७	लोअर डिवीजन क्लर्कों के वेतन निर्धारण में गड़बड़ी	११००
७६८	लोअर डिवीजन क्लर्क	११००–०१
७६९	दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की बैंच	११०१
७७०	सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद	११०१
७७१	मनीपुर पत्रकार संस्था	११०१–०२
७७२	मनीपुर में सहायता कार्य	११०२
७७३	पत्रकारों द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	११०२
७७४	इस्पात संयंत्रों को कोयले का संभरण	११०३
७७५	नासिक में अर्जित की गई भूमि	११०३
७७६	भारत में आने वाले सांस्कृतिक शिष्टमंडल	११०३–०४
७७७	विदेशों को गये सास्कृतिक शिष्टमंडल	११०४
७७८	डाक द्वारा विश्वविद्यालय की शिक्षा	११०४
स्थगन प्रस्ताव		११०४–१०

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(एक) लिओपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम करने वाले कुछ भारतीय अफसरों — सर्व श्री अर्जुन सिंह भदौरिया, हेमबरुआ, श्यामराव विष्णु परूलकर, सुरेन्द्र महन्ती, राजा महेन्द्र प्रताप, ब्रजराज

विषय पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

पर कांगों के सैनिकों द्वारा हमला। — नौशीर भरूचा, उ० ल० पाटिल प्रेमजी र० आसर और श्रद्धाकर सूपकार तथा मेजर राजा बहादुर वीरेन्द्र बहादुर सिंह।

(दो) चीनियों द्वारा तिब्बत में राकेट के अड्डों की कथित स्थापना और राकेटों का फेंका जाना। — श्री उ० ल० पाटिल।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ११११—१२

(१) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२७५; और

(दो) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३३०।

(२) जांच आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ३ के अर्न्गत निकाली गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५१२; और

(दो) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १०६१।

(३) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उपधारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२९ में प्रकाशित खनिज संरक्षण तथा विकास (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (सेवा की शर्तें अवशिष्ट विषय) नियम, १९६० की एक प्रति।

(५) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० की जी०एस० आर० १२३४

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२५८

(तीन) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२५९

(चार) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६०

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र (क्रमशः)

(पांच) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६१

(छः) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६२

(सात) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२८९

(आठ) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १२९०

(नौ) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२२

(दस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२३

(६) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६३

(दो) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६४

(तीन) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६५

(चार) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२६६

(पांच) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३२५

(७) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२४ की एक प्रति ;

(८) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३२१ की एक प्रति ;

(९) चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत चिकित्सा तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२५७ की एक प्रति ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . १११२—१४

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) ने मध्य प्रदेश के खाद्य जोन से गेहूं और चावल के निर्यात के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—विचाराधीन . . . . १११४—४०,११४०—४४

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंडवार चर्चा आरम्भ हुई तथा जारी रही । खंडवार चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिय कार्यावलि

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में आगे और खंडवार चर्चा और गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों पर विचार ।

GMGIPND—LS III—1416 (A)) LSD—14-12-60—115.